

यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  
(भारत सरकार का एक उपक्रम)

Uranium Corporation of India Limited

(A Government of India Enterprise)



49<sup>वाँ</sup> वार्षिक प्रतिवेदन  
2015-16

49<sup>th</sup> Annual Report  
2015-16





# महिला सशक्तिकरण



## अनुक्रमणिका

	पृष्ठ संख्या
1. निदेशक मण्डल	03
2. कार्यकारी अधिकारीगण	04
3. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की कलम से	05
4. निदेशकों का प्रतिवेदन	08
5. निदेशकों का प्रतिवेदन का अनुलग्नक-II (ऊर्जा संरक्षण इत्यादि)	20
6. निदेशकों का प्रतिवेदन का अनुलग्नक-II (निगमित अभिशासन)	23
7. लेखा विश्लेषण	
(i) प्रमुख विशिष्टताएँ	27
(ii) कम्पनी की वित्तीय स्थिति	28
(iii) कम्पनी की आय एवं व्यय का विवरण	29
8. पाई एवं बार चार्ट	
(I) आय का वर्गीकरण	30
(ii) व्यय का वितरण	30
(iii) आय में वृद्धि	31
(iv) निवल मालियत (नेटवर्थ) में वृद्धि	31
(v) नियोजित पूँजी	32
(vi) सकल तथा शुद्ध परिसम्पत्ति	32
9. लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	34
10. निगम के लेखों पर नियंत्रक एवं भारत के महालेखा परीक्षक की टिप्पणी	43
11. 31 मार्च 2016 की स्थिति का तुलन-पत्र	44
12. वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए लाभ एवं हानि का लेखा	45
13. लेखे की 1 से 26 तक की टिप्पणियाँ	46
14. नकद प्रवाह विवरण	79
15. पच्चीस वर्षीय स्थिति का सार संग्रह	80

## निदेशक मंडल

श्री सी के असनानी (01.09.2016 से प्रभावी)  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री दिवाकर आचार्य (31.07.2016 तक)  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री एस के श्रीवास्तव (31.01.2016 तक)  
निदेशक (तकनीकी)

श्री देबाशीष घोष  
निदेशक (वित्त)

श्री राजीव गॉबा (31.03.2016 तक)  
मुख्य सचिव (झारखंड सरकार)

श्री संजीव सूद  
संयुक्त सचिव (आई ऐण्ड एम)  
परमाणु ऊर्जा विभाग

श्री आर ए राजीव  
संयुक्त सचिव (वित्त)  
परमाणु ऊर्जा विभाग

श्री एन साईबाबा (31-05-2016 तक)  
मुख्य कार्यकारी, एनएफसी

श्री पी एस परिहार (31-12-2015 तक)  
निदेशक, एएमडी

डॉ. ए के राय (22-09-2016 से प्रभावी)  
निदेशक, एएमडी

श्री जी कल्याणाकृष्णन (22-09-2016 से प्रभावी)  
मुख्य कार्यकारी

श्री बी सी गुप्ता  
कंपनी सचिव

## ऑडिटर्स

अग्रवाल रमेश के. ऐण्ड कंपनी  
14, आर.जे.एस. बिल्डिंग, पहली मंजिल,  
डायग्नल रोड, बिष्टुपुर, जमशेदपुर-831001

## कार्यकारी

श्री सी के असनानी (01-09-2016 से प्रभावी)  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री दिवाकर आचार्य (31-07-2016 तक)  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री एस के श्रीवास्तव (31-01-2016 तक)  
निदेशक (तकनीकी)

श्री देबाशीष घोष  
निदेशक (वित्त)

श्री एस सी भौमिक  
महाप्रबंधक (खान)

श्री अजय घडे  
महाप्रबंधक (टेक्निकल सर्विसेज ऐण्ड प्लानिंग)

श्री पी एन सरकार  
महाप्रबंधक (ओपन पिट)

श्री पी के धर  
महाप्रबंधक (इलेक्ट्रिकल)

डॉ. ए के सारंगी  
महाप्रबंधक (कॉरपोरेट प्लानिंग)

श्री एस के गुहानीयोगी  
महाप्रबंधक (मेकेनिकल)

श्री बी सी गुप्ता  
कम्पनी सचिव

## यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उपक्रम)

सीआईएन : U 1000 JH 1967 GOI 000806  
रजिस्टर्ड ऑफिस : पी.ओ. जादुगोडा माइंस, जिला : सिंहभूम (पूर्वी)  
झारखंड — 83102, फोन : 0657 730122 / 353  
फैक्स : 0657-730322, ई-मेल : cs@uraniumcorp.in  
हमसे संपर्क करें : www.uraniumcorp.in



## चेयरमैन के डेस्क से.....

प्रिय सदस्यगण,

आपकी कम्पनी के 49वें वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। निदेशकों की रिपोर्ट के साथ ही वर्ष 2015-16 के लिए कम्पनी के लेखा का अंकेक्षित विवरण आपके पास भेज दिया गया और आपकी सहमति के साथ, मैं पढ़ लिया गया मानता हूँ।

जबकि मुझे बोर्ड के नए सदस्यों के स्वागत का विशेष सौभाग्य प्राप्त हुआ है, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति के महज 22 दिन बाद ही कम्पनी के प्रदर्शन पर प्रस्तुति देते हुए मैं अपने उत्साह और भावना को भी साझा करना चाहता हूँ।

आपकी कम्पनी भारत में यूरेनियम संसाधनों का व्यावसायिक पैमाने पर उपयोग करने हेतु एकमात्र इकाई के रूप में, देश में स्वदेशी परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को समर्थन देने के लिए समर्पित है। वर्ष 2015-16 में कई मोर्चों पर कम्पनी के अच्छे प्रदर्शन पर जोर देते हुए मुझे अपार संतुष्टि हो रही है।

मुझे यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि जादुगोडा संयंत्र में अयस्क की उपलब्धता में लगातार बड़े व्यवधानों के बावजूद सभी प्रमुख इकाइयों का प्रदर्शन संतोषजनक रहा है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अवैध रूप से खनन पट्टों पर डीमड एक्सटेंशन के अवलोकन के बाद, 8 सितंबर 2014 से जादुगोडा माइंस में उत्पादन बंद हो गया है। हालांकि, 7 दिसंबर 2015 से जादुगोडा-भाटिन लीज को नियमित कर दिया गया है और खनन गतिविधियां लंबित फॉरेस्ट डाइवर्सन मुद्दों के समाधान के बाद तुरंत शुरू हो जाएंगी। इस नुकसान की आंशिक रूप से भरपाई के लिए अन्य इकाइयों से उत्पादन बढ़ा दिया गया है।

तुमलापल्ले परियोजना जिसमें भूमिगत खदान और प्रोसेस प्लांट भी शामिल है, के पास कई नवोन्वेशी प्रौद्योगिकियां हैं जिसे देश में पहली बार अपनाया जा रहा है। इस माइन में पहले से ही उत्पादन हो रहा है और माइनिंग एवं रूफ सपोर्ट तकनीक के कार्यान्वयन की अनुशंसा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मेकैनिक्स द्वारा की गई थी जो तुमलापल्ले माइन में हैंगवॉल लोड में चल रहा है। संयंत्र में पुनः विघटन प्रणाली की सुविधा जिसका निर्माण संयंत्र में रिकवरी के सुधार और प्रेसिपिटेशन में अध्ययन के लिए किया गया था, उसे सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। तुमलापल्ले में बीएआरसी और यूसीआईएल टीम के संयुक्त प्रयास तथा सराहनीय प्रयास के साथ संयंत्र के प्रदर्शन में तेजी से सुधार हो रहा है।

परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) के पास देश में स्वदेशी ईंधन के साथ परमाणु बिजली उत्पादन में बहुसंख्यक वृद्धि के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना है। यूसीआईएल ने अपनी इकाइयों से उत्पादन में वृद्धि और नई इकाइयों की स्थापना के लिए एक दीर्घकालिक योजना को रेखांकित किया है जिससे डीएई के विजन के अनुरूप मांग को पूरा किया जा सके। पंद्रह सालों में उत्पादन को दस गुणा बढ़ाने के लिए खाका तैयार कर लिया है। इस योजना में शैक्षणिक संस्थानों, आर एंड डी केंद्रों तथा व्यवहार्यता अध्ययन एवं अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए विशेष समूहों का उपयोग भी शामिल है। इसके अलावा, इस विजन का उद्देश्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार के रूप में वृहद पैमाने पर सामाजिक और आर्थिक लाभ, आधारभूत संरचनाओं का विकास और परियोजना स्थलों के आसपास जीवनयापन के बेहतर मानक प्रदान करना है।

राजस्थान के रोहिल में खोजपूर्ण खनन के लिए पोर्टल निर्माण की खुदाई पहले से ही शुरू हो चुकी है और कर्नाटक के गोगी में खोजपूर्ण गतिविधियां जिसे माइन डिस्चार्ज वाटर में इलेक्ट्रोड गतिविधियों के कारण ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था, अब खदान के पानी को परिष्कृत करने हेतु आयन-एक्सचेंज सुविधा के निर्माण के साथ प्रगति कर रहा है। आपकी कंपनी उचित समय पर रोहिल, गोगी और तुमलापल्ले संयंत्र के विस्तारीकरण में परियोजना पूर्व गतिविधियां शुरू करने को उत्सुक है। नये पर्यावरण मंजूरी की प्रक्रिया के लिए गतिविधियों के लिए पहल की गई है और लोगों के बीच सद्भावना पैदा करने के लिए जन कल्याण गतिविधियों को तेज कर दिया गया है। तेलंगाना के लांबापुर में भूमि अधिग्रहण प्रगति पर है और मेघालय में केपीएम परियोजना के लिए आवश्यक मंजूरी मिलने की प्रतीक्षा की जा रही है। अनुमोदन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए बैठकों के माध्यम से नियमित रूप से फॉलो-अप किया जा रहा है।

वर्ष के दौरान, कर्मचारियों के बीच बेहतर संबंध के साथ आपकी कंपनी के औद्योगिक संबंधों की स्थिति संतोषजनक बनी रही है। समय-समय पर प्रबंधन, यूनियन प्रतिनिधियों तथा ऑफिसर्स एसोसिएशन के बीच शांतिप्रद माहौल में कर्मचारी कल्याण, पदोन्नति, प्रशासनिक उपायों, आवास आवंटन आदि से संबंधित सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार – विमर्श आदि किया गया। वेतन संशोधन के लिए समझौता सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और आवश्यक मंजूरी के बाद इसे जल्द ही लागू किया जाएगा। आपकी कंपनी लगातार कॉरपोरेट गवर्नेंस मानदंडों को बनाए रखने का प्रयास कर रही है।

आपकी कंपनी क्वालिटी एश्योरेंस के लिए आईएसओ 9001: 2008 प्रमाणन, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ 14001: 2004 प्रमाणन और पेशागत स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन के लिए आईएस-18001:2007 प्रमाणन को लगातार बरकरार रख रही है। जोखिम मूल्यांकन और प्रबंधन भी आईएस-18001:2007 के अंतर्गत आते हैं।

मुझे आपको यह सूचित करते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि आपकी कंपनी को महिला सशक्तीकरण की दिशा में इसके प्रयासों के लिए फाउंडेशन फॉर एक्सेलरेटेड कम्युनिटी इम्पावरमेंट, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक विकास में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए राष्ट्र विभूषण पुरस्कार 2015 देकर सम्मानित किया गया है। मुझे यूसीआईएल कर्मचारी की पुत्री ओलंपियन सुश्री लक्ष्मीरानी माझी की उपलब्धियों को



आपके साथ साझा करते हुए बेहद खुशी हो रही है। वह तीरंदाजी टीम का हिस्सा थी जिसने 2016 रियो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई किया था और महिलाओं के टीम की श्रेणी में क्वार्टर फाइनल में पहुंची थी। वह डेनमार्क में आयोजित 2015 वर्ल्ड आर्चरी चैम्पियनशिप की रजत पदक विजेता है। सेटी और सीएसआर में अन्य पुरस्कारों के अलावा, इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा गैर रत्न श्रेणी में आपकी कंपनी को सीएसआर में बेस्ट पी एस यू एण्ड सस्टेनबिलिटी तथा मोस्ट इको फ्रेंडली पी एस यू 2015 अवार्ड प्रदान किया गया है।

आपकी कंपनी के प्रदर्शन को साल 2015-16 के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ हस्ताक्षर किए गए समझौते के अनुसार बहुत अच्छा का दर्जा दिए जाने की उम्मीद है।

आपकी कंपनी ने अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, वियाना; न्युक्लियर एनर्जी एजेंसी, फ्रांस; वर्ल्ड न्युक्लियर एसोसिएशन, लंदन, यूरोप, जेनेवा आदि के लिए यूनाइटेड नॅसस इकोनॉमिक कमिशन जैसे अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में उत्कृष्ट तकनीकी करार को बनाए रखा है। नजदीकी शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थान जैसे आईआईटी खड़गपुर, आईएसएम धनबाद, एक्सएलआरआई जमशेदपुर, सीआईएमएफआर धनबाद, एनएमएल जमशेदपुर आदि के साथ तकनीकी करार दूरदेशी प्रौद्योगिकी के लिए उपयोगी जानकारी प्रदान कर रहा है।

मैं कम्पनी के प्रत्येक कर्मचारी के प्रयासों एवं प्रतिबद्धता की सराहना करता हूँ। मैं परमाणु ऊर्जा विभाग तथा इसके विभिन्न घटकों के सहयोग, विशेष रूप से बीएआरसी, एएमडी, एनएफसी और एनपीसीआईएल को उनकी निःस्वार्थ सहायता, मार्गदर्शन और सहयोग की भी सराहना करता हूँ। मैं कंपनी के सभी निदेशकों एवं सदस्यों के साथ ही निवर्तमान अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री डी आचार्य के प्रति आभार प्रकट करता हूँ।

अब, मैं कम्पनी के 31 मार्च, 2016 का तुलन पत्र एवं 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष का लाभ हानि, लेखा, आपके विचारार्थ, अनुमोदानार्थ एवं अंगीकरण के लिए प्रस्तुत करता हूँ।

धन्यवाद!

**सी के असनानी**

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

कोलकाता

23 सितम्बर, 2016

## निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में  
सभी सदस्यगण  
श्रीमान,

निदेशक मंडल की ओर से, हमारी कंपनी के 49वें वार्षिक रिपोर्ट के साथ 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तथा अंकक्षित लेखा, और भारत के कॉन्ट्रोलर तथा महालेखा परीक्षक द्वारा उस पर प्रतिवेदन को पेश करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है।

## 1.0 प्रदर्शन के प्रमुख बिंदु :

## 1.1 वित्तीय प्रदर्शन :

	(लाख ₹ में)	
	चालू वर्ष 2015-16	पिछले वर्ष 2014-15
आय	1,02,462.88	88,983.89
मूल्यहास और पूर्व अवधि समायोजन से पूर्व लाभ	24,428.95	9,324.58
घटाएं : (अ) मूल्यहास	8,581.18	8,185.84
जोड़े : (ब) पूर्व अवधि समायोजन	(42.12)	(5.48)
कर पूर्व लाभ	<b>15,805.65</b>	<b>1,133.26</b>
घटाएं: (अ) टैक्स का प्रावधान	5,889.37	1,225.41
(ब) पिछले वर्ष के लिए	NIL	(119.20)
(स) आस्थगित कर का प्रावधान	(296.20)	(791.26)
कर पश्चात लाभ	<b>10,212.48</b>	<b>818.31</b>
जोड़े : पिछले साल से प्राप्त	24,844.21	25,408.26
घटाएं : मूल्यहास के लिए समायोजन (शुद्ध कर)	NIL	1,020.97
विनियोजन के लिए कुल उपलब्ध अधिशेष	35,056.69	25,205.60
<b>विनियोजन :</b>		
जनरल रिजर्व	3,064.00	164.00
प्रस्तावित लाभांश	3,064.00	164.00
लाभांश पर कर	623.77	33.39
विनियोजन के पश्चात कुल अधिशेष	28,304.92	24,844.21
	<b>35,056.69</b>	<b>25,205.60</b>

वर्ष के दौरान, हमारी कंपनी ने कॉरपोरेट आयकर, लाभांश कर, केंद्रीय बिक्री कर, वैट, प्रवेश कर, एक्साइज ड्यूटी, सीमा शुल्क (आयात) और रॉयल्टी के कारण सरकारी खजाने को 6501.51 लाख (पिछले साल 2762.20 लाख रुपये) का योगदान दिया है।

## 1.2 ऑपरेटिंग प्रदर्शन

वर्ष 2015-16 के दौरान हमारी कंपनी के सभी ऑपरेटिंग इकाइयों का प्रदर्शन संतोषजनक दर्ज किया गया है।

### • जादुगोडा खान

देश की पहली यूरेनियम खदान जो 1967 से ही संचालन में है, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध रूप में खनन पट्टे पर डीमंड एक्सटेंशन के अवलोकन के पश्चात 8 सितम्बर 2014 से उत्पादन बंद रहा है। इस अवधि के दौरान, झारखंड सरकार द्वारा पट्टे को निष्पादित और पंजीकृत किया गया। जादुगोड़ा-भाटिन खान क्षेत्र के वन भूमि के 154.644 हेक्टेयर के विचलन का नवीकरण (खनन पट्टा क्षेत्र की 1312.62 एकड़ भूमि में से) का कार्य प्रगति पर है।

### • भाटिन खान

भाटिन का आधुनिकीकरण परियोजना के अंतर्गत उच्च उत्पादन के लिए खान का नक्शा तथा अयस्क ऊपर उठाने की व्यवस्था का उन्नयन किया जा रहा है। इस आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत प्रमुख खनन गतिविधियां लंबित वन भूमि विचलन के कारण रुकी हुई हैं, वहीं कुछ संबंधित गतिविधियां प्रगति पर हैं।

### • नरवापहाड़ खान

नरवापहाड़ खान अपने शॉट-डिकलाइन इंट्री कम्बीनेशन तथा 1000 टन प्रतिदिन उत्पादन क्षमता सहित देश का सर्वाधिक आधुनिक भूमिगत यूरेनियम खान है। इसका लेआउट पट्टी विहीन उपकरण के नियोजन की सुविधा प्रदान करता है जो इसकी उच्च उत्पादकता एवं उन्नत सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। वर्ष के दौरान खान में पूर्ण क्षमता का उपयोग दर्ज किया गया है। खान की क्षमता 1500 टीपीडी तक बढ़ा दी गई है। उपरोक्त संदर्भ में पर्यावरणीय जन सुनवाई का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है।

### • तुरामडीह खान

इस खान में आधुनिक भूमिगत पट्टी विहीन

खनन का उपयोग 750 टन प्रतिदिन की निर्धारित क्षमता को 1000 टन प्रतिदिन तक विस्तार किया जा रहा है। वर्ष के दौरान, तुरामडीह खान में शत प्रतिशत उपयोग क्षमता दर्ज की गयी है। तुरामडीह में ओर होइस्टिंग एवं क्रशिंग सिस्टम में सुधार प्रगतिधीन है। खदान के एक सेक्शन में सब लेवल स्टॉपिंग विधि को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है।

### • बांदुहुरांग ओपन कास्ट खान

यह 3500 टन प्रतिदिन उत्पादन क्षमता वाली देश की पहली ओपन कास्ट यूरेनियम माइंस है। वर्ष के दौरान 99.57% की क्षमता उपयोग के साथ समग्र प्रदर्शन संतोषजनक रहा।

### • बागजाता खान

बागजाता खान से उत्पादित अयस्क जादूगोड़ा संयंत्र में संसाधित किया जाता है। बागजाता खान से उच्चतर उत्पादन ने क्षेत्र में परिवहन के लगातार अवरोधों के विरुद्ध जादूगोड़ा संयंत्र में एक बफर के रूप में भंडार बनाने में मदद किया है। हालाँकि खान का लोकेशन और सामान्य विधि व्यवस्था की समस्या, खान से संयंत्र तक सुगम अयस्क परिवहन को प्रभावित किया है। वर्ष के दौरान, खान में शत प्रतिशत क्षमता उपयोग दर्ज की गयी है।

### • मोहुलडीह भूमिगत खान

यह खान हमारी कंपनी द्वारा हाल ही में कमीशन किया गया है और इसने पट्टी विहीन उपकरण के नियोजन की आधुनिक पद्धति को अपनाया है। वर्ष के दौरान क्षमता उपयोग में पिछले साल की तुलना में वृद्धि हुई है। इस खान से उत्पादित अयस्क को तुरामडीह संयंत्र में प्रोसेस किया जाता है।

### • जादुगोड़ा संयंत्र

देश का सबसे पुराना अयस्क प्रसंस्करण संयंत्र जिसकी मौजूदा प्रसंस्करण क्षमता 2500 टन प्रति दिन है, ने जादुगोड़ा और भाटिन खान में उत्पादन स्थगन के बावजूद वर्ष के दौरान 80 प्रतिशत उपयोग क्षमता दर्ज किया है। संयंत्र यूरेनियम पैरॉक्साइड का उत्पादन करता है, जो

पर्यावरण के अनुकूल एवं मूल्य वर्धित उत्पाद से एनएफसी के प्रसंस्करण अभ्यासों को लाभान्वित करता है।

#### ● तुरामडीह मिल

3000 टन प्रति दिन अयस्क प्रसंस्करण क्षमता के साथ तुरामडीह संयंत्र हमारी कंपनी के उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान के साथ अच्छी तरह से प्रदर्शन कर रही है। यह संयंत्र उन्नत उपकरणों तथा आधुनिक नियंत्रण निगरानी सुविधाओं से सुसज्जित है। यह तुरामडीह, बांदुहुरांग और मोहुलडीह खान से सिंचित है। वर्ष के दौरान संयंत्र ने शत प्रतिशत उपयोग क्षमता हासिल किया है।

#### ● बाय-प्रोडक्ट रिकवरी संयंत्र

वर्ष के दौरान जादुगोडा में बाय-प्रोडक्ट रिकवरी संयंत्र से मैग्नेटाइट के उत्पादन में अच्छी प्रगति हुई है। जादुगोडा संयंत्र से उत्पादित मैग्नेटाइट की उच्च शुद्धता की बाजार में अच्छी मांग है। हालांकि, वर्तमान में कोयला खान और वाशरीज के बंद होने की वजह से मैग्नेटाइट का कुल खरीद प्रभावित हुआ है।

### 1.3 नई परियोजनाएं :

#### ● तुम्मलापल्ले यूरेनियम परियोजना, आंध्र प्रदेश :

इस परियोजना में भूमिगत खान एवं प्रसंस्करण संयंत्र के साथ कई नवोन्वेशी प्रौद्योगिकियां शामिल हैं, जिसे देश में पहली बार अपनाया गया है। खान ने पहले ही 80 प्रतिशत उत्पादन क्षमता को हासिल कर लिया है और पर्याप्त अयस्क को खरीदकर भंडार कर दिया गया है। हैंगवाल लोड के उत्खनन का प्रयास, जो कि खराब रुफ कंडीशन के मद्देनजर एक चुनौती है, पर “तुम्मलापल्ले खान में ए ट्रायल स्टॉपिंग इन एच डब्ल्यू लोड” परियोजना के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है। लीच लीकर में कॉस्ट्रेशन में सुधार करने के लिए उत्पाद की रिडिऑल्यूशन पर एक गहन अध्ययन के बाद, मार्च 2016 में रि-डिऑल्यूशन सिस्टम (आरडीएस) के औद्योगिक सुविधा का निर्माण

पूरा कर लिया गया। उत्पाद के प्रेसिपिटेशन और रिकवरी में सुधार करने के लिए जल्द ही इस सिस्टम का कमीशन किया जाएगा।

#### ● गोगी यूरेनियम परियोजना, कर्नाटक :

खान से निकलने वाले पानी में अधिक यूरेनियम के कथित मुद्दे पर जुलाई 2012 से ही खोजपूर्ण खनन स्थगित कर दिया गया था। बीएआरसी और आईजीसीएआर प्रौद्योगिकी के साथ खान के ईलूएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी) के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी के विकास के बाद, खान के पानी के यूरेनियम निकालने के लिए सुविधा का निर्माण कार्य प्रगति पर है। ईटीपी की संस्थापना के लिए 15 करोड़ रुपये का नया प्रस्ताव अनुमोदन के अधीन है और ईआईए/ईएमपी के लिए संबंधित खोजपूर्ण खदान विकास अध्ययन के लिए नई शुरुआत की गई है। पिरामल हेल्थकेयर के साथ मोबाइल चिकित्सा शिविर की शुरुआत की गई है।

#### ● लांबापुर यूरेनियम परियोजना, तेलंगाना :

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट परमाणु ऊर्जा कमीशन (एईसी) द्वारा अनुमोदित किया गया है और एमओईएफ से पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त कर लिया गया है। तेलंगाना सरकार से माइनिंग लीज का अनुमोदन और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापना के लिए सहमति का अभी तक प्रतीक्षित है। सरकारी भूमि का हस्तांतरण, वन विचलन और निजी भूमि के अधिग्रहण के लिए आवेदन किया जा चुका है।

#### ● केलेंग-पेंडेंगसोहियोंग परियोजना, मेघालय :

आपकी कम्पनी मेघालय के दक्षिण पूर्वी खासी हिल्स जिले में केलेंग-पेंडेंगसोहियोंग (के.पी.एम. परियोजना) के लिए भारत सरकार की मंजूरी प्राप्त करने का प्रयास जारी रखे हैं। समय समय पर राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक एवं वार्ताएं की जा रही हैं। स्थानीय लोगों से सकारात्मक प्रतिक्रिया बनाने एवं यूरेनियम खनन की वजह से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव, भूमि हस्तांतरण बाहरी लोगों के आमद इत्यादि की डर को मिटाने के लिए आपकी कम्पनी के द्वारा

सफलतापूर्वक सड़कों एवं पुलों, स्वास्थ्य केंद्रों, शैक्षणित केंद्रों एवं अन्य सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमों के लिए सहायता जैसी कल्याणकारी गतिचिधियाँ कार्यान्वित की जा रही हैं। इससे स्थानीय जनसंख्या को सकारात्मक पर्यावरण सान में साथ लाने में मदद मिली है।

#### ● रोहिल यूरेनियम भण्डार, राजस्थान

आपकी कम्पनी से इस क्षेत्र में अन्वेषण खनन कार्य करने के लिए ए.एम.डी. के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अन्वेषण खनन कार्य की योजना आवश्यक अनुमोदन हेतु ए.एम.डी. के पास जमा कर दिया गया है। इसमें भूमिगत विकास, सतही सुविधा एवं मशीनरी, टी.डी.पी.पी. जादूगोड़ा में सुविधा का उन्नयन तथा खान क्षेत्र में एक पायलट संयंत्र की स्थापना शामिल है। इस संबंध में ए.एम.डी. के साथ एम.ओ.यू. अंतिम चरण तक है और जल्द ही हस्ताक्षर हो जाएगी।

#### ● तुरामडीह में मैग्नेटाइट प्रति-प्राप्ति संयंत्र :

तुरामडीह का नया मैग्नेटाइट प्रति-प्राप्ति संयंत्र, अवशेष से उपयोगी उत्पाद की प्रतिप्राप्ति में सहायता करेगा तथा आपकी कम्पनी की वित्तीय स्थिति को उन्नत करेगा। मेकॉन से डिजाइन आधारित रिपोर्ट (डी.बी.आर.) और ए.ई.आर.बी. से स्वीकृति जल्द ही मिलने की उम्मीद है। प्रमुख सिविल क्रियाकलाप प्रगति पर है। सभी प्रमुख निविदा कार्य पूर्ण हो गए हैं और प्रमुख उपकरणों हेतु आदेश निर्गत कर दिये गये हैं।

#### ● तुरामडीह में यूरेनियम पेरोक्साइड फैसिलिटी :

एन.एफ.सी. में यूरेनियम पेरोक्साइड के रूप में यूरेनियम का उत्पादन बेहतर पर्यावरणीय प्रबंधन को मदद करेगा। प्रोजेक्ट निर्माण कार्य हो गया है तथा ट्रायल रन सफलता पूर्वक हो चुका है। यह प्रोजेक्ट ए.ई.आर.बी. क्लीयरेंस के बाद कमीशन किया जाएगा।

#### ● जादूगोड़ा में चतुर्थ चरण टेलिंग पॉण्ड :

आपकी कम्पनी ने जादूगोड़ा संयंत्र के टेलिंग प्रबंधन के लिए सामर्थ्य निर्माण ही दिशा में अतिरिक्त 10 वर्षों के लिए प्रथम चरण टेलिंग पॉण्ड के द्वितीय फेज का निर्माण किया है। साइट गतिविधियों के लिए कुछ प्रमुख ठेके प्रदान किये गए हैं। पूजन स्थल (जाहिरा) की सुरक्षा के लिए स्थानीय आबादी के द्वारा निर्माण कार्य बाधित

हुआ है, जबकि सम्बंधित क्षेत्र की सुरक्षा के लिए उपाय किये गए हैं।

#### ● तुरामडीह में द्वितीय चरण का टेलिंग पॉण्ड :

तुरामडीह का द्वितीय चरण टेलिंग पॉण्ड तुरामडीह संयंत्र के अवशेष के प्रबंध के लिए क्षमता का निर्माण अगले 10 वर्षों तक के लिए किया जा चुका है।

#### ● कॉपर टेलिंग से यूरेनियम प्रति-प्राप्ति संयंत्र :

आपकी कम्पनी ने राखा एवं सुरदा माइन्स में मेसर्स हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के संचालन से यूरेनियम प्रति-प्राप्ति हेतु यूरेनियम प्रति-प्राप्ति संयंत्र के निर्माण का प्रस्ताव किया है। प्रोजेक्ट का डी.पी.आर, तैयार हो गया है और अनुमोदन की प्रतीक्षा है। पर्यावरणीय स्वीकृति तथा सरकारी भूमि का हस्तान्तरण प्रक्रिया में है।

#### ● भाटीन माइन्स का आधुनिकीकरण

विन्जेज में से एक को गहरा कर, ओरबॉडी स्तर को उन्नत, सूक्ष्म उपकरणों को उत्क्रमित तथा नये पटरीविहीन उपकरणों का क्रय करते हुए भाटिन खान में खनन संचालन के विस्तार का प्रस्ताव है। प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है। तथापि खनन कार्य फोरेस्ट लैण्ड डायवरसन की वजह से रूका हुआ है।

#### ● सिंहभूम और तुम्मलापल्ली संचालन का डिबोटलनेकिंग :

माइन्स एवं मिल में अपनाई गई डिबोटलनेकिंग परीयोजना, लगातार उच्च प्रदर्शन स्तर को कायम रखने में मदद करेगी। विभिन्न क्षेत्र चिन्हित किये गए हैं जिन्हें, सुगम सतत उत्पादन हेतु आधुनिक/संशोधित किये जाने की आवश्यकता है। कम्पनी, दो विभिन्न शीर्ष-सिंहभूम संचालन का डिबोटलनेकिंग तथा तुम्मलापल्ली संचालन का डिबोटलनेकिंग के तहत वर्गीकृत करते हुए कुल सात परीयोजनाओं का प्रस्ताव लायी है। 12 वीं योजनावधि के मध्यक्रम समीक्षा में व्यवस्था की गई है। स्थायी परियोजना मूल्यांकन समिति (एस.पी.ए.सी.) ने परियोजना को अनुमोदित कर दिया है। निविदा कार्य प्रगति पर है।

#### 1.4 समझौता ज्ञापन निष्पादन

भारत सरकार के परमाणु उर्जा विभाग के साथ हुए समझौता ज्ञापन के संदर्भ में वर्ष 2015-2016 में आपकी कम्पनी के निष्पादन कार्य को "बहुत अच्छा" रेटिंग मिलने की आशा है।

**2.0 लाभांश में तथा रिजर्व में स्थानान्तरण :**

आपके निदेशकगण 156461.78 लाख रुपये के प्रदत्त पूँजी के उपर 3064 लाख रुपये लाभांश देने का सिफारिश करते हुए प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं (विगत वर्ष यह राशि 164.00 लाख रुपये थी) तदनुसार लाभ से 3064.00 लाख रुपये की यह राशि सामान्य आरक्षित राशि में स्थानान्तरित किया गया तथा वर्ष 2015-16 के लिये लेखा में 623.77 लाख रुपये (विगत वर्ष 39.39 लाख रुपये) लाभांश पर कर के लिए प्रावधान किया गया है।

**3.0 अंश पूँजी :**

वर्ष के दौरान कम्पनी की अधिकृत अंशपूँजी 2500 करोड़ रुपये तथा 31.03.2016 को निगमित अंशपूँजी 1564.62 करोड़ रुपये हुई।

**4.0 उर्जा संरक्षण/प्रौद्योगिकी का समावेश, अनुकूलन, नवउत्पाद तथा विदेशी मुद्रा का अर्जन एवं उपयोग :**

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3)(एम) कम्पनी (लेखा) नियम 2014 कानियम 8 के साथ पठित प्रौद्योगिकी का समावेश तथा विदेशी मुद्रा के उपयोग एवं अर्जन संबंधी विवरण इस प्रतिवेदन के अनुलग्नक-1 में दिखलाया गया है।

**5.0 औद्योगिक सम्बंध :**

वर्ष के दौरान औद्योगिक सम्बंध विभिन्न स्तरों के कर्मचारियों के साथ मधुर सम्बंध सहित संतोषजनक रहा। बैठकें नियमित रूप से सौहार्दपूर्ण वातावरण में आयोजित की जाती हैं जिसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान औद्योगिक शांति रही है। मीटिंग अच्छे माहौल में होने के कारण 10-03-2016 को सभी चार यूनियन के साथ कामगारों के वेतन से संबंधित समौता एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर हो गया है जो कि 01-04-2013 से 31-03-2018 तक के लिए प्रभावी है।

**6.0 श्रम शक्ति :**

31.03.2016 को आपकी कम्पनी में कर्मचारियों की कुल संख्या 4757 थी। कम्पनी में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कम्पनी की कुल कार्यशक्ति का 50.77% है। 31.03.2016 को कम्पनी में भूतपूर्व सैनिकों की संख्या 2 तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की संख्या 13 थी। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मार्गदर्शनों के आधार पर आरक्षित कोटा

भरने के लिए कम्पनी द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है।

**7.0 प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी**

आपकी कम्पनी ने सभी स्तरों पर सौहार्दपूर्ण संबंध कायम रखा है। विभिन्न संचालित इकाइयों के कर्मचारियों की शिकायत से संबंधित मुद्दों को केंद्रित करते हुए शॉप समिति की कुल 40 बैठकें की गई। ये मुद्दे बाद में उच्च प्रबंधन की जानकारी में लाए गए। कर्मचारियों को भविष्य निधि के न्यास बोर्ड, ग्रैच्युटी निधि न्यास, मृत्यु लाभ योजना, कर्मचारी पारिवारिक सहायता योजना, कल्याण निधि योजना तथा का-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी आदि योजनाओं में प्रतिनिधित्व दिया गया। कर्मचारियों के प्रतिनिधि सुरक्षा समिति, कैंटिन प्रबंधन समिति तथा स्पोर्ट्स समिति इत्यादि के सदस्यों के रूप में सक्रिय भूमिका निभाते हैं।

**8.0 कर्मचारियों का विवरण**

वर्ष 2015-16 के दौरान पारिश्रमिक विवरण निम्नवत् है:

- श्री डी. आचार्य  
(अधक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक) : 29.80 लाख
- श्री एस.के. श्रीवास्तव,  
निदेशक (तकनीकी)  
(31-01-2016 तक) : 32.90 लाख
- श्री देवाशीष घोष,  
निदेशक (वित्त) : 23.57 लाख

**9.0 मानव संसाधन विकास एवं प्रशिक्षण :**

आपकी कम्पनी, अपने मानव संसाधन को लगातार विकास की महत्वपूर्ण आवश्यकता को समझाते हुए और कर्मचारियों के सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक अच्छी तरह से तैयार प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान की गई है। नवीनतम अवधारणाओं और उनके विकास की जरूरतों के बराबर में कर्मचारियों को रखने के क्रम में श्रमिक संवर्ग के कर्मचारियों के लिए प्रत्येक इकाई में स्थित व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र में और अधिकारियों एवं पर्यवेक्षकों के लिए प्रबंधन प्रशिक्षण केन्द्र में और अधिकारियों के लिए प्रबंधन केंद्र (एम.टी.सी.) में नियमित रूप से प्रशिक्षण प्रदान की जाती है। युवा अधिकारियों के कैरियर विकास हेतु, एक वर्ष पूर्व आरंभ की गई योजना ने आकर्षित करने, कर्मचारियों को रोके रखने तथा प्रेरित करने के लिए

कर्मचारियों को रोके रखने तथा प्रेरित करने के लिए कम्पनी की मदद की है।

आपकी कम्पनी ने वर्ष के दौरान विभिन्न मंचों और देश भर में ख्यातिप्राप्त संस्थानों द्वारा आयोजित सेमिनारों, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों तथा कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए 116 अधिकारियों को प्रायोजित किया। कर्मचारियों के स्कूल गैप/कर्मचारियों के प्रशिक्षण की आवश्यकता की पहचान करने का कार्य आपकी कम्पनी के द्वारा पहचान प्रतिचित्रण के माध्यम से करना अपनाया गया और इस क्रम में मौजूदा श्रमशक्ति के कौशल, ज्ञान एवं योग्यता में वृद्धि करने के लिए वर्ष के दौरान प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र, नरवापहाड में अन्तर्गृह प्रशिक्षण कार्यक्रम / कार्यशालाएं वृहत क्षेत्र में आयोजित किये गए। वर्ष 2015-16 के दौरान 315 अधिकारी एवं पर्यवेक्षकगण 798 दिनों के अन्तर्गृह प्रशिक्षण में भाग लिये।

#### 10. सुरक्षा :

आपकी कम्पनी के पास सुव्यवस्थित सुरक्षा एवं व्यावसायिक स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली है। इसने आईएस:18000:2007 व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा प्रबंधन प्रमाणन हासिल किया है। यूसिल के विभिन्न खादानों का नियमन खान सुरक्षा महा निदेशालय के द्वारा खान अधिनियम, 1952 के अंतर्गत किया जाता है। 18 मई, 2016 को त्रिपक्षीय वार्ता खान सुरक्षा महानिदेशालय, धनबाद, ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि, यूसिल तथा प्रबंधन यूसिल के साथ हुई जिसमें प्रमुख ठेकेदार भी शामिल हुए। त्रिपक्षीय वार्ता का मुख्य मुद्दा पहले हुए त्रिपक्षीय वार्ता की सिफारिशों के अनुपालन की स्थिति तथा 11वीं खान सुरक्षा सभा की सिफारिशों का अनुपालन था। वर्ष के दौरान यूसिल ने चाईबासा क्षेत्र के वार्षिक सुरक्षा सप्ताह में भाग लिया और आयोजन किया, जो कि वर्ष 2014-15 और 2015-16 के लिए क्रमशः 22-28 जून, 2015 तथा 29 फरवरी - 6 मार्च, 2016 तक चला। यूसिल के सभी खान एवं मिलों को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किये गए। यूसिल में माइन्स रेस्क्यू रूल 1985 के अंतर्गत रेस्क्यू कम रिफ्रेशर ट्रेनिंग सेंटर है। यह यूसिल के अंदर तथा बाहर रेस्क्यू क्रियाकलापों में भाग लेती है। 46 अखिल भारतीय रेस्क्यू प्रतियोगिता, जो कि मध्य प्रदेश में 5-8 दिसम्बर तक आयोजित हुई थी,

में विभिन्न श्रेणियों में कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। यूसिल के माइन्स एवं मिल में विकिरण की सुरक्षा आईआरबी, मुंबई के द्वारा परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के तहत नियमित की जाती है। यूसिल के मिल की सुरक्षा भी आई आरबी फैक्टरी अधिनियम, 1948 के तहत करती है। यूसिल - एएमडी सुरक्षा समिति, यूसिल में विकिरण तथा औद्योगिक सुरक्षा को समय समय पर रिव्यू करती है। डीजीएमएस तथा आईआरबी के अलावे और भी अन्य नियामक संस्थाएं, जैसे: पीईएसओ, डील तथा विस्फोटक के उपयोग को नियमित करती है। सभी नियामक संस्थाएं अपने अपने कार्य क्षेत्र में समय समय पर निरीक्षण करती है। सभी माइन्स के अपने पिट सुरक्षा समिति हैं तथा मिल में प्लांट लेबल सुरक्षा समिति और सेक्शन लेबल सुरक्षा समिति है। इन बैठकों में ट्रेड यूनियन प्रतिनिधिगण सहित क्रॉस सेक्शन के कर्मचारीगण, कर्मचारियों के निरीक्षकगण, चिकित्सा अधिकारी गण तथा स्वास्थ्य भौतिकविद शामिल होते हैं। ये समितियाँ असुरक्षित गतिविधियों और काम करने के तरीकों, मिस्स इंसीडेंट्स पर चर्चा करते हैं। कर्मचारियों के नियोजन पूर्व और समय समय पर स्वास्थ्य जाँच के लिए यूसिल अस्पताल जादुगोड़ा, नरवापहाड़, तुरामडीह तथा तुम्मलापल्ले में योग्य व्यावसायिक स्वास्थ्य चिकित्सक है। ठेकेदार श्रमिकों सहित कर्मचारियों और पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विभिन्न इकाईयों से जुड़े व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र हैं। नरवापहाड़ के प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र में अधिकारियों एवं पर्यवेक्षकों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण आयोजित किये जाते हैं। आंतरिक सुरक्षा संगठन के प्रमुख सीधे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को रिपोर्ट करते हैं। वर्ष 2015-16 में कोई भी घातक दुर्घटना नहीं हुई है।

#### 11. निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) :

पूर्व वर्षों की तरह आपकी कम्पनी अपने संचालन इकाईयों के आसपास रहने वाले समुदायों के साथ एक स्थायी सम्बंध बनाने के लिए आपसी सम्मान, सक्रिय भागीदारी और दीर्घकालीन प्रतिबद्धताओं के माध्यम से प्रयास जारी रखे हुए है। हमारे निगमित सामाजिक दायित्व योजना के द्वारा प्रभावी पाइप्रबंधन तथा बॉटम-अप अप्रोच के द्वारा सामुदायिक सम्बंध कम्पनी के उन्नत प्रयासों का मार्गदर्शक बनी हुई है।

आपकी कम्पनी स्थानीय युवाओं को आय सृजन कार्यक्रम के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करने में और उनकी कमाई स्तर की क्षमताओं को उन्नत करने में और आत्म-निर्भरता की दिशा में प्रयास करने के लिए उन्हें सक्षम करने के लिए ग्रामीणों को नए कौशल प्रदान कर एक सक्रिय भूमिका निभा रही है। इन प्रयासों के तहत 2015-16 में आपकी कम्पनी के द्वारा सी एस आर गतिविधियों के तहत निम्नलिखित पहल किये गए :

- i) **शिक्षा :** गाँव के आसपास रहनेवाले गरीब बच्चों को प्रतिभा पोषण के तहत परमाणु ऊर्जा केन्द्रीय विद्यालय में दाखिला दिया गया और पोशाक, स्टेशनरी, किताबें, बैग इत्यादि दिये गए। मेधावी बच्चों को छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता भी दिये गए। डेस्क, कुर्सियों, टेबल, ब्लैक बोर्ड इत्यादि भी अधिकांश स्थानीय ग्रामीण विद्यालयों को उपलब्ध कराये गए।
- ii) **पेयजल :** आस पास के गावों में नए हैंड पंप स्थापित कर तथा स्वच्छ जल के लिए ओवरहेड टैंक का निर्माण कर पेय जल के लिए प्रवधान किये गए। पिछले वर्ष की तरह सभी हैंड पंप के लिए वार्षिक मरम्मत एवं रख-रखाव का ठेका प्रदान किया गया आर ओ प्लांट ग्रामीणों के लिए एक वरदान है। आपकी कम्पनी इन आर ओ प्लांटों को नन्दी फाउण्डेशन के द्वारा संचालन एवं रख-रखाव जारी रखे है।
- iii) **कौशल विकास :** स्थानीय समुदाय के कौशल को विकसित और बढ़ाने और उन्हें आत्म निर्भर बनाने के क्रम में अवधि के दौरान कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के विशेष रेंज आयोजित किये गए। इस सम्बंध में कंप्यूटर शिक्षा, अंग्रेजी एवं शॉफ्ट स्किल कोचिंग, फिनाइल निर्माण पत्ते के कटोरे बनाने, जरी साड़ी बनाने इत्यादि के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान किये गए। तुरामडीह का औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र (आई टी सी), वेल्डर, फिटर तथा विद्युत मिस्त्री ट्रेड में सफलतापूर्वक तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान कर रही। कुल 46 उम्मीदवार प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है।
- iv) **सिंचाई :** कृषि एवं सिंचाई पहल के तहत जादुगोड़ा इकाई के करीब अवस्थित माटीगोड़ा गाँव में सहायता उपलब्ध कराया गया था एवं ग्रामीणों को अच्छी फसल के लिए सक्षम बनाने के लिए बीज, खाद तथा कीटनाशक वितरित किये गए। सुअर एवं बकरी पालन के लिए स्वयं सहायता समूह (एस एच जी एस) को

पशुपालन के लिए कृषि विज्ञान केन्द्र के सहयोग से एस प्रशिक्षण कार्यक्रम भी प्रदान किये गए।

- v) **मुर्गागुट्ट तथा बागजाता गाँव में सड़क निर्माण कार्य,** जाहिर स्थान(पूजा स्थल) के लिए चहारदीवारी का निर्माण माहुलडिह गाँव में, नांदुप तथा बड़ा तालसा गाँव में नहाने का घाट और कुदादा गाँव में फुटबॉल मैदान का लेवलिंग जैसे कार्य आपकी कंपनी शुरू किये गये है। झारखंड राज्य के 15 स्कूलों में बिजली वायरिंग, ट्यूब लाइट तथा पंखे प्रदान किया गया है।
- vi) **स्वास्थ्य देखभाल :** आसपास के गाँवों में साप्ताहिक स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें मरीजों को मुफ्त दवाइयाँ उपलब्ध कराई गई। पिरामल हेल्थ केयर समूह के साथ आपकी कंपनी ने कर्नाटक में यादगीर जिले के गोगी परियोजना में एक चलंत चिकित्सा शिविर आरंभ किया है। स्थानीय समुदायों द्वारा इस पहल की अत्यंत सराहना की गई है और यह विपत्ती में सहायता प्रदान कर रही है।
- vii) **खेलकूद एवं संस्कृति :** आसपास के गाँव के 25 अच्छे फुटबॉल खिलाड़ियों को जमशेदपुर के विशेषज्ञों द्वारा फुटबॉल का प्रशिक्षण खाने पीने के साथ मुफ्त में दिलाया गया। खेलकूद के क्षेत्र में कोचिंग प्रदान कर तथा खिलाड़ियों को सम्बंधित सामग्री प्रदान कर फुटबॉल पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप जमशेदपुर फुटबॉल एसोसियेशन द्वारा आयोजित वर्ष के प्रीमियर डिविजन टूर्नामेंट में नरवापहाड़ खान फुटबॉल टीम ने जीत हासिल किया। अन्तर-राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय गेम में भाग लेने के लिए झारखंड के सर्वश्रेष्ठ साइकिल चालक श्री लखन हाँसदा को समर्थन देना जारी है। आपकी कम्पनी ने संस्कृति विरासत को बचाये रखने के लिए एवं उनके जातीय आबादी को सक्षम करने के लिए कुछ स्थानीय जनजातीय नृत्य एवं नाटकों का आयोजन किया।
- viii) **स्वच्छ भारत :** साफ सफाई और स्वच्छता के राष्ट्रीय एजेंडा के माननीय प्रधान मंत्री की स्वच्छ भारत अभियान की राह पर, आपकी कंपनी ने आस पास के विद्यालयों तथा मेघालय में अपनी इकाई के आस पास शौचालय का निर्माण किया है। आपकी कंपनी स्वच्छ पखवाड़ा की भांति स्वच्छता अभियान चलाती है और स्वच्छ जीवन के लिए समय समय पर योगा क्लास कराया जाता है।

सी एस आर समिति का गठन निम्नतब है:

- i) स्वतंत्र निदेशक - अध्यक्ष (20/03/2014 से पद रिक्त)
- ii) श्री एम एल मजुमदार, आई ए एस - एक बाहरी विशेषज्ञ
- iii) श्री एस के श्रीवास्तव - निदेशक (तकनीकी), यूसिल (31/01/2016 तक)

iv) श्री डी घोष - निदेशक (वित्त), यूसिल

#### 12.0 मान्यता एवं पुरस्कार

विभिन्न डोमेनों में आपकी कंपनी की उपलब्धियों को विभिन्न मंचों में विभिन्न प्लेटफार्म पर मान्यताप्राप्त होना गारी है 2015-16 के दौरान पुरस्कारों और सम्मान की सूची निम्नवत है

पुरस्कार	पुरस्कार का स्तर	अवार्ड	पुरस्कार के नाम
यूसिल	राष्ट्रीय	निर्माण, उद्योग, विकास कॉउन्सिल	आठवीं CIDC विश्वकर्मा अवार्ड (7जी मार्च, 2016, दिल्ली) श्रेणी अचिएवमेंट अवार्ड फॉर सोशल डेवलपमेंट एंड इम्पैक्ट
श्रीमती सुमित्रा सोय एवम श्रीमती लक्ष्मी हो फोर्क लिफ्ट ऑपरेटर यूसिल तुरामडीह माइंस	राष्ट्रीय	निर्माण, उद्योग, विकास कॉउन्सिल	आठवीं CIDC विश्वकर्मा अवार्ड (7जी मार्च, 2016, दिल्ली) श्रेणी अचिएवमेंट अवार्ड फॉर इन्टेजेंस एंड सुपरवाइजर
यूसिल	राष्ट्रीय	इंडिया टुडे अवार्ड	अवार्ड फॉर बेस्ट पी. एस. यू., सी. एस. आर. एवम निरंतरता श्रेणी नॉन रत्न 14जी दिसम्बर, 2015, नई दिल्ली
यूसिल	राष्ट्रीय	इंडिया टुडे अवार्ड	अवार्ड फॉर मोस्ट इको फ्रेंडली पी. एस. यू., श्रेणी नॉन रत्न 14जी दिसम्बर, 2015, नई दिल्ली
यूसिल	राष्ट्रीय	फाउंडेशन फॉर एक्सकेलेरेटेड कम्युनिटी एम्पॉवरमेंट	महिला सशक्तिकरण में राष्ट्रीय विभूषण सिल्वर अवार्ड 2015 विषय आउट स्टैंडिंग कोउन्ट्रीब्यूशन फॉर नेशनल एवम इकनोमिक फॉर सोशल डेवलपमेंट 13जी दिसम्बर, 2015, नई दिल्ली
यूसिल	राष्ट्रीय	श्रम मंत्रालय भारत सरकार	46 वीं आल इंडिया रेस्क्यू 2015(8जी दिसम्बर, 2015) मनेन्द्रगढ़ क) ओवरआल चैंपियन (मेटालिक फॉर माइंस) ख) विनर इन स्टाटुरी वर्क(मेटालिक फॉर माइंस) ग) विनर इन स्टाटुरी टेस्ट (मेटालिक फॉर माइंस) घ) रनर टीम इन रेस्क्यू एंड रिकवरी वर्क (मेटालिक फॉर माइंस) ङ) रनर टीम इन फ्रेश एयर बेस (मेटालिक फॉर माइंस)

पुरस्कार	पुरस्कार का स्तर	अवार्ड	पुरस्कार के नाम
			च) ओवरआल थर्ड बेस्ट टीम एवम इंटरनेशनल रेस्क्यू रूल नॉम्स (कोल एंड मेटल कंबाइन) छ) बेस्ट कैप्टेन अवार्ड टू श्री बी. ईल. डे, यूसिल मेटालिक फॉर माइंस)
डॉ. ए. के. सारंगी (महाप्रबंधक, कॉरपोरेट प्लानिंग)	राष्ट्रीय	एस. जी. ऐ. टी. भुवनेस्वर	एस. जी. ऐ. टी. अवार्ड ऑफ एक्ससेलेंस 2015, जियोलॉजी तथा अलाइड टेक्नोलॉजी में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए 13 दिसम्बर 2015
यूसिल	राष्ट्रीय	राज्य भाषा विभाग गृह मंत्रालय भारत सरकार	प्रथम पुरस्कार नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति राज भाषा विभाग गृह मंत्रालय भारत सरकार (29 सितम्बर, 2015) जमशेदपुर
सुश्री आई.रींझा. (सहायक अधिकक्ष) कॉर्पोरेट प्लानिंग	राष्ट्रीय	इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियर	सुश्री आई रींझा (सहायक अधिकक्ष) को लेडी इंजीनियर अवार्ड इंस्टिट्यूट द्वारा (15 सितम्बर, 2015) जमशेदपुर

### 13.0 कॉरपोरेट अभिशासन

कॉरपोरेट अभिशासन से संबंधित एक रिपोर्ट अनुलग्नक-11 में दी गयी है।

### 14.0 सार्वजनिक जमा

वर्तमान समीक्षा वर्ष के दौरान कम्पनी ने किसी भी व्यक्ति से कोई भी राशि नहीं स्वीकार की है।

### 15.0 इकोलॉजी एवं पर्यावरण संरक्षण

आपकी कम्पनी, सतत विकास के लिए पर्यावरण जिम्मेदारी की गहरी भावना रखती है। आपकी कम्पनी अपने चारों ओर की सभी इकाइयों में इकोलॉजी तथा पर्यावरण संरक्षण पर काफी जोर देती है। जादुगोड़ा, नरवापहाड़, तुरामडीह एवं तुम्मलापल्ली में भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बार्क) के हेल्थ फिजिक्स यूनिट, आवधिक रेडियोलॉजिकल एवं पर्यावरण निगरानी रखती है। बाहरी गामा विकिरण, रेडॉन कन्संट्रेशन, स्थगित कण मामले, एयरबॉर्न लॉग लिक्विड अल्फा ऐक्टिविटी को हवा में मॉनीटर की जाती है। सतह और अन्डरग्राउंड में यूरेनियम एवं रेडियम जैसे रेडियोन्यूक्लाइड्स की सान्द्रता, मिट्टी तथा खाद्य पदार्थ इत्यादि समय समय पर निगरानी किये जाते हैं। आपकी कम्पनी ने सभी इकाइयों के लिए पर्यावरण निगरानी एवं वैधानिक अनुपालन हेतु उप महाप्रबंधक

स्तर के एक वरिष्ठ अधिकारी के मार्गदर्शन में एक पर्यावरण अभियंत्रण प्रकोष्ठ (इ.ई.सी.) स्थापित किया है। सतत विकास की दिशा में आद्योगिक प्रयोग के लिए सभी खानों के पुनः उपयोग और पुनरावृत्ति के लिए प्रयास किये गए हैं। सम्बंधित खान से निकटतम अयस्क प्रसंस्करण संयंत्र तक के खान निर्मुक्त को जमा करने के लिए कई किलोमीटर पाइप लाइन बिछाये गए हैं। टाउनशिप के मल का उपचार, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस टी पी) में किया जाता है। अयस्क प्रसंस्करण संयंत्रों अपशिष्टों को आंशिक रूप से पुनः उपयोग योग्य बनाया जा रहा है। ई टी पी तथा एस टी पी के उपचारित निर्मुक्त सार्वजनिक क्षेत्र में छोड़े जाने के पूर्व नियामक अनुपालन के लिए निगरानी किये जाते हैं। क्षेत्र की परिस्थितिकी और सुंदरता बनाये रखने के लिए कम्पनी विकासशील पौधारोपण कार्यक्रम चलाती है। वर्ष के दौरान परिसर में 12350 की संख्या में पेड़ लगाये गए। आपकी कम्पनी अपने खानों के समीप और टेलिंग पॉण्ड में वेस्ट रॉक डम्प की विकासशील उपचार का कार्य शुरू की है। आपकी कम्पनी एक आई एस ओ 14001:2004 प्रमाणित संस्था है। उपरोक्त के साथ साथ आपकी कम्पनी टी यू व्ही - एन ओ आर डी द्वारा सत्यापित आई एस ओ 14001:2004 के अनुसार नरवापहाड़ टाइनशिप के पर्यावरणीय प्रबंध प्रणाली को

बनाये रखा है। आपकी कम्पनी कर्मचारियों, निवासियों और अन्य इच्छुक पार्टियों के लिए प्रबंधन प्रशिक्षण केन्द्र में पर्यावरण संरक्षण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाती है।

#### 16. आइ एस ओ प्रमाणीकरण

आपकी कम्पनी आई एस ओ 9001:2008 (गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रमाण पत्र) आई एस ओ 14001:2004 तथा आई एस ओ 18001:2007 (व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा प्रबंधन व्यवस्था के लिए प्रमाण पत्र) प्रमाणीकरण को बनाये रखा है। कंपनी को मोसर्स टी यू वी एण्ड मोसर्स बी आई एस द्वारा पुनः प्रमाणीकरण अंकेक्षण में आई एस ओ 14001:2004 तथा आई एस ओ 18001:2007 के लिए अगले तीन वर्षों के लिए सफलतापूर्वक प्रमाणित किया गया है। 14001:2004 तथा आई.एस. 18001:2007 के लिए अगले तीन वर्षों के लिए सफलतापूर्वक प्रमाणित किया गया है। आपकी कम्पनी का नरवाणहाड़ टाउनशिप, टी.यू.व्ही./एन.ओ.आर.डी. द्वारा आई.एस.ओ. 14001:2004 (पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली) के लिए देश में एकमात्र माइनिंग टाउनशिप होना बनाये रखा है।

#### 17. लघु एवं मध्यम स्तरीय उद्योग (एस.एम.ई.)

आपकी कम्पनी अपने आसपास के क्षेत्र के लघु एवं मध्यम उद्योगों के समुचित सामाजिक विकास में भूमिका अदा करती है। वर्ष के दौरान आपकी कम्पनी लघु एवं मध्यम उद्योगों को सहायता पहुँचाते हुए बहुत सारे यंत्रों एवं उपकरणों के स्वदेशीकरण में सफलता हासिल की है और इस प्रकार बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत की है। 2015-16 के दौरान 33.73 करोड़ रुपये (गत वर्ष 34.93 करोड़ रुपये) मूल्य का आदेश एस.एम.ई. पर दाखिल किया गया था।

#### 18. विदेश भ्रमण

इस वर्ष विदेश यात्रा पर 0.80 लाख रुपया खर्च हुआ जबकि विगत वर्ष 12.75 लाख खर्च हुआ था।

#### 19. विज्ञापन एवं प्रचार

विगत वर्ष के रु.287.74 लाख की तुलना में इस वर्ष विज्ञापन तथा प्रचार कार्य पर 318.11 लाख खर्च हुआ। यह खर्च नियुक्तियों एवं निविदा सम्बंधी सूचनाओं के प्रसारण पर किया गया। आपकी कम्पनी विज्ञापन एवं

प्रचार के लिए बेवसाइट के उपयोग में वृद्धि के प्रति प्रगतिशील है।

#### 20. हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

राजभाषा अधिनियम तथा नियमों के कार्यान्वयन के लिए सरकार की नीतियों के अनुसरण में वर्ष 2015-16 में कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगातार प्रयास किये जाते रहे हैं। राजभाषा कार्यान्वयन समिति उपरोक्त कार्यों की समय समय पर समीक्षा करती रहती है। दिनांक 16 सितम्बर, 2015 से 22 सितम्बर, 2015 के दौरान “हिन्दी सप्ताह” का आयोजन किया गया। वर्ष के दौरान कर्मचारियों ने कार्यक्रमों में सक्रियता से भाग लिया और प्रतियोगिताओं के माध्यम से नकद पुरस्कारों से सम्मानित किये गए। समय समय पर कम्पनी की विभिन्न इकाइयों में हिन्दी कार्यशाला आयोजित किये जाते हैं। कार्यशाला को आकर्षित एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से कम्पनी के बाहर से हिन्दी के अच्छे अच्छे वक्ताओं को आमंत्रित किया जाता है। वर्ष के दौरान कम्पनी के द्वारा उत्कृष्ट हिन्दी कार्यशाला आयोजन को देखते हुए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जमशेदपुर, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा आपकी कम्पनी को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सरकारी, स्वायत्तशासी, सार्वजनिक उपक्रमों एवं वित्तीय संस्थानों के बीच हिन्दी कार्यशाला के आयोजन में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार आपकी कम्पनी को लगातार तीसरे वर्ष प्राप्त हुआ है।

आपकी कम्पनी विभिन्न प्राधिकरण एवं विभागों द्वारा समय समय पर आयोजित हिन्दी कार्यशालाओं, सम्मेलनों में सक्रिय रूप से भाग लेती है।

#### 21. 21A- लेखा परीक्षकों की नियुक्ति

वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में मेसर्स अग्रवाल रमेश के.एण्ड कं., सनदी लेखाकार (14 आर.जे.एस. बिल्डिंग, प्रथम तल, डायमनल रोड, बिस्टुपूर, जमशेदपुर, झारखण्ड-831001) को भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

**21B -लागत लेखा परीक्षा**

कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत मेसर्स एस.कर्मकार एण्ड कम्पनी को लागत लेखाकार के लागत अंकेक्षक (को) के रूप में वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के लिए नियुक्त किया गया।

**22. सतर्कता**

निवारक सतर्कता पर संगठन के नियमों एवं विनियमों के अनुसार कड़ाई से पालन हो, इस पर जोर दिया जाता है। सभी निविदा आमंत्रण सूचना को कम्पनी के वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है तथा समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है। आपकी कम्पनी में पारदर्शिता लाने के लिए बोर्ड ने “इंडीग्रिटी पैकट” के साथ जालसाजी निरोधक नीति/विसल ब्लोअर नीति की स्वीकृति दी है जिसे कम्पनी के वेबसाइट पर डाला गया है। वर्ष के दौरान सावधिक रिपोर्ट/रिटर्न केन्द्रीय सतर्कता आयोग को प्रस्तुत किये गए हैं। आपकी कम्पनी के मुख्य सतर्कता अधिकारी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को रिपोर्ट करते हैं। आपकी कम्पनी में 26 अक्टूबर, 2015 से 31 अक्टूबर, 2015 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया।

श्री संजय बांगा, मुख्य सतर्कता अधिकारी, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड को यूसिल का मुख्य सतर्कता अधिकारी (अतिरिक्त प्रभार) दिनांक 22.04.2016 से नियुक्त किया गया।

**23. निदेशकों की नियुक्ति**

निदेशकों के नाम	दिनांक .....से नियुक्ति
श्री सी.के.असनानी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.09.2016
श्री आर.बी.चक्रवर्ती, एक्स-डीडीजीएम, नागपुर	01.09.2016
डॉ.उमाममहेश्वर राव, प्रोफेसर, खनन विभाग, आईआईटी, खड़गपुर	01.09.2016
डॉ.ए.के.रॉय	22.09.2016
श्री जी. कल्याणाकृष्णन	22.09.2016

**निदेशकों का समापन**

निदेशकों के नाम	दिनांक .....से समापन
श्री डी.आचार्य, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, यूसिल	31.07.2016
श्री एस.के.श्रीवास्तव, निदेशक (तकनीकी), यूसिल	31.01.2016
श्री राजीव गोंबा, मुख्य सचिव, झारखण्ड	31.03.2016
श्री एन.साइबाबा, मुख्य कार्यकारी, एनएफसी	31.05.2016
श्री पी.एस.परिहार, निदेशक, ए.एम.डी.	31.12.2015

निदेशकगण सर्वश्री डी.आचार्य, एस.के.श्रीवास्तव, राजीव गोंबा, एन.साइबाबा तथा पी.एस.परिहार के मूल्यवान सेवाएं प्रदान करने हेतु प्रशंसा करते हैं।

**24. दृष्टिकोण**

आपकी कम्पनी देश के योजनाबद्ध परमाणु कार्यक्रम की दिशा में ईंधन की निरन्तर आपूर्ति बनाये रखना चाहती है, जबकि झारखण्ड में सिंहभुम क्षेत्र से अधिकतम उत्पादन हेतु सभी प्रयास किये जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश में तुम्मलापल्ले परियोजना को चालू करना प्राथमिकता के आधार पर जारी है। देश के यूरेनियम उत्पादन में तुम्मलापल्ले का सफल संचालन एक महत्वपूर्ण पूंजी है। तुम्मलापल्ले में प्रक्रिया प्रौद्योगिकी उत्पाद के निर्बाध अवक्षेपण हेतु निरन्तर प्रगतिधीन है। तुम्मलापल्ले के चारों ओर सामर्थ्य विस्तारण नये खानों एवं संयंत्रों का निर्माण, उत्पाद का अनुप्रवाह प्रसंस्करण इत्यादि की योजना भी बनाई गई है।

स्थानीय आबादी की सेवा एवं उनके जीवन में परिवर्तन लाना हमेशा से आपकी कम्पनी का मार्गदर्शी दर्शन रहा है। कर्नाटक में गोगी, मेघालय में के.पी.एम., आंध्र प्रदेश में लांबापुर के संभावित उत्पादन केंद्रों के आसपास के स्थानीय लोगों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने की दिशा में प्रयास किये जा रहे हैं तथा यूरेनियम खनन के दुष्प्रभावों के मिथकों के शमन की दिशा में प्रयासों का विस्तार किया जा रहा है।

**25. निदेशकों का उत्तरदायित्व सम्बंधी विवरण**

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3)(सी) के

प्रावधानों के अनुसार आपके निदेशकगण बताते हैं कि :

- (i) वार्षिक प्रतिवेदन की तैयारी में लागू लेखा मानक को अपनाया गया है ।
- (ii) आपके निदेशकों ने उन्हीं लेखा-नीतियों को अपनाया है जो साधारणतया स्वीकृत लेखा उद्देश्यों के लिए मान्य है । इसे संगतरूप से अपनाया गया है तथा इसके साथ न्याय एवं मूल्यांकन किया गया है जो कि विवेकसंगत तथा न्यायपूर्ण है जिससे कि वित्तीय वर्ष के अंत में तथा उसी अवधि में लाभ हानि सम्बंधी सच्चा एवं स्पष्ट विचार प्रस्तुत किया जा सके ।
- (iii) आपके निदेशकों ने कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी सुरक्षा एवं बचाव तथा जालसाजी एवं अन्य अनियमितताओं का पता लगाने के लिए अभिलेखा रखने में मुख्य रूप से सावधानी रखा है ।
- (iv) आपके निदेशकों ने 'चालू संस्थान' के आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किया है ।

## 26. आभार प्रदर्शन

आपकी कम्पनी परमाणु ऊर्जा विभाग, परमाणु खनिज गवेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, नाभिकीय ईंधन समिश्र, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, झारखण्ड सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार, मेघालय सरकार, कर्नाटक सरकार, कॉरपोरेट मामलों में मंत्रालय, लोक उद्यम तथा अन्य मंत्रालयों के विभाग और भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संवैधानिक लेखा परीक्षा, मुख्य वाणिज्यिक लेखा परीक्षा निदेशक एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड-iv, नई दिल्ली, बैंकर्स एवं सभी अन्य एजेंसियाँ जो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कम्पनी से सम्बंधित है, द्वारा निरन्तर प्राप्त दिशा-निर्देश एवं सहायता के लिए आभार प्रकट करती है । आपकी कम्पनी सेन्ट्रल इंस्टीच्यूट फॉर माइनिंग एण्ड प्यूल रिसर्च, धनबाद, नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स एण्ड ग्राउण्ड कंट्रोल, कोलार, इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, खड़गपुर तथा इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद से प्राप्त प्रौद्योगिकी

उत्कृष्टता की दिशा में वैज्ञानिकी एवं अभियंत्रण सहयोग की भी प्रशंसा करती है । कम्पनी के कर्मचारी यूनियन एवं अधिकारी यूनियन के द्वारा दिये गए समर्थन के लिए भी कम्पनी आभार प्रकट करती है । आपकी कम्पनी यूसिल की इकाईयों के आसपास निवास करने वाले समुदायों, स्थानीय मिडिया, एन.जी.ओ. तथा समुदाय के विशिष्ट नागरिकों द्वारा दिये गए समर्थन के लिए भी आभार प्रकट करती है ।

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

**(सी.के.असनानी)**

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

कोलकाता

दिनांक: 23 सितम्बर, 2016

## निदेशको के प्रतिवेदन का अनुलग्नक— 1

### कंपनी नियम 2014 के अंतर्गत अपेक्षित विवरण

#### क ऊर्जा का संरक्षण

##### अ ऊर्जा संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय लागू किये गये/अपनाए गये

- (i) तुरामडीह मिल 9.3 KWVVVF मोटर ड्राईव का स्थापना
- (ii) 45 किलोवाट क्षमता सौर ऊर्जा संयंत्र से जुड़े ग्रिड की स्थापना
- (iii) 3 x 500 1 PD क्षमता का सोलर हिटर का संस्थापन
- (iv) LED लाईटिंग फ़िक्चसर का उपयोग
- (v) एनर्जी सेवर लाईटिंग पैनल्स का संस्थापन
- (Vi) सोलर स्ट्रीट लाईट का संस्थापन

##### ब ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए अतिरिक्त निवेश के साथ निम्नलिखित प्रस्तावो को लागू किया जाता है

- (i) 85 KWP क्षमता का सोलर पॉवर प्लान्ट ग्रिड का संस्थापन
- (ii) ऊर्जा संरक्षण पैनल का संस्थापन
- (iii) ऊर्जा कुशल मोटर का प्रयोग
- (iv) LED लाईटिंग फ़िक्चसर का उपयोग
- (v) सोलर स्ट्रीट लाईट का संस्थापन

##### स (अ) एवं (व) उपायो का अपनार्ये जाने के बाद

- (i) 244302 KWH की वचत (अ के कारण)
- (ii) 358071 KWH बचत की आशा (ब के कारण)

## विदेशी मुद्रा का अर्जन एवं उपयोग

आपकी कंपनी किसी निर्यात कारोबार में संलग्न नहीं है। तथापि, सीआईएफ आधार पर वर्ष के दौरान कलपूर्जों एवं पूंजीगत सामानों के क्रय पर 152.44 लाख (पिछले साल 349.92 लाख) रुपये विदेशी मुद्रा का उपयोग किया गया।

### प्रपत्र बी

अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकी को ग्रहण करने के संबंध में विवरण प्रपत्र :

#### अनुसंधान एवं विकास (आर ऐण्ड डी) :

**विशेष क्षेत्र जहां अनुसंधान एवं विकास का कार्य किया गया :**

- क) प्रेसिपिटेशन रिकवरी में सुधार करने के लिए तुम्मलापल्ली संस्करण संयंत्र में सोडियम डि-यूरेनेट(एसडीयू)रि-डिऑल्यूशन सिस्टम (आरडीएस) लागू करना।
- ख) झारखंड के सिंहभूम शियर जोन में कॉपरटेलिंग में यूरेनियम रिकवरी पैटर्न का अध्ययन
- ग) भूमिगत खान में रूफ को तेजी से मजबूत बनाने में शीघ्रता से बोल्ट स्थापित करना।
- घ) तुरामडीह में मैग्नेटाइट की गुणवत्ता और रिकवरी पर ग्राइंडिंग मिल में मिश्रित अयस्क के ग्राइंड आकार के प्रभाव का अध्ययन
- ङ) नरवापहाड़ खान के 140 एमएल पर रिमोट एसेट ट्रेकिंग सिस्टम (आरएटीएस) का पायलट

**स्केल पर अध्ययन उपरोक्त आर ऐंड डी कार्य के फलस्वरूप हुए लाभ :**

- क) तुम्मलापल्ले प्रसंस्करण संयंत्र में रि-डिऑल्यूशन सिस्टम आरडीएस के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन से निम्नलिखित लाभ हुए –
  - (i) सोडियम डि-यूरेनेट एसडीयू के कण आकार में वृद्धि से जल्दी निपटान में मदद मिली।
  - (ii) प्रेसिपिटेशन के बाद यूरेनियम रिकवरी में 40 प्रतिशत से बढ़कर 65 प्रतिशत तक वृद्धि

- ब) कॉपर टेलिंग से यूरेनियम रिकवरी पैटर्न के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन से निम्न सहायता मिली –

- (iii) उचित उपकरण का चुनाव और उनकी विशिष्टता को अंतिम रूप देना
- (iv) यूरेनियम रिकवरी में वृद्धि (पूर्व अभ्यासों की तुलना में करीब 10 प्रतिशत ज्यादा)

- स) क्विक-इस्टॉल बोल्ट्स के इस्तेमाल से भूमिगत खुदाई में मदद मिलेगी

- (i) तुम्मलापल्ले खान में माइनिंग हैंगवाल लोड के लिए उन्नत रूफ कंट्रोल प्रणाली तथा सपोर्ट सिस्टम
- (ii) तुम्मलापल्ले खान के हैंगवाल लोड में बंद विशाल यूरेनियम रिजर्व का उपयोग

- घ) तुरामडीह मिल के ग्राइंडिंग मिल में अयस्क की पिसाई के आकार के निर्धारण से निम्न मदद मिलगी

- (i) मैग्नेटाइट की रिकवरी में वृद्धि
- (ii) मैग्नेटाइट की लागत प्रभावी रिकवरी के लिए ग्राइंडिंग स्थिति का इष्टतम उपयोग

**भविष्य की रूपरेखा**

- क) पम्पिंग की अनुकूलता के लिए प्रसंस्करण संयंत्र में विभिन्न स्लरी की चिपचिपाहट का अध्ययन ।
- ख) कॉपर टेलिंग्स में यूरेनियम प्रतिप्राप्ति पद्धति का अध्ययन

**अनुसंधान एवं विकास पर खर्च**

(क) राजस्व	रु 536.06 लाख
(ख) पूँजी	रु 3.94 लाख
कुल	रु 540.00 लाख

**प्रायोगिकी समावेश, अनुकूलन एवं नवीनीकरण**

सिंहभूम अपरुपण क्षेत्र में विशिष्ट संशोधन के साथ गैर प्रविष्टि प्रकार के स्टॉलिंग पद्धति का प्रयोग, प्रायोगिकी

का एक अभिनव कदम है । यह नये प्रैक्टिस से न केवल खनिजों की सुरक्षा बल्कि उत्पादन के लागत में भी फायदा होगा ।

तुम्मलापल्ली खान में क्विक-स्टॉल बोल्ट्स के अपनाये जाने से हैंगवाललोड से अयस्क को विकसित करने के लिए नयी ब्लास्टीक पद्धति से सहायता मिलेगी । इसका इम्प्लीमेंटेशन रॉक प्रोपर्टीज तथा संबंध टेक्नोलोजी भारतीय खान उद्योग में अद्वितीय है ।

तुरामडीह प्लांट के ओर फीड के ग्राइंड साइज को अध्ययन के प्रभाव में पाये गये निष्कर्ष को मैग्नेटाइट प्लांट (निर्माणधीन) में लागू किया जाएगा । इससे मैग्नेटाइट की गुणवत्ता तथा रिकवरी कर संचालन में मूल्य वृद्धि होगी ।

## अंशधारकों को निदेशकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक – II निगमित अभिशासन

कम्पनी को विश्वास है कि उन्नत कॉरपोरेट अभिशासन पारदर्शिता, स्पष्टीकरण एवं सत्यनिष्ठा को बढ़ाता है और कॉरपोरेट अभिशासन के अपने समस्त कार्यों में निष्कपटता एवं पारदर्शिता के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है।

### निदेशक मण्डल

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 2(45) के अन्तर्गत यूसिल एक सरकारी कम्पनी है। इसकी समस्त अभिदत्त पूँजी भारत के राष्ट्रपति के पास है तथा इसके शेयर उनके द्वारा नामजद व्यक्तियों के पास हैं।

निदेशक मण्डल में कार्यपालकों तथा गैर कार्यपालकों का उचित समिश्रण है। 20.03.2015 को बोर्ड में 10 निदेशक हैं जिनमें (i) 3 पूर्ण कालीन कार्यरत निदेशक हैं यथा – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (तकनीकी) तथा निदेशक (वित्त) और (ii) 7 अंश कालिक गैर कार्यपालक निदेशक हैं। बोर्ड की बैठक नियमित अन्तराल पर होती है तथा यह कम्पनी के उचित निर्देशन एवं प्रबंधन के प्रति उत्तरदायी है। बोर्ड में 20.03.2015 में स्वतंत्र निदेशकगण नहीं हैं। स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति 01.09.2016 से हुई है।

मार्च 2016 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में बोर्ड के निदेशकों की पाँच बैठकें आयोजित की गईं जो इस प्रकार हैं— 15.07.2015, 25.08.2015, 30.09.2015, 19.01.2016 और 14.03.2016। निदेशकों की संख्या, बोर्ड की बैठकों में उनकी उपस्थिति एवं वार्षिक साधारण सभा तथा असाधारण बैठकों में उनकी उपस्थिति इस प्रकार थी :

31.03.2015 को नाम एवं पदनाम	श्रेणी	बोर्ड की बैठक		30.09.2015 को हुई वार्षिक साधारण सभा में उपस्थिति	अन्य निदेशकों की संख्या
		कार्य काल अवधि में हुई	उपस्थिति		
कार्यकारी निदेशक					
श्री डी0 आचार्य, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	क्रियाशील	05	05	हाँ	-
श्री एस0 के0 श्रीवास्तव, निदेशक(तकनीकी) (31.01.2016 तक)	क्रियाशील	04	04	-	-
श्री देबाशीष घोष, निदेशक (वित्त)	क्रियाशील	05	05	-	-
<b>गैर कार्यकारी निदेशक</b>					
राजीव गोंबा, मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार (12.08.2015 से)	अंशकालीन पदेन	04	00	-	-
संजीव सूद, संयुक्त सचिव (आई एण्ड एम), परमाणु ऊर्जा विभाग (10.06.2015 से)	अंशकालीन पदेन	05	03	हाँ	हाँ
आर0ए0राजीव, संयुक्त सचिव (वित्त), प0ऊ0विभाग	अंशकालीन पदेन	05	02	-	-
एन0साईबाबा, मुख्य कार्यकारी, एन एफ सी	अंशकालीन	05	05	-	-
पी0 एस0 परिहार, निदेशक, ए एम डी, (31.12.2015 तक)	अंशकालीन	03	02	-	-

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 2(45) के अनुसार पूर्णकालिक के लिए कार्यरत निदेशकों का वेतन भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है क्योंकि यह भारत सरकार की कम्पनी है। अंशकालिक निदेशकों के लिए जो या तो सरकारी है अथवा सरकारी उपक्रम के अधिकारी होते हैं उन्हें बैठक में उपस्थित होने पर कोई शुल्क नहीं प्रदान किया जाता है।

### लेखा परीक्षण समिति

आपकी कम्पनी की बोर्ड ने कानून की आवश्यकताओं के अनुसार एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में एक लेखा परीक्षण समिति का गठन किया है। चूँकि स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल 20.03.2014 को समाप्त हो गया था, बोर्ड में कोई भी स्वतंत्र निदेशक नहीं है। आपकी कम्पनी की बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं होने की वाह से वर्ष 2015-16 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की बैठक नहीं बुलाई जा सकी।

### पारिश्रमिक समिति

आपकी कम्पनी की बोर्ड ने एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में पारिश्रमिक समिति का गठन किया है। चूँकि स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल 20.03.2014 को समाप्त हो गया था, बोर्ड में कोई भी स्वतंत्र निदेशक नहीं है। आपकी कम्पनी की बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं होने की वाह से वर्ष 2015-16 के दौरान पारिश्रमिक समिति की बैठक नहीं बुलाई जा सकी।

### आचरण नियमावली

कम्पनी के पास अपना आचरण नियमावली है जो बोर्ड के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन पर लागू है और इसे कम्पनी के वेबसाइट पर डाल दिया गया है। इंटीग्रिटी पैक्ट सहित जालसाजी निरोधक नीति/व्हीसिल ब्लोअर नीति बोर्ड के द्वारा अनुमोदित है और यह कम्पनी के वेबसाइट पर उपलब्ध है।

### साधारण बैठकें

विगत 3 वर्ष के दौरान आयोजित वार्षिक साधारण बैठकों/असाधारण बैठकों की संख्या इस प्रकार है :

वर्ष	दिनांक	समय	स्थान
2014-15 (वार्षिक साधारण बैठक)	30.09.2015	12.30 बजे	कोलकाता
2013-14 (वार्षिक साधारण बैठक)	18.09.2014	12.30 बजे	कोलकाता
2012-13 (वार्षिक साधारण बैठक)	30.09.2013	12.30 बजे	कोलकाता

### फार्म नं एम. जी. टी.-9

#### एनवल रिटर्न का सार

31.03.2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अनुसार  
कम्पनी अधिनियम 2013 और कंपनी के नियम 12(1) की धारा 92 (3) के अनुसरण में  
(प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम 2014

#### I निबंधन एवं अन्य विवरण

i	सी. आई. एन.	(सी.आई.एन.:यू 12000 जेएच 1967 जीओआई 000806)
ii	निबंधन तिथि	04/10/1967
iii	कम्पनी का नाम	यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
iv	कम्पनी का वर्ग/उप-वर्ग	सरकारी कंपनी
v	निबंधित कार्यालय का पता तथा संपर्क विवरण	पो.ऑ. जादुगोड़ा माईन्स जिला पूर्वी सिंहभूम झारखण्ड -832102, फोन : 0657-2730122 / 222 / 353 फेक्स : 0657-2730322 ई-मेल : cs@ucil.gov.in हमसे मिलें : www.ucil.gov.in
vi	क्या कम्पनी सूचीबद्ध है	नहीं
vii	निबंधक एवं ट्रांसफर एंट्री, अगर कोई हो, का नाम, पता एवं संपर्क विवरण	अप्रयोज्य

#### II कंपनी की मुख्य व्यवसाय गतिविधियाँ

कंपनी के कुल कारोबार का 10% या उससे अधिक योगदान का वर्णन किया जाएगा।

क्रम.सं.	मुख्य उत्पादो/सेवाओं का नाम एवं विवरण	उत्पाद/सेवा का एन.आई.सी. कोड	कंपनी के कुल कारोबार का %
1	U <sub>3</sub> O <sub>8</sub> यूरेनियम अयस्क का खनन एवं संसाधन	अप्रयोज्य	100

कम्पनी पूर्ण रूप से भारत के राष्ट्रपति के स्वामित्व में है।

अंशधारण विवरण

(31.03.2016)

भारत के राष्ट्रपति द्वारा शेयर हेल्ड  
सरकारी प्रत्याशियों द्वारा शेयर हेल्ड

15646175

03

शेयर की कुल संख्या(अंकित मुल्य 1000रु0 प्रत्येक)

15646178

=====

ऋण	31.03.2016	31.03.2015
सुरक्षित ऋण (सावधि जमा पर ओवर ड्राफ्ट)	—	3935.93
असुरक्षित ऋण		
एस.बी.आई. जादुगोड़ा से अल्पकालीन सी.सी.	59090.74	47500.45
एन.पी.सी.एल. से ऋण	12781.83	11825.83
<b>Total Rs.</b>	<b>71872.57</b>	<b>63262.21</b>

#### धारा 149(6) के अन्तर्गत स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

आपकी कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। आपकी कंपनी में 20.03.2014 से स्वतंत्र निदेशक नहीं है और इसलिए धारा 149(6) के अंतर्गत परिकल्पित स्वतंत्र निदेशकों की घोषणा 2015-16 के लिए नहीं की गई है।

#### धारा 134(1) के अन्तर्गत बोर्ड एवं निदेशकों का प्रदर्शन मूल्यांकन

यूसिल सरकारी कंपनी है, जहाँ निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार के द्वारा होती है। पारिश्रमिक इत्यादि का निर्णय डी.पी.ई.दिशा-निर्देश के आधार पर किया जाता है। निदेशकों का कार्यकाल भी सरकार के द्वारा तय किया जाता है। इसलिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 के तहत बोर्ड एवं निदेशकों के प्रदर्शन मूल्यांकन के साथ-साथ निदेशकों की नियुक्ति की नीति और शर्तों के निर्धारण, सकारात्मक विशेषताओं इत्यादि के लिए मानदंड के साथ पारिश्रमिक नहीं दिया गया, क्योंकि सरकारी कंपनी को इस प्रावधानों से छूट प्राप्त है।

#### मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (के.एम.पी)

कम्पनी के अधिनियम 2013 की धारा 2(51) के तहत प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का प्रकटीकरण निम्नवत है:-

- श्री सी. के. असनानी, अध्यक्ष एवं प्रबंधनिर्देशक (01.09.2016 से)
- श्री डी. आचार्य, अध्यक्ष एवं प्रबंधनिर्देशक (31.07.2016 तक)
- श्री एस. के. श्रीवास्तव, निर्देशक (तकनीकी) (31.01.2016 तक)
- श्री देबाशीष घोष, निर्देशक (वित्त)
- श्री बी.सी. गुप्ता, कम्पनी सचिव

#### कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन-उत्पीड़न का निषेध

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन-उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और विवरण) अधिनियम 2013 की धारा 4 के तहत कार्य-स्थल पर महिलाओं के यौन-उत्पीड़न के निषेध पर एक समिति का गठन किया गया है। वर्ष के दौरान आपकी कम्पनी को यौन-उत्पीड़न पर कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है।

#### संबंधित पार्टियों से अनुबंध

वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013(3)(एच) के तहत वांछित सूचनाओं का खुलासा किया जाना है। इसीलिए फॉर्म- ए.ओ.सी.-2 को बोर्ड की रिपोर्ट के साथ संलग्न नहीं किया गया है। जैसा कि कम्पनी (लेखा) अधिनियम 2014 का नियम 8(2) के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3)(एच) के तहत माँगी गई थी। सेवाओं की प्राप्ति की दिशा में संबंधित पक्ष का प्रकटिकरण, वार्षिक लेख के खातों पर अतिरिक्त नोट्स का उल्लेख 26.14 के तहत किया गया है।

#### जोखिम प्रबंधन

यूसिल मानती है कि जोखिम, किसी व्यावसायिक गतिविधि के सन्निहित होती है और वह प्रबंधकीय जोखिम कंपनी के तत्कालिक और भावी के सफलता के लिए महत्वपूर्ण होती है। कंपनी के पास एक प्रणाली है जो जोखिम के देख रेख करने में और कंपनी के आंतरिक नियंत्रण में भी मदद करती है।

## प्रमुख विशिष्टताएँ

## अनुलग्नक- I

(लाख ₹ में)

	विवरण	2015-16	2014-15	2014-15 की तुलना में वृद्धि/ (कमी)	2014-15 की तुलना में वृद्धि/ (कमी)
(क)	<b>परिचालन परिणम</b>				प्रतिशत में
	टर्नओवर	101,426.28	87,353.68	14,072.60	16.11
	सकल आय	102,462.88	88,983.89	13,478.99	15.15
	सकल व्यय	86,615.11	87,845.15	(1,230.04)	(1.40)
	सकल लाभ	15,805.65	1,133.26	14,672.39	1,294.71
	कर पश्चात् शुद्ध लाभ	10,212.48	818.31	9,394.16	1,147.99
(ख)	<b>वर्ष के अंत की वित्तीय स्थिति</b>				
	शेयर पूँजी	156,461.78	153,961.78	2,500.00	1.62
	आरक्षित एवं अधिशेष	42,640.95	36,116.24	6,524.72	18.07
	नियोजित मालियत	213,197.21	203,719.31	9,477.90	4.65
	सकल निरुद्ध परिसंपत्ति	199,102.73	190,078.02	9,024.72	4.75
	मूल्य-ह्रास	159,762.38	153,054.25	6,708.13	4.38
	शुद्ध निरुद्ध परिसंपत्ति	90,400.84	81,715.09	8,685.75	10.63
	सम्पत्ति सूची	69,361.54	71,339.16	(1,977.62)	(2.77)
(ग)	<b>लाभकारिता</b>	10,518.00	7,337.33	3,180.67	43.35
	<b>1. प्रतिशतता :</b>				
	बिक्री में सकल लाभ/(हानि)	15.58	1.30		
	बिक्री में शुद्ध लाभ/(हानि)	10.07	0.94		
	निवल मालियत में सकल लाभ/(हानि)	7.94	0.60		
	निवल मालियत में शुद्ध लाभ/(हानि)	5.13	0.43		
	नियोजित पूँजी में सकल लाभ/(हानि)	7.41	0.56		
	नियोजित पूँजी में शुद्ध लाभ/(हानि)	4.79	0.40		
	इकाई पूँजी में सकल लाभ/(हानि)	10.10	0.74		
	बिक्री में माल सूची	10.37	8.40		
	नियोजित पूँजी में बिक्री	47.57	42.88		
	<b>2. अनुपात में</b>				
	चालू परिसंपत्तियों को चालू देयताएं	0.37 : 1	0.29 : 1		
	तत्काल परिसंपत्तियों को चालू देयताएं	0.29 : 1	0.22 : 1		

## कम्पनी की वित्तीय स्थिति

31 मार्च 2016 तथा 2015 का संक्षिप्त तुलन पत्र

अनुलग्नक-II

(लाख ₹ में)

	विवरण	2015-16	2014-15	2014-15 की तुलना में वृद्धि / (कमी)
	<b>1. कम्पनी का स्वामित्व</b>			
	<b>(क) अचल परिसम्पत्ति</b>			
	सकल ब्लॉक	<b>159,762.38</b>	153,054.25	6,708.13
	घटाया : मूल्य ह्रास	<b>90,400.84</b>	81,715.09	8,685.75
	शुद्ध ब्लॉक	<b>69,361.54</b>	71,339.16	(1,977.62)
	दीर्घकालिक ऋण एवं अग्रिम	<b>2,272.44</b>	2,513.50	(241.06)
	प्रगतिशील पूँजीगत कार्य / स्टॉक	<b>222,556.58</b>	203,344.25	19,212.33
	<b>उप-योग (क)</b>	<b>294,190.56</b>	277,196.91	16,993.65
	<b>(ख) चालू परिसम्पत्तियाँ</b>			
i.	व्यापाराधीन स्टॉक, भण्डार, प्रत्यक्ष माल, फुटकर देनदारी, उपार्जित ब्याज	<b>34,271.18</b>	15,062.70	19,208.48
ii.	नकद या वस्तु के रूप में या वस्तु से प्राप्त मूल्य के रूप में वसूली योग्य अग्रिम	<b>9,974.25</b>	6,409.43	3,564.82
iii.	नकद तथा बैंक में जमा शेष राशि	<b>3,319.59</b>	9,135.46	(5,815.86)
	<b>उप-योग (ख)</b>	<b>47,565.02</b>	30,607.59	16,957.43
	<b>योग- 1 (क + ख)</b>	<b>341,755.58</b>	307,804.50	33,951.08
	<b>2. कम्पनी का ऋण</b>			
	<b>(क) माल, सेवाओं, चालू देनदारियों तथा अन्य प्रावधानों के लिए</b>	<b>134,220.63</b>	109,698.06	24,522.57
	<b>(ख) कम्पनी की शुद्ध मालियत</b>			
	अंश पूँजी	<b>156,461.78</b>	153,961.78	2,500.00
	आरक्षित निधि एवं अधिशेष	<b>42,640.95</b>	36,116.24	6,524.72
	शेयर आवेदन के पैसे, लंबित आवेदन	<b>2,600.00</b>	1,900.00	700.00
	<b>उप-योग (ख)</b>	<b>201,702.73</b>	191,978.02	9,724.72
	<b>(ग) आस्थागित कर दायित्व (ग)</b>	<b>5,832.22</b>	6,128.42	(296.20)
	<b>योग 2 (क+ख+ग)</b>	<b>341,755.58</b>	307,804.50	33,951.08

## कम्पनी की आय तथा व्यय का लेखा


31 मार्च 2016 तथा 2015 का संक्षिप्त तुलन पत्र

अनुलग्नक-III


(लाख ₹ में)

	विवरण	2015-16	2014-15	2014-15 की तुलना में वृद्धि / (कमी)
<b>1. कम्पनी का आय</b>				
	(क) परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा यूरेनियम सांद्रा के अधिग्रहण से	100,584.51	86,467.64	14,116.87
	(ख) गौण उत्पादों की बिक्री (उत्पाद शुल्क को छोड़कर)	752.08	797.24	(45.15)
	(ग) अन्य प्राप्तियाँ	1,126.28	1,719.01	(592.72)
	<b>उप - योग</b>	<b>102,462.88</b>	<b>88,983.89</b>	<b>13,478.99</b>
	(घ) अन्तिम स्टॉक में वृद्धि / हास	3,125.22	1,207.58	1,917.65
	<b>योग (1)</b>	<b>105,588.10</b>	<b>90,231.54</b>	<b>15,356.55</b>
<b>2. कम्पनी द्वारा भुगतान तथा व्यवस्था</b>				
	(क) उपभुक्त सामग्री का मूल्य	6,878.68	7,070.52	(191.84)
	(ख) कर्मचारी हित में खर्च	29,566.14	27,868.71	1,697.43
	(ग) वित्तीय लागत (ब्याज पर व्यय)	6,154.23	5,616.45	537.78
	(घ) मूल्य हास और ऋण शोधन पर व्यय	8,581.18	8,185.84	395.34
	(ङ) अन्य व्यय	38,560.10	40,311.21	(1,751.11)
		-	-	-
	<b>योग (2)</b>	<b>89,740.33</b>	<b>89,052.72</b>	<b>687.61</b>
<b>3. समायोजन पूर्व कम्पनी का सकल लाभ (1-2)</b>		<b>15,847.77</b>	<b>1,138.74</b>	<b>14,709.04</b>
<b>4. जिसका समायोजन निम्नानुसार किया गया</b>				
	पूर्वकालिक समायोजन	(42.12)	(5.48)	(36.64)
	कर पूर्व लाभ	15,805.65	1,133.26	14,672.40
	घटाया : आयकर का प्रावधान (आस्थागत कर सहित)	5,593.17	314.95	5,278.23
	कर पश्चात् लाभ	10,212.48	818.31	9,394.16
	विगत वर्ष का लाया गया अधिशेष	24,844.21	25,408.26	(564.05)
	घटाया : मूल्य हास के लिए समायोजन (शुद्ध कर)	-	1,020.97	-
	<b>विनियोग के पूर्व अधिशेष (4 क)</b>	<b>35,056.69</b>	<b>25,205.60</b>	<b>9,851.08</b>
<b>विनियोजन</b>				
	प्रस्तावित सामान्य आरक्षित निधि	3,064.00	164.00	2,900.00
	प्रस्तावित लाभांश	3,064.00	164.00	2,900.00
	प्रस्तावित लाभांश पर कर	623.77	33.39	590.38
	<b>उप योग (4 ख)</b>	<b>6,751.77</b>	<b>361.39</b>	<b>6,390.38</b>
	<b>अधिशेष को तुलनपत्र में ले जाया गया (4क-4ख)</b>	<b>28,304.92</b>	<b>24,844.21</b>	<b>3,460.71</b>

## आय का वर्गीकरण



## व्यय का वितरण




### आय में वृद्धि



### निवल मालियत(नेटवर्थ) में वृद्धि



## सकल तथा शुद्ध परिसंपत्ति



## नियोजित पूंजी



## यू सी आई एल के आशा किरण



अग्रवाल रमेश के. एण्ड कंपनी  
सनदी लेखाकार

## स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

सेवा में,  
सदस्य गण  
यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

### वित्तीय विवरण पर रिपोर्ट

हमने यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (कंपनी) का संलग्न वित्तीय विवरण का अंकेक्षण किया जिसमें 31 मार्च, 2016 का तुलन-पत्र, लाभ-हानी का विवरण, समाप्त वर्ष का कैश-फ्लो विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार संग्रह एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएं शामिल हैं।

### वित्तीय विवरण हेतु प्रबंधन का दायित्व

वित्तीय विवरण हेतु प्रबंधन का दायित्व कंपनी का निदेशक मण्डल, अधिनियम की धारा 133, कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 के साथ पठित सहित सामान्यतः भारत में मान्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन तथा कैश फ्लो का सही एवं स्वच्छ दृष्टिकोण देने वाले इन स्टैंडअलों वित्तीय स्टेटमेंट की तैयारी के सम्बंध में कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") की धारा 134 (5) में वर्णित मुद्दों के लिए जिम्मेदार है। इस जिम्मेदारी में कंपनी की सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए, बचाव के लिए और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं; चयन एवं पर्याप्त लेखांकन नीतियों का एप्लीकेशन; निर्णय एवं अनुमान कि जिम्मेदार एवं विवेकी हो; एवं डिजाइन, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का कार्यान्वयन एवं रखरखाव जो कि लेखा रिकार्ड की शुद्धता एवं पूर्णता सुनिश्चित करे, वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी एवं प्रस्तुती के लिए प्रासंगिक हो जो सच्चा और निष्पक्ष दृश्य उपस्थित करे और सामग्री की अशुद्धता से मुक्त हो, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि की वजह से हो का पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों का रखरखाव भी शामिल है।

### लेखा परीक्षकों का दायित्व

हमारा दायित्व है कि लेखांकन के आधार पर वित्तीय विवरण पर हम अपना विचार प्रकट करें। हमने अधिनियम के प्रावधानों को, लेखा एवं लेखा परीक्षा के मानकों तथा इसके तहत बनाये गए नियमों के तहत ऑडिट रिपोर्ट में शामिल किये जाने को ध्यान में रखा है। हमने अपने लेखा परीक्षा का आयोजन, अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट अंकेक्षण पर मानकों के अनुसार किया है। उन मानकों की मांग है कि हम नैतिक आवश्यकताओं एवं योजनाओं के अनुरूप हैं और क्या वित्तीय स्टेटमेंट सामग्री अशुद्धता से मुक्त हैं, इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा का निष्पादन करते हैं।

लेखा परीक्षकों की राशि के बारे में साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रिया को अपनाया गया है और वित्तीय विवरण में इसका प्रकटीकरण किया गया है। अपनायी गई प्रक्रिया लेखा परीक्षकों के निर्णय पर निर्भर करती है जिसमें वित्तीय विवरणों में वस्तुओं के गलत विवरण के जोखिम का निर्धारण भी शामिल किया गया है, चाहे जालसाजी या गलती से हो। इन जोखिमों का निर्धारण करने में लेखा परीक्षक कंपनी के आंतरिक नियंत्रण पर भी विचार करता और वित्तीय विवरण के प्रस्तुतीकरण में लेखा-परीक्षा प्रक्रिया को भी अपनाया है जो कि परिस्थितियों के अनुसार उचित है। लेखा परीक्षा में इस्तेमाल लेखांकन नीतियों का उचित मूल्यांकन एवं प्रबंधन द्वारा तैयार किया गया लेखांकन आकलन एवं साथ ही साथ वित्तीय विवरण के सभी पहलुओं के प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन शामिल रहता है। हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा जो लेखा-परीक्षण किया गया है वह हमारे विश्वासों का न्याय संगत आधार प्रस्तुत करता है।

## मामले की अवधारणा

हम बिना अपनी राय को सीमित किये मामलों की ओर ध्यानाकृष्ट करते हैं :

- क) वर्ष 2013-14 की दर पर यरेनियम सांद्र की क्षतिपूर्ति के राजस्व की मान्यता से सम्बंधित लेखों की टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 18, पैरा 3 में परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2014-15 और 2015-16 के लिए अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 की क्षतिपूर्ति दर की राशि परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है, जिसे हाल के वर्षों में क्षतिपूर्ति के अंतर्गत दिखलाया गया है।
- ख) लेख पर अतिरिक्त टिप्पणी संख्या -26.2 (क) से संबंधित नरवापहाड़ में 1108.32 एकड़ खनन पट्टे का कार्य लंबित है। 31.77 एकड़ अतिरिक्त जमीन तुरामडीह के लिए, 290.45 हैक्टेयर जमीन केलेंग पेंडेंगसोहियांग मावथाबा में, 1337.62 एकड़ जमीन लाम्बापुर एवं गोगी में 39.13 हैक्टेयर जमीन का खनन पट्टा अभी प्राप्त किया जाना है।
- ग) लेख पर अतिरिक्त टिप्पणी संख्या-26.2 से संबंधित राय सरकार/निजी पार्टी से अधिग्रहित 1548.09 एकड़ भूमि जिसका मूल्य 1517.59 लाख रु. है, का हस्तांतरण विलेख लंबित है।
- घ) लेख पर अतिरिक्त टिप्पणी संख्या-26.2 (ग) से संबंधित मुसाबनी में हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (आई0सी0सी0) की 3 एकड़ जमीन का न ही कोई प्रतिफल दिया है और न ही इसके उपयोग का प्रावधान लेख में किया है।
- ङ) पूर्व परियोजना व्यय 2651.62 लाख रुपये (गत वर्ष 2405.30 लाख रुपये) के विभिन्न लंबित मुद्दों/स्वीकृतियों की वजह से लंबित पूँजीकरण से संबंधित लेख पर अतिरिक्त टिप्पणी संख्या 26.3 (क) से (ग)।
- च) 905095.62 लाख रुपये की तुम्मलापल्ली परियोजना की लंबित पूँजीकरण से संबंधित लेख पर की अतिरिक्त टिप्पणी की चालू परियोजना टिप्पणी संख्या 26.3 उत्पादन प्रक्रिया के गैर-स्थिरीकरण की वाह से, जिसमें वर्ष के दौरान (तुम्मलापल्ली प्लांट से भेजे गए  $U_3O_8$  के प्रेषण में क्षतिपूर्ति के विरुद्ध प्राप्त 15987.78 लाख रुपये के निर्धारण के पश्चात) 18916.66 लाख रुपये खर्च शामिल है।

## विचार

हमारी राय में और प्राप्त सर्वोत्तम सूचना तथा दिये गए स्पष्टीकरण के अनुसार उपर्युक्त वित्तीय विवरण, अधिनियम के अनुसार सच्ची एवं स्पष्ट तसवीर पेश करती है जो कि भारत में सामान्यतः मान्य लेखांकन पद्धतियों के साथ मेल खाती है और यह वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक स्थिति तथा लाभ-हानि एवं नकद प्रवाह को दर्शाती है।

## अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

- 1) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत वांछित के अनुसार हम लेखा परीक्षा के द्वारा व्यक्त प्रणाली के अनुपालन करने, उसके बाद किये गये कार्यवाही और कंपनी के लेख एवं वित्तीय विवरण पर पड़ने वाले प्रभाव के बाद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा द्वारा जारी किये गए बयान अनुलग्नक-1 में देते हैं।
- 2) जैसा कि अधिनियम की धारा 143(11) की उप- धारा (4) के सम्बंध में केंद्र सरकार द्वारा निर्गत कम्पनी (अंकेक्षण रिपोर्ट) आदेश, 2016 आदेश द्वारा मांगा गया। हम परिशिष्ट में आदेश के पैरा 3 तथा 4 में वर्णित मामले पर बयान देते हैं।
- 3) जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित है, हम प्रतिवेदन देते हैं कि:
  - क) हमें वे सारी सूचनाएँ एवं व्याख्याएँ उपलब्ध कराई गई हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारे परीक्षण के लिए जरूरी थे।
  - ख) हमारी राय में कम्पनी द्वारा कानून के अनुसार उचित खाते रखे गये हैं जैसा कि हमें इन खातों की जांच के दौरान देखने को मिला।

- ग) तुलन-पत्र, लाभ-हानी लेखा तथा कैश फ्लो विवरण जिसका इस टिप्पणी में समावेश है लेखा-खाता के अनुसार है।
- घ) हमारी राय में उक्त स्टैंडअलोन वित्तीय स्टेटमेंट अधिनियम की धारा 133 के तहत कम्पनी लेखा नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित निर्दिष्ट लेखा मानक के अनुरूप है।
- ङ) 31 मार्च 2016 का निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों के आधार पर निदेशक मण्डल द्वारा ध्यान में लिया गया कि अधिनियम की धारा 164(2) के आधार पर नियुक्त किये जा रहे निदेशक में कोई भी अयोग्य नहीं है।
- च) कम्पनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के सम्बंध में और इस तरह के नियंत्रण के संचालन के प्रभाव के सम्बंध में “अनुलग्नक III” में हमारे पृथक रिपोर्ट का संदर्भ लें।

## लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक-1

- 1) क्या कम्पनी के पास अपने फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड सम्पत्ति वैध कागजात है ? यदि नहीं तो कृपया यह बताएं कि किस सम्पत्ति का और किस क्षेत्र का फ्रीहोल्ड एवं लीजहोल्ड सम्पत्ति का वैध कागजात उपलब्ध नहीं है ।

टिप्पणी संख्या 26.2 (ब) एवं (स) के संदर्भ में :

- ब) कम्पनी राय सरकार/निजी पार्टियों से 1548.09 एकड़ भूमि (गत वर्ष 1548.09 एकड़) भूमि का स्वीकारात्मक स्वामित्व रखती है । जिससे सम्बंधित दस्तावेजों का हस्तांतरण/पंजीकरण आदि पूरा करना बाकी है, जिसकी लागत 1517.59 लाख रुपये (गत वर्ष 1517.59 लाख रुपये), जिसे कम्पनी की अचल परिसम्पत्ति में लीज की भूमि छ शीर्ष में सम्मिलित किया गया है ।
- स) मुसाबनी में पूर्ववर्ती बिहार सरकार द्वारा हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड को पट्टे पर दी गई ३(तीन) एकड़ भूमि का उपयोग कम्पनी द्वारा 1986 से किया जा रहा है । इसके प्रयोग से सम्बंधित कोई औपचारिक अनुबंध नहीं हो पाने के कारण इसके लिए भुगतान/प्रावधान पर कोई विचार नहीं किया गया है ।
- 2) कृपया बताएं कि छूट/कर्ज को बड़े खाते में डालने/ऋण/ब्याज आदि की गई है...यदि हाँ तो कितनी राशि शामिल है और उसको कारण ।

किसी प्रकार की छूट/कर्ज को बड़े खाते में डालने/ऋण/ब्याज आदि के मामले नहीं हैं ।

- 3) क्या तीसरे पक्ष के पास पड़े हुए सामानों तथा सरकार या अन्य अधिकारियों से उपहार के रूप में प्राप्त सम्पत्तियों के समुचित रिकॉर्ड रखे जाते हैं ?

प्रबंधन से प्राप्त सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तीसरे पक्ष के पास कोई सामग्री नहीं है । हमें दिये गए विश्लेषण के अनुसार वर्ष के दौरान सरकार या अन्य अधिकारियों से उपहार के रूप में कोई सम्पत्ति प्राप्त नहीं है ।

- जी) अन्य विषय जो कि लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में नियम 11 के अनुसार कम्पनी (अंकेक्षण एवं अंकेक्षण) नियम 2014 के संदर्भ में है, हमारी राय में एवं हमें दी गई सूचना एवं दिये गए स्पष्टीकरण के अनुसार
- (i) कम्पनी ने अपने वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 26.4 के अंतर्गत सम्पत्ति के लम्बित मामले के असर को प्रकट किया है ।
  - (ii) कम्पनी ने व्युत्पन्न अनुबंध के साथ ऐसे किसी लंबी अवधि क अनुबंध नहीं किया है जिससे कि आने वाले समय में किसी बड़े नुकसान का आकलन किया जा सके ।
  - (iii) निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि में हस्तांतरित किये जाने लायक कोई भी राशि नहीं है ।

कृते

अग्रवाल रमेश के. एण्ड कंपनी

सनदी लेखाकार

एफआरएन: 004614सी

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 21/06/2016

रमेश कुमार अग्रवाल

भागीदार

सदस्यता संख्या: 072918

## स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक - II

(31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी के वित्तीय विवरण की तारीख के बारे में हमारी रिपोर्ट की धारा “अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट” के तहत पैरा 1 में उल्लिखित)

- 1) (क) कम्पनी अचल सम्पत्ति के विवरण और परिस्थिति सहित पूर्ण विवरण को दर्शाते हुए समुचित रिकार्ड को बनाये रख रही है ।
- (ख) प्रबंधन के द्वारा तीन वर्षों के लिए सभी वस्तुओं को कवर करने के लिए चरणबद्ध कार्यक्रम डिजाइन के अनुसार अचल सम्पत्तियों की भौतिक जाँच की जा रही है, जो हमारी राय में कम्पनी के आकार और इसकी सम्पत्ति की प्रकृति के संदर्भ में जिम्मेवार है । कार्यक्रम के अनुसरण में वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा अचल सम्पत्तियों के एक हिस्से की भौतिक जाँच की जा रही है और कथित जाँच में कोई सामग्री विसंगति ध्यान में नहीं लाई गई है ।
- (ग) अचल सम्पत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज कम्पनी के नाम में है ।
- 2) (क) जैसा कि हमें बताया गया, तुम्मलापल्ले के सिवा सभी सम्पत्तियों की प्रत्यक्ष जाँच वर्ष के दौरान स्वतंत्र अनुभवियों से उचित अंतराल पर की गई ।
- (ख) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचनाओं एवं विवरण के अनुसार, प्रबंधन द्वारा अपनाई गई वस्तुओं की भौतिक जाँच की विधि कम्पनी के व्यवसाय के आकार एवं प्रकृति के अनुसार न्यायसंगत है ।
- (ग) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचनाओं के अनुसार कम्पनी द्वारा अपनी सम्पत्तियों का अभिलेख उचित ढंग से रखा जा रहा है । बही रिकार्ड की तुलना में सामग्रियों के भौतिक सत्यापन में पाये गए विसंगति सामग्री नहीं थे और उन्हें लेखे की बहियों में ठीक कर लिया गया है ।
- 3) जैसा कि सूचित किया गया, कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत देखे जा रहे रजिस्टर में वर्णित कम्पनी, फर्म या अन्य पार्टियों को कोई ऋण, सुरक्षित या असुरक्षित मंजूर नहीं किया है । तदनुसार कथित आदेश के खण्ड 3(iii) (क) से (ग) तक कम्पनी के लिए अप्रयोज्य है और इसीलिए इस पर कोई टिप्पणी नहीं की ।
- 4) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी ने ऋण, निवेश की गारंटी तथा सुरक्षा के सम्बंध में कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 185 तथा 186 के प्रावधानों के साथ अनुपालन किया है ।
- 5) कम्पनी ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है और इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक से जारी निर्देशों तथा अनुच्छेद 73 (से 76 तक के प्रावधानों या अन्य किसी सम्बंधित अधिनियम और जनता से स्वीकार्य जमा के सम्बंध में कम्पनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2015 प्रयोज्य नहीं हैं ।
- 6) हमने मोटे तौर पर उत्पादों के सम्बंध में कम्पनी के द्वारा रखे जाने वाले लेखों की पुस्तकों का पुनः अवलोकन किया, भारत सरकार द्वारा बनाये गए नियमों का अनुसरण किया और पाया कि कानून की धारा 148 की उप-धारा के अंतर्गत लागत रिकार्ड के रखरखाव की समीक्षा की गई है और मंतव्यों के अनुसार प्रथम दृष्टया निर्धारित खाते और रिकार्ड बना लिये गए हैं और रख-रखाव किये जा रहे हैं । तथापि हमने इस दृष्टिकोण से कि क्या वे वास्तविक या पूर्ण हैं, की कोई विसृत रिपोर्ट नहीं तैयार की है । वित्तीय वर्ष 2014-15 से सम्बंधित लागत लेखा परीक्षा पूर्ण कर ली गई है ।
- 7) वैधानिक बकाये के सम्बंध में हमें दी गई जानकारी एवं व्याख्याओं के अनुसार:

- (क) कम्पनी आमतौर पर भविष्य निधि, आय कर, बिक्री कर, सम्पत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, आबकारी शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपयुक्त प्राधिकारियों के लिये प्रयोग उप कर एवं अन्य सामग्री वैधानिक बकाया जमा करने में नियमित हैं। हमें सूचित किया गया है कि कर्मचारी राय बीमा, कम्पनी के लिए लागू नहीं है।
- (ख) भविष्य निधि, आय कर, बिक्री कर, सम्पत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, आबकारी शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उप कर एवं अन्य सामग्री वैधानिक बकाया जमा 31 मार्च, 2016 को देय तिथि से छः माह के लिए बकाया के सम्बंध में किसी प्रकार की अविवादित राशि देय नहीं है। हमें सूचित किया गया है कि कर्मचारी राय बीमा, कम्पनी के लिए लागू नहीं है।
- (ग) विवादित लेखे में नहीं जमा किये गए आय कर एवं बिक्री कर की देय राशि का विवरण निम्नवत् है:

संविधि की प्रकृति	बकाये की प्रकृति	राशि (लाख रु. में)	फोरम जहाँ विवाद लंबित है	राशि से सम्बंधित अवधि
बिक्री कर अधिनियम/ मूल्य वर्धित कर	वाणिज्यिक कर	11.31	अपीलीय प्राधिकारी	2011-12
आय कर अधिनियम	आय कर	731.74	अपीलीय ट्रिबूनल एवं सीआईटी (अपील)	2005-06 2007-08 2008-09 2012-13

- 8) हमारी राय में, प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने बैंक की बकाया राशि के पुनर्भुगतान में चूक नहीं किया है। कम्पनी न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से 9.56% प्रति वर्ष की दर से 100 करोड़ रुपये लिया है। व्याज की राशि को लेखे में प्रावधान किया गया है किंतु जबसे उधार लिया गया है, इसका भुगतान नहीं किया गया है।
- 9) प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण तथा किये गए ऑडिट प्रक्रिया के आधार पर कम्पनी ने ऋण इंस्ट्रुमेंट तथा टर्म लोन के साथ कोई भी प्रारंभिक पब्लिक ऑफर या आगे पब्लिक ऑफर के द्वारा पैसे की उगाही नहीं किया है। तदनुसार आदेश की धारा 3(ix) का प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होता है और इसलिए टिप्पणी नहीं की गई है।
- 10) प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण तथा ऑडिट प्रक्रिया के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि कम्पनी के द्वारा या कम्पनी के अधिकारी के द्वारा या किसी कर्मचारी के द्वारा किसी प्रकार के गबन की सूचना वर्ष के दौरान नहीं मिली है।
- 11) प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण एवं ऑडिट प्रक्रिया के आधार पर, कम्पनी अधिनियम की अनुसूची IV के द्वारा पठित धारा 197 के प्रावधानों के अपेक्षित मंजूरी द्वारा अनिवार्यता के अनुसाराण में प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान किया गया है।
- 12) हमारी राय में, कम्पनी एक निधी कम्पनी नहीं है। इसलिए आदेश की धारा 4(xii) का प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होता है।
- 13) हमारी राय में सम्बंधित पार्टी के लेन-देन कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 177 तथा 178 के अनुसार है तथा विवरण को लागू लेखा मानक के अनुसार वित्तीय विवरण में दर्शाया गया है।
- 14) प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण तथा ऑडिट प्रक्रिया के आधार पर, कम्पनी ने वर्ष के दौरान शेयर्स का बेहतर आवंटन एवं प्राइवेट प्लेसमेंट या पूर्ण या आंशिक परिवर्तनीय ऋणपत्र जारी नहीं किया है। तदनुसार आदेश की धारा 3(xiv) का प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होता है इसलिए टिप्पणी नहीं की गई है।

- 15) प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण तथा ऑडिट प्रक्रिया के आधार पर कम्पनी ने निदेशकों या सम्बंधित व्यक्तियों के साथ कोई नन-केश ट्रांजेक्शन नहीं किया है। तदनुसार आदेश की धारा 3(xv) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होता है इसलिए टिप्पणी नहीं की गई है।
- 16) हमारी राय में कम्पनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 IA के अंतर्गत निबंधन कराने की जरूरत नहीं है और तदनुसार आदेश की धारा 3(xvi) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं, इसलिए टिप्पणी नहीं की गई है।

स्थान: कोलकाता  
दिनांक: 21/06/2016

कृते  
**अग्रवाल रमेश के. एण्ड क.**  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन: 004614सी  
**रमेश कुमार अग्रवाल**  
भागीदार  
सदस्यता संख्या: 072918

## स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक - III

यहाँ तक की तारीख तक कम्पनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 143 (3) (1) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रकगण का प्रतिवेदन

हमारे द्वारा यूसिल कंपनी का 31/03/2016 को समाप्त हुए वर्ष को लेखा परीक्षण के साथ हमने वित्तीय विवरण के साथ आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का भी परीक्षण किया है।

### प्रबंधन का दायित्व आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए

कंपनी प्रबंधन का यह दायित्व है कि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट के दिशा निर्देशानुसार कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को स्थापित करे जिससे कि कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण जो कि एक महत्वपूर्ण भाग है पर नियंत्रण रहे। इस दायित्व के अंतर्गत कंपनी अधिनियम 2013 के तहत समय पर आंतरिक वित्तीय सूचना की तैयारी, लेखांकन रिकॉर्ड, पूर्णता, शुद्धता, गबन तथा गलतियों का उजागर एवं अवरूद्धता, कंपनी की नीति, सम्पत्तियों का बचाव, व्यापार का संचालन आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का इम्प्लीमेंटेशन तथा रख रखाव आदि शामिल है।

### लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

हमारा दायित्व कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (10) तथा इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट ऑफ इंडिया के दिशा निर्देश के अनुसार कंपनी के द्वारा स्थापित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पट अपनी राय देना है। यह दिशा निर्देश तथा मानक यह बताता है कि हमने जो लेखा परीक्षण किया है उससे यह सुनिश्चित की जा सके कि क्या कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण जो स्थापित है वह हर तरफ से प्रभावी और ठीक है। हमारा लेखा परीक्षण में लेखा सक्षम तथा उसकी पर्याप्त तथा उसका वित्तीय प्रतिवेदन के लिए प्रभावी होना भी शामिल है।

हमारा वित्तीय आंतरिक नियंत्रण का ऑडिट वित्तीय विवरण पर यह भी शामिल करता है कि महत्वपूर्ण कमजोरी का जोखिम है, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी है। प्रक्रिया का चुनाव किया जाना लेखा परीक्षक के विवेक पर निर्भर करता है जिस में कि लेखा विवरणों में महत्वपूर्ण गलतियाँ जो की गबन और अशुद्धि भी हो सकता है उस पर भी निर्भर करता है। हम यकीन करते हैं कि जो ऑडिट साक्ष्य हमें मिला है वह पूर्ण तथा ठीक है और जिसके आधार पर हम अपनी राय कंपनी के वित्त विवरण तथा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट करते हैं।

### वित्तीय प्रतिवेदन के साथ आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

कम्पनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय प्रतिवेदन का एक प्रक्रिया है जो की सामान्यता मान्य सिद्धांतों के आधार पर विश्वसनीय है जिस के आधार पर विभिन्न विवरण तैयार किया गया है। किसी कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय प्रतिवेदन के साथ उन नीति एवं प्रक्रिया को शामिल करता है कि (1) संपत्ति के विवरण, स्वच्छ लेनदेन का रिकार्ड, शुद्धता, सही विवरण तथा रिकार्ड के रख रखाव से सम्बंधित है। (2) यह सुनिश्चिता प्रदान करने के लिए वित्तीय विवरण की तैयारी सामान्यता मान्य सिद्धांतों के आधार पर तथा आय एवं व्यय जो कंपनी के द्वारा किये गये हैं सभी प्रबंधन तथा निदेशकों द्वारा अधिकृत है। (3) यह सुनिश्चितता प्रदान करने के लिए की वित्तीय विवरण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावी करने वाले कंपनी की सम्पत्ती का विवरण, उपयोग अनाधिकृत प्राप्ति तथा समय पर उजागर किया गया है।

### आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का वित्तीय प्रतिवेदन के साथ इंटरनेट सीमाएं

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की वित्तीय प्रतिवेदन के साथ इंटरनेट सीमाओं के कारण यह हो सकता है कि गबन तथा अशुद्धियाँ, महत्वपूर्ण गलतियाँ, प्रबंधन की मिलीभकत, अकुशल प्रबंधन की वाह से उजागर न हो। साथ ही, भावी आकलन आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के बारे में आने वाले अवधि के लिए परिवर्तन के कारण या फिर उनके अनुपालन के कारण या नीति तथा प्रक्रिया में कमी के कारण की स्थिति में अपर्याप्त हो सकता है।

**राय**

हमारी राय में कम्पनी के पास सभी महत्वपूर्ण मामलों में वित्तीय विवरण पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है तथा इस प्रकार की वित्तीय रिपोर्टिंग पर जारी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण जहाँ 31 मार्च, 2016 को प्रभावी तरीके से परिचालित हो रही थी, जो इंस्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर जारी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंकेक्षण पर जारी मार्गदर्शी टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रक की आवश्यक अवयवों पर विचार करते हुए कम्पनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्ट की कसौटियों पर आधारित है।

स्थान: कोलकाता  
दिनांक: 21/06/2016

कृते

**अग्रवाल रमेश के. एण्ड कंपनी**

सनदी लेखाकार

एफआरएन: 004614सी

**रमेश कुमार अग्रवाल**

भागीदार

सदस्यता संख्या: 072918

**कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के लेखे पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ**

कम्पनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत बनाये गए वित्तीय रिपोर्टिंग संरचना के अनुसरण में 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड की वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत करना कम्पनी प्रबंधन का दायित्व है। अधिनियम की धारा 139 (5) के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरण के बारे में भारतीय सनदी लेखापाल संरक्षण के व्यवसायिक संस्थान के निर्धारित मानक के तहत अधिनियम की धारा 143 (10) के अंतर्गत निष्पक्ष रूप से लेखा परीक्षा करने का हमारा दायित्व है। यह उनके लेखा प्रतिवेदन दिनांक 21/06/2016 के द्वारा किया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की आर से मैंने 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए **यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड** का अनुपूरक लेखा परीक्षा, अधिनियम, की धारा 143 (6) (क) के अंतर्गत किया है। अनुपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के द्वारा कार्यरत कागजातों को देखे बिना एवं सांविधिक लेखा परीक्षकों एवं कम्पनी के प्रतिवेदनों द्वारा प्रारम्भिक पूछताछ एवं कुछ चुने गये कागजातों एवं लेखा रिकार्डों के आधार पर किया गया है।

मेरे द्वारा पूरक लेखा परीक्षा के आधार पर सांविधिक लेखा परीक्षकों के संबंध में किसी प्रकार की ऐसी विशेष बात मेरी जानकारी में नहीं आई है जिस पर कोई टिप्पणी की जा सके।

कृते एवं ओर से  
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक  
नियंत्रक  
ह/-

स्थान : नई दिल्ली  
दिनांक : 10/08/2016

(रितिका भाटिया)

मुख्य निदेशक

मुख्य वाणिज्यिक लेखा परीक्षा  
निदेशक एवं पदेन सदस्य, लेखा  
परीक्षा बोर्ड-IV

## 31 मार्च 2016 तक का तुलन पत्र (बैलेंस शीट)

(लाख ₹ में)

नोट	31 मार्च 2016 तक	31 मार्च 2015 तक
<b>I. इक्विटी एवं देयता</b>		
<b>1. शेयरधारकों का फंड (निधि)</b>		
a) शेयर पूंजी 1	156,461.78	153,961.78
b) रिजर्व तथा अधिशेष 2	42,640.95	36,116.24
<b>2. आवंटन को लंबित शेयर आवेदन के पैसे</b>	2,600.00	1,900.00
<b>3. गैर-मौजूदा देनदारियां</b>		
a) आस्थगित कर देयता (शुद्ध) 3	5,832.22	6,128.42
b) अन्य लंबी अवधि की देनदारियां 4	1,031.71	1,027.54
c) दीर्घकालीन प्रावधान 5	4,630.55	4,585.35
<b>4. मौजूदा देनदारियां</b>		
a) लघु अवधि के ऋण 6	71,872.57	63,262.21
b) व्यापारिक देनदारियां 7	4,957.50	5,190.05
c) अन्य मौजूदा देनदारियां 8	41,644.94	31,962.27
d) लघु अवधि के प्रावधान 9	10,083.36	3,670.64
कुल	341,755.58	307,804.50
<b>II. परिसंपत्तियां</b>		
<b>1. गैर-मौजूदा परिसंपत्तियां</b>		
a) अचल संपत्ति		
(i)मूर्त (वास्तविक) संपत्तियां 10A	68,418.10	70,332.54
(ii)अमूर्त संपत्तियां 10B	943.44	1,006.62
(iii)पूंजी कार्य प्रगति पर 11	222,556.58	203,344.25
b) लंबी अवधि के ऋण तथा अग्रिम 12	2,272.44	2,513.50
कुल	294,190.56	277,196.91
<b>2. मौजूदा परिसंपत्तियां</b>		
a) इंवेन्टरीज 13	10,518.00	7,337.33
b) व्यापार प्राप्तियां 14	23,081.50	7,009.70
c) नकदी एवं बैंक बैलेंस 15	3,319.59	9,135.46
d) लघु अवधि के ऋण तथा अग्रिम 16	9,974.25	6,409.43
e) अन्य मौजूदा परिसंपत्ति 17	671.68	715.67
कुल	47,565.02	30,607.59
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां 25	341,755.58	307,804.50
लेखा की अतिरिक्त टिप्पणियां 26	-	-
संलग्न टिप्पणियां वित्तीय विवरण का अहम हिस्सा है।		

हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ताक्षरित और यहां तक की तिथि भी संलग्न है

अग्रवाल रमेश के एवं कंपनी के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

फर्म रजिस्ट्रेशन संख्या. 004614C

रमेश कुमार अग्रवाल

सदस्यता संख्या. 072918

पार्टनर

स्थान: कोलकाता

तिथि : 21 जून 2016

बी. सी. गुप्ता  
कंपनी सचिवदेबाशीष घोष  
निदेशक (फाइनांस)डी. आचार्य  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

## 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

(लाख ₹ में)

	नोट	2016	2015
I परिचालन से राजस्व	18	101,336.59	87,264.88
II अन्य आय	19	1,126.29	1,719.01
III कुल राजस्व (I+II)		102,462.88	88,983.89
IV व्यय			
खपत माल की लागत	20	6,878.68	7,070.52
तैयार माल की सूची में परिवर्तन तथा कार्य प्रगति पर	21	(3,125.22)	(1,207.58)
कर्मचारी लाभ व्यय	22	29,566.14	27,868.71
वित्तीय व्यय (ब्याज व्यय)		6,154.23	5,616.45
मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय	10A&10B	8,581.18	8,185.84
अन्य व्यय	23	38,560.10	40,311.21
कुल व्यय (IV)		86,615.11	87,845.15
V अपवादात्मक तथा असाधारण मद एवं कर पूर्व लाभ		15,847.77	1,138.74
VI असाधारण वस्तुएं			
जोड़े : पूर्व अवधि के समायोजन	24	(42.12)	(5.48)
VII कर पूर्व लाभ (V + VI)		15,805.65	1,133.26
VIII कर व्यय :			
मौजूदा कर		5,889.37	1,225.41
पिछले वर्ष के लिए		---	(119.20)
आस्थगित कर		(296.20)	(791.26)
IX वर्ष के लिए लाभ/हानि (VII - VIII)		10,212.48	818.31
X प्रति इक्विटी शेयर से आय :			
(1) बेसिक (₹ में)		65.75	5.51
(2) डायलुटेड (₹ में)		65.47	5.47
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	25		
लेखा की अतिरिक्त टिप्पणियां	26		
संलग्न टिप्पणियां वित्तीय विवरण का अहम हिस्सा है।			

हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ताक्षरित और यहां तक की तिथि भी संलग्न है

अग्रवाल रमेश के एवं कंपनी के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

फर्म रजिस्ट्रेशन संख्या. 004614C

रमेश कुमार अग्रवाल  
सदस्यता संख्या. 072918  
पार्टनर  
सीन: कोलकाता  
तिथि : 21 जून 2016

बी. सी. गुप्ता  
कंपनी सचिव

देबाशीष घोष  
निदेशक (फाइनांस)

डी. आचार्य  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

नोट . 1

## शेयर पूंजी

(लाख ₹ में)

	31 मार्च 2016 तक	31 मार्च 2015 तक
<b>अधिकृत पूंजी</b>		
250,00,000 (पिछले वर्ष ₹ 2,50,00,000) ₹.1,000/- प्रत्येक के इक्विटी शेयर	250,000.00	250,000.00
<b>जारी, सदस्यता प्राप्त तथा चुकता पूंजी</b>		
अ) 1,00,000 (प्रति वर्ष ₹1,00,000) इक्विटी शेयर ₹.1000/- प्रत्येक (के हद तक का भुगतान नकद के अलावा ₹. 581) और ₹.419/- प्रत्येक नकद में)	1,000.00	1,000.00
व) 1,853 (प्रति वर्ष ₹ 1,853) ₹.1,000/-के इक्विटी शेयर प्रत्येक को पूरी तरह से चुकता भुगतान के रूप में आवंटित किया गया नकदी के अलावा अन्य प्रयोजन के लिए	18.53	18.53
स) 1,55,44,325 (प्रति वर्ष ₹ 1,52,94,325) ₹.1,000/- प्रत्येक के इक्विटी शेयर पूर्ण रूप से नकद में भुगतान	155,443.25	152,943.25
<b>कुल</b>	<b>156,461.78</b>	<b>153,961.78</b>
1.1 कंपनी के पास केवल एक ही वर्ग के इक्विटी शेयर हैं जिसका प्रति शेयर एक समान मूल्य 1000 ₹. है। प्रत्येक शेयरधारक प्रति शेयर एक वोट के पात्र हैं। निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयर धारक के अनुमोदन के अधीन है, अंतरिम लाभांश के मामले को छोड़कर।		
1.2 बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या का मिलान :	2015-16	2014-15
साल की शुरुआत में बकाया इक्विटी शेयर	15,396,178	14,696,178
वर्ष के दौरान आवंटित इक्विटी शेयर	250,000	700,000
साल के अंत में बकाया इक्विटी शेयर	15,646,178	15,396,178
<b>5% से ज्यादा शेयरधारकों का स्वामित्व (होल्डिंग)</b>		
1.3 15646175 संख्या ( % आरक्षित - 100% ) के इक्विटी शेयर भारत के राष्ट्रपति द्वारा आरक्षित रखा गया है		

नोट . 2

## रिजर्व तथा अधिशेष

(लाख ₹ में)

	31 मार्च 2016 तक	31 मार्च 2015 तक
I <b>पूंजी संचय</b> पिछले वित्तीय वर्ष के अनुसार शेष राशि	2.11	2.11
II <b>इंवेस्टमेंट एलाउंस यूटिलाइजेशन रिजर्व</b> पिछले वित्तीय विवरण के अनुसार शेष राशि	190.71	190.71
III <b>सामान्य रिजर्व</b> पिछले वित्तीय विवरण के अनुसार शेष राशि जोड़े: अधिशेष के स्थानांतरण	11,079.21 3,064.00	10,915.21 164.00
	14,143.21	11,079.21
IV <b>अधिशेष</b> पिछले वित्तीय विवरण के अनुसार शेष राशि घटाएं: मूल्यहास के लिए समायोजन (शुद्ध कर)	24,844.21 -	25,408.26 1,020.97
	24,844.21	24,387.29
	10,212.48	818.31
	35,056.69	25,205.60
जोड़े: वर्ष के लिए लाभ विनियोजन से पहले अधिशेष (I)	3,064.00	164.00
<b>विनियोजन</b>	3,064.00	164.00
सामान्य रिजर्व के लिए स्थानांतरण प्रस्तावित लाभांश	623.77	33.39
प्रस्तावित लाभांश पर कर कुल विनियोजन (II)	6,751.77	361.39
विनियोजन के बाद अधिशेष (I - II)	28,304.92	24,844.21
<b>कुल (I to IV)</b>	<b>42,640.95</b>	<b>36,116.24</b>

- 2.1 कंपनी अधिनियम 2013 के अधिनियमन के अनुरूप, कंपनी ने अपेक्षित उपयोगी जीवन को लागू किया है जो अनुसूची II में वर्णित है, कुछ परिसंपत्तियों को छोड़कर जिसका खुलासा मूल्यहास, परिशोधन और रिक्तीकरण पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में किया गया है। तदनुसार अपरिशोधित कैरिंग वैल्यू का संशोधित/शेष उपयोगी जीवन में मूल्यहास/परिशोधन हो रहा है। अचल संपत्ति का लिखित मूल्य जिनका जीवनकाल 1 अप्रैल 2014 को समाप्त हो गया है, को वर्ष 2014-15 में 1020.97 लाख रुपये की राशि को लाभ और हानि खाता में कर के शुद्ध समायोजित किया गया है।

नोट . 3

## आस्थगित कर देयता (शुद्ध)

(लाख ₹ में)

	31 मार्च 2016 तक	31 मार्च 2015 तक
<b>A. आस्थगित कर देयता</b> अचल संपत्तियों से संबंधित	7,534.31	7,790.73
<b>B आस्थगित कर देयता</b>		
1. अप्रचलित स्टोर के लिए प्रावधान	103.99	90.98
2. अवकाश वेतन के लिए प्रावधान	1,303.71	1,304.38
3. खदान बंद करने की बाध्यता के लिए प्रावधान	82.61	68.76
4. राजस्व पर लगाया गया पूर्वप्रदत्त व्यय	2.00	1.84
5. सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ के लिए प्रावधान	119.30	106.97
6. कर्मचारियों के अवकाश यात्रा रियायत के लिए प्रावधान	90.48	89.38
	1,702.09	1,662.31
<b>आस्थगित कर देयता (शुद्ध)</b>	<b>5,832.22</b>	<b>#6128.42</b>

# निश्चित मूल्य सम्पत्तियां रु शुन्य (गर्त वर्ष 525.72 लाख रुपये) संदर्भ टिप्पणी 2.1 के उपयोगी जीवन में सशोधन हेतु सामान्य आरक्षित अनुवर्ती के विरुद्ध समायोजन पर विचार के पश्चात

नोट . 4

## आस्थगित कर देयता (शुद्ध)

(लाख ₹ में)

	31 मार्च 2016 तक	31 मार्च 2015 तक
1. ठेकेदारों एवं आपूर्तिकर्ताओं को देयताएँ	1,031.71	1,027.54
<b>कुल</b>	<b>1,031.71</b>	<b>1,027.54</b>

नोट . 5

## दीर्घकालिक प्रावधान

(लाख ₹ में)

	31 मार्च 2016 तक	31 मार्च 2015 तक
1. कर्मचारियों के छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान	3,795.43	3,850.95
2. सेवा निवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ के लिए प्रावधान	394.22	359.05
3. खान बंदी दायित्व के लिए प्रावधान	238.70	202.30
4. कर्मचारियों के लिए छुट्टी यात्रा रियायत का प्रावधान	202.20	173.05
<b>कुल</b>	<b>4,630.55</b>	<b>4,585.35</b>

नोट . 6

## अल्प कालीन उधार ग्रहण

(लाख ₹ में)

	31 मार्च 2016 तक	31 मार्च 2015 तक
<b>A. प्रतिभूत</b>		
1. बैंक से ऋण (स्थिर जमा के विरुद्ध अधिक निकासी)	---	3,935.93
<b>B. अप्रतिभूत</b>		
1. बैंक से ऋण	59,090.74	47,500.45
2. अन्य संस्थानों से ऋण	12,781.83	11,825.83
<b>कुल</b>	<b>71,872.57</b>	<b>63,262.21</b>

### 6.1 अप्रतिभूत ऋण का विवरण

बैंको / संस्थानों का नाम	ऋण के प्रकार	ऋण की सीमा	31.03.2016 तक बकायया ऋण	व्याज की दर
एसबीआई जादूगोड़ा	नकद उधार	65,000.00	59,090.74	9.55%
न्यूक्लीयर पॉवर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि०	ऋण	10,000.0		
<b>कुल</b>			<b>69,090.74</b>	

उपार्जित व्याज शामिल है रु 2781.83 लाख (गत वर्ष रु 1825.83 लाख) बकाया किन्तु भुगतान नहीं किया गया

नोट . 7

## दीर्घकालिक प्रावधान

(लाख ₹ में)

	31 मार्च 2016 तक	31 मार्च 2015 तक
<b>विविध लेनदार रु</b>		
a) एसएसआई उपक्रमों	9.36	33.30
b) अन्य	4,948.14	5,156.75
<b>कुल</b>	<b>4,957.50</b>	<b>5,190.05</b>

7.1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम से संबंधित प्रकटीकरण

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2016 तक	31 मार्च 2015 तक
31 मार्च तक बकाया मूल धन	154.73	482.90
31 मार्च तक उस पर देय ब्याज और बकाया भुगतान	9.36	25.02
आपूर्तिकर्ता को भुगतान किया गया ब्याज	33.30	0.00
वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किया गया भुगतान	853.79	3,184.97
विलंब की अवधि के लिए बकाया और देय ब्याज	9.36	25.02
31 मार्च तक अर्जित ब्याज और शेष बकाया	9.36	33.30
आगे की ब्याज की राशि देय है जिसका भुगतान आनेवाले साल में किया जाएगा।	9.36	33.30

7.2 सूक्ष्म लघु एवं मध्यम संस्थायों के बारे में प्रकटीकरण, सम्बन्धित आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दी गयी जानकारी के आधार पर किया गया है

नोट . 8

## अन्य मौजूदा देनदारियां

(लाख ₹ में)

	31 मार्च 2016 तक	31 मार्च 2015 तक
1. ठेकेदारों तथा आपूर्तिकर्ताओं के प्रति दायित्व	21,249.08	19,469.01
2. कर्मचारियों तथा एसीईएस के दायित्व	9,862.78	6,504.90
3. केपीएम परियोजना के लिए भारत सरकार से सहायता अनुदान	754.45	754.45
4. गोगी और रोहिल परियोजना के लिए एएमडी से प्राप्त निधि	2,129.07	1,639.07
5. सरकारी संस्थाओं के दायित्व	5,691.08	2,768.74
6. करों तथा शुल्कों के लिए दायित्व	750.74	639.23
7. अन्य खर्चों के लिए देयता	221.43	186.87
8. बुक ओवरड्राफ्ट	986.31	—
	41,644.94	31,962.27

- 9 वर्ष 1996 में कम्पनी ने बन्द तुरामडीह परियोजना की परिसम्पत्ति को सेंट्रल रिजर्व पुलिस (सीआरपीएफ) को 2322 लाख रुपये की राशि का हस्तांतरण किया था। तुरामडिह खान के पुनः खुलने पर परिसम्पत्तियों को वापस ले लिया। सीआरपीएफ द्वारा लिये गये 3467 रुपये की राशि के कुल दावे के विरुद्ध 2500 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है और शेष 967 लाख रुपये अंतिम लंबित लेखा भुगतान में प्रावधित किया गया।
- 10 भारत सरकार का 1110.60 लाख रुपये (पिछले वर्ष 1110.60 लाख रुपये) जो बन्द परियोजना की जमीन एवं अन्य परिसम्पत्तियाँ हैं, का इस्तेमाल कम्पनी कर रही है। भारत सरकार द्वारा सूचित मुख्य आधारित राशि 1110.60 लाख रुपये, पिछले वर्ष 1110.60 लाख रुपये का प्रावधान लेखे में किया गया है।
- 11 अनुसंधान गवेशण हेतु खनन निदेशालय एवं यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (यूसिल) के बीच कर्नाटक के गुलवर्ग जिले में गोगी परियोजना हेतु खनन गवेशण द्वारा संभावित प्रचालन कार्य करने के लिए 6.3. 2007 को एक समझौता हुआ, जिसके लिए निधि ए.एम.डी. द्वारा उपलब्ध कराया गया था। यूसिल एक एजेंट के लिए कार्य करेगा एवं मालिकाना ए.एम.डी. से प्राप्त धन का समायोजन किये गये कार्य के साथ जाता है और यदि कोई शेष राशि हो तो उसे देयता के रूप में लेखे खाते में दर्शाया जाता है। बाद में 2000 लाख रुपये की राशि रोहिल परियोजना से प्राप्त हुई है।
- 12 क) मेघालय के केलेंग पेंडेंग सोहियोंग माउथावा खनन एवं मिलिंग परियोजना के ढाँचागत विकास हेतु भारत सरकार से सहायक अनुदान के रूप में कुल 4000 लाख रुपये ;पिछले वर्ष 4000 लाख रुपये प्राप्त हुआ था। कुल 4000 लाख रुपये में से 3322.03 लाख रुपये (पिछले वर्ष 2977.04 लाख रुपये) 31.03.2015 तक के एच.डी.सी. को दिया गया था।  
ख) उपर्युक्त दर्शित शेष राशि जिसमें ब्याज सहित 76.49 लाख रुपये (पिछले वर्ष 76.49 लाख रुपये) उस पर अर्जित राशि है।

नोट . 9

## लघु अवधि के प्रावधान

(लाख ₹ में)

	31 मार्च 2016 तक	31 मार्च 2015 तक
1. ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान	104.08	1,802.39
2. अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान	230.58	252.42
3. कराधान के लिए	5,904.92	1,226.33
4. प्रस्तावित लाभांश	3,064.00	164.00
5. प्रस्तावित लाभांश पर कर	623.77	33.39
6. बिक्री कर एवं उत्पाद शुल्क के लिए प्रावधान	—	61.97
7. सीआईएसएफ के बकाया राशि के लिए प्रावधान	53.51	—
8. कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ के लिए प्रावधान	7.94	6.46
9. कर्मचारियों के अवकाश यात्रा खर्चा के लिए प्रावधान	89.37	120.16
10. अन्य के लिए प्रावधान	5.19	3.52
	10,083.36	3,670.64

नोट . 10A एण्ड 10B

## स्थायी परिसम्पत्तियाँ

(लाख ₹ में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्य ह्रास					शुद्ध ब्लॉक	
	01-04-2015 को	जोड़ा/समायोजन	बिक्री/समायोजन	31-03-2016 को	01-04-2015 को	वर्ष के लिए	बिक्री एवं समायोजन	गत वर्ष के लिए	31-3-2016 तक कुल प्रावधान	31-03-2016 को	31-03-2016 को
<b>10 (क) प्रत्यक्ष परिसम्पत्तियाँ</b>											
लीज भूमि	680.56	25.02	0.00	705.58	457.98	45.67	0.00	0.00	503.65	201.93	222.58
स्वतंत्र भूमि	4467.00	0.00	0.00	4467.00	61.79	0.00	0.00	0.00	61.79	4405.21	4405.21
फैक्ट्री भवन	20988.73	1461.15	0.00	22449.88	6204.51	855.70	0.00	0.00	7060.21	15389.67	14784.22
अन्य भवन	9683.51	20.95	0.00	9704.46	2508.68	190.30	0.00	0.00	2698.98	7005.48	7174.84
संयंत्र एवं मशीनरी	84813.41	4607.63	0.00	89421.04	59565.12	5669.65	0.00	0.00	65234.77	24186.27	25248.29
विद्युत पतिस्थापन	15950.53	451.47	0.00	16402.00	6594.34	1063.41	0.00	0.00	7657.75	8744.25	9356.19
ओपेनेकास्ट खान	12235.28	0.00	0.00	12235.28	3820.09	608.33	0.00	0.00	4428.42	7806.86	8415.19
फर्नीचर एवं साज सामान	674.60	68.87	0.00	743.47	470.85	51.26	0.00	0.00	522.11	221.36	203.75
उपकरण	1136.55	70.47	0.00	1207.02	857.37	77.83	0.00	0.00	935.20	271.82	279.18
वाहन	1025.61	2.57	0.00	1028.18	782.51	60.42	0.00	0.00	842.93	185.25	243.10
<b>कुल</b>	<b>151655.78</b>	<b>6708.13</b>	<b>0.00</b>	<b>158363.91</b>	<b>81323.24</b>	<b>8622.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89945.81</b>	<b>68418.10</b>	<b>70332.55</b>
<b>10 (ख) अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियाँ</b>											
(वन भूमि में उपयोग के लिए)	1398.47	0.00	0.00	1398.47	391.85	63.18	0.00	0.00	455.03	943.44	1006.61
<b>योग</b>	<b>1398.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1398.47</b>	<b>391.85</b>	<b>63.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>455.03</b>	<b>943.44</b>	<b>1006.61</b>
<b>कुल योग</b>	<b>153054.25</b>	<b>6708.13</b>	<b>0.00</b>	<b>159762.38</b>	<b>81715.09</b>	<b>8685.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90400.84</b>	<b>69361.54</b>	<b>71339.16</b>
गत वर्ष	148617.15	4437.10	0.00	153054.25	71877.94	9842.38	0.00	(5.23)	81715.09	71339.16	76739.21

- वर्ष के लिए रुपये 8685.75 लाख (गत वर्ष रुपये 9837.15 लाख) मूल्यहासित कर आबंटित किया गया :  
 (क) लाभ हानि खाता में रु. 8581.18 (गत वर्ष 8180.62 लाख)  
 (ख) परियोजना पर अप्रत्यक्ष खर्च रुपये 104.57 लाख (गत वर्ष रुपये 109.85 लाख)  
 (ग) प्रतिधारित आय रु. शून्य (गत वर्ष रुपये 1546.68 लाख) के विरुद्ध समायोजन
- अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियाँ 553.24 एकड़ (गत वर्ष 553.24 एकड़) 1398.47 लाख रुपये (गत वर्ष रुपये 1398.47 लाख) की वन भूमि भी शामिल है जो झारखण्ड सरकार से विशिष्ट उपयोग के लिए प्राप्त किया गया है और स्वामित्व झारखण्ड सरकार के पास है !

नोट . 11

## कैपिटल वर्क-इन-प्रोग्रेस

(लाख ₹ में)

	31 मार्च 2016 तक	31 मार्च 2015 तक
<b>परिचालन इकाईयां:</b>		
1. जादूगोडा माइंस ऐंड मिल्स	48.44	72.73
2. नरवापहाड़ माइन	—	4.86
3. तुरामडीह माइन	156.18	909.02
4. बागजाता माइन	4,221.39	4,221.39
5. तुरामडीह मिल	34.01	261.07
6. बंदुहुरांग माइन	27.86	35.14
7. मोहुलडीह माइन	895.67	713.31
<b>चालू परियोजनाएं</b>		
8. तुमलापल्ले परियोजना	205,095.62	186,178.96
9. तुरामडीह माइन विस्तारीकरण परियोजना	—	1,376.73
10. तुरामडीह मिल विस्तारीकरण परियोजना	4,594.48	4,587.24
11. तुरामडीह मैगनेटाइट प्लांट प्राजेक्ट	308.93	119.13
12. तुरामडीह पैरॉक्साइड प्लांट प्राजेक्ट	655.57	490.23
13. जादूगोडा में टेलिंग पॉण्ड प्रोजेक्ट का चौथा चरण	2,113.81	241.75
14. तुरामडीह में टेलिंग पॉण्ड प्रोजेक्ट का दूसरा चरण	394.81	554.45
15. भाटिन माइन आधुनिकीकरण परियोजना	1,072.33	869.45
<b>परियोजना पूर्व व्यय</b>		
लांबापुर परियोजना	758.20	750.31
के.पी.एम. परियोजना	856.50	823.46
तुमालापल्ले विस्तारीकरण परियोजना	82.76	82.76
गोगी परियोजना	122.85	104.89
रोहिल परियोजना	5.70	5.33
परिचालन के अडचन को दूर करना	21.96	2.00
यूरेनियम रिकवरी प्लांट (मोसाबनी)	51.15	13.42
17. अधिष्ठापन हेतु लंबित स्टॉक में पूंजी परिसंपत्ति / 2.09 लाख रुपये का पारगमन में इस्तेमाल भी शामिल है (पिछले वर्ष : 63.18 लाख रुपये)	1,899.12 1,038.26	 926.62
	<b>222,556.58</b>	<b>203,344.25</b>

18. चालू परियोजनाओं तथा परियोजना से पूर्व की स्थिति का उल्लेख लेखा पर अतिरिक्त नोट्स के क्रम संख्या 26.3 में किया गया है (नोट. 26).

नोट . 12

## लंबी अवधि के ऋण तथा अग्रिम

(लाख ₹ में)

	31 मार्च 2016 तक	31 मार्च 2015 तक
<b>अग्रिम पूंजी</b>		
i) सुरक्षित, अच्छा माना गया	7.40	10.81
ii) असुरक्षित, अच्छा माना गया	-	-
<b>कुल(1)</b>	<b>7.40</b>	<b>10.81</b>
<b>प्रतिभूति जमा</b>		
i) सुरक्षित, अच्छा माना गया	-	-
ii) असुरक्षित, अच्छा माना गया	584.97	478.52
<b>कुल(2)</b>	<b>584.97</b>	<b>478.52</b>
<b>अन्य ऋण तथा अग्रिम</b>		
i) सुरक्षित, अच्छा माना गया		
a) कर्मचारियों को आवास निर्माण अग्रिम	804.59	805.04
b) अनुबंध पर कार्यों के लिए अग्रिम	765.15	1,169.15
ii) असुरक्षित, अच्छा माना गया कर्मचारियों को अग्रिम	110.33	49.97
	1,680.07	2,024.17
<b>कुल(1+2)</b>	<b>2,272.44</b>	<b>2,513.50</b>

<b>4. निदेशकों की ओर से बकाया ऋण तथा अग्रिम का विवरण</b>	<b>2015.16</b>	<b>2014.15</b>
a) साल के अंत में बकाया राशि	Nil	Nil
b) फर्म या निजी कंपनी द्वारा बकाया अग्रिम जिसमें कंपनी को कोई निदेशक एक निदेशक या सदस्य है, जो शून्य राशि (प्रति वर्ष शून्य रुपये) के समतुल्य है।	Nil	Nil

नोट . 13

## इंवेन्टरीज

(लाख ₹ में)

	31 मार्च 2016 तक	31 मार्च 2015 तक
<b>1. इंवेन्टरीज</b> (प्रबंधन द्वारा स्वीकृत, महत्वपूर्ण तथा प्रमाणित)		
a) मूल वस्तुएं	423.77	269.47
b) भंडार तथा पुर्जे		
i) भंडार तथा पुर्जे	2,632.23	2,581.30
ii) परियोजना के लिए भंडार एवं पुर्जे	262.75	379.73
ii) मार्गस्थ सामान	2,894.98	2,961.03
घटाएं: अप्रचलित भंडार के लिए प्रावधान	300.48	267.68
	2,594.50	2,693.35
c) व्यापार का कुल माल		
i) ओर	5,723.20	2,662.78
ii) कार्य प्रगति पर	1,474.54	1,437.66
iii) बाय-प्रोडक्ट्स	77.49	30.94
iv) बाय-प्रोडक्ट्स	3.25	3.25
घटाएं: प्रावधान (बाय-प्रोडक्ट्स)	74.24	27.69
	227.75	246.38
iv) स्क्रेप	7,499.73	4,374.51
<b>कुल (a+b+c)</b>	<b>10,518.00</b>	<b>7,337.33</b>

नोट . 14

## व्यापार प्राप्तियां

(लाख ₹ में)

	31 मार्च 2016 तक	31 मार्च 2015 तक
1. छह महीनों में		
i) अच्छा माना गया	411.59	-
ii) संदिग्ध माना गया	-	-
	411.59	-
अन्य ऋण (अच्छा माना गया)	22,669.91	7,009.70
<b>कुल</b>	<b>23,081.50</b>	<b>7,009.70</b>

- 14.1 कम्पनी के किसी निदेशक अथवा अन्य अधिकारी द्वारा कर्ज है चाहे अलग अथवा संयुक्त रूप में किसी व्यक्ति अथवा किसी फर्म या निजी कम्पनी जिसमें कोई निदेशक साझेदार है अथवा निदेशक अथवा सदस्य शून्य (गत वर्ष)

नोट . 15

## नकदी एवं बैंक बैलेंस

(लाख ₹ में)

	31 मार्च 2016 तक	31 मार्च 2015 तक
<b>नकद और नकदी के समतुल्य</b>		
1. उपलब्ध नकद ;अग्रदाय नकद एवं स्टाम्प भी शामिल है) जैसा प्रमाणित किया गया	14.26	14.99
2. बैंकों के पास जमा राशियां		
a) चालू खाता	3,084.45	3,003.33
b) तीन महीने के भीतर मेच्योरिटी के साथ जमा राशि (धारणाधिकार के बिना)	99.50	1,800.00
c) तीन महीने के भीतर मेच्योरिटी के साथ जमा राशि (धारणाधिकार के साथ)	—	4,315.69
उप योग (A) नकद और नकदी के समतुल्य	3,198.21	9,134.01
<b>अन्य बैंक बैलेंस *</b>		
a) तीन महीने से ज्यादा समय में मेच्योरिटी के साथ जमा राशि		
i) धारणाधिकार के बगैर जमा राशि	121.38	1.45
उप योग (B)	121.38	1.45
<b>कुल</b>	<b>3,319.59</b>	<b>9,135.45</b>

बैंक जमा शामिल है रु 1.88 लाख (गत वर्ष शून्य) जिसकी मियाद 12 महीने से अधिक है

नोट . 16

## लघु अवधि के ऋण तथा अग्रिम

(लाख ₹ में)

	31 मार्च 2016 तक	31 मार्च 2015 तक
<b>A. सुरक्षित, अच्छा माना गया</b> कर्मचारियों को अग्रिम	173.86	168.03
<b>B. असुरक्षित, अच्छा माना गया</b>		
a) कर्मचारियों को अग्रिम	302.60	288.14
b) आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम		
i) अच्छा माना गया	709.58	603.92
ii) संदिग्ध माना गया	0.00	2.33
	709.58	606.25
घटाएं: संदिग्ध अग्रिमों के लिए बनाए गए प्रावधान	0.00	2.33
	709.58	603.92
	1,867.91	1,229.85
	5,944.33	3,194.41
c) ठेकेदारों, सरकारी विभागों आदि को अग्रिम		
d) कराधान के लिए अग्रिम		
e) अन्य प्राप्य	869.61	855.37
	0.00	0.00
i) अच्छा माना गया	869.61	855.37
ii) संदिग्ध माना गया	0.00	0.00
घटाएं: संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		
f) कर्मचारियों से अन्य प्राप्य	869.61	855.37
g) पूर्वदत्त व्यय	77.04	33.76
	29.32	35.95
<b>कुल</b>	<b>9,974.25</b>	<b>6,409.43</b>

16.1 2007-08 में झारखण्ड सरकार के जिला पदाधिकारी के पास 165.63 लाख रुपये के मैग्नेटाइट डिपॉजिट पर लेख का राजस्व जिसमें ठेकेदार, सरकारी विभाग सहित अग्रिम है, विरोध के तहत जमा किया है, जिसके विरुद्ध विवाद न्यायलय में विचाराधीन है ।

16.2 निदेशकों की ओर से देय ऋण तथा अग्रिम का विवरण	31 मार्च 2016	31 मार्च 2015
a) वर्ष के अंत में देय राशि	कुछ नहीं	कुछ नहीं
b) फर्म या निजी कंपनी द्वारा बकाया अग्रिम जिसमें कंपनी को कोई निदेशक एक निदेशक या सदस्य है, जो शून्य राशि (प्रति वर्ष शून्य रुपये) के समतुल्य है।	कुछ नहीं	कुछ नहीं

नोट . 17

## अन्य मौजूदा परिसंपत्ति

(लाख ₹ में)

	31 मार्च 2016 तक	31 मार्च 2015 तक
<b>उपार्जित ब्याज</b>		
1. बैंकों से	13.38	101.26
2. कर्मचारियों से	657.53	613.63
3. अन्य से	0.77	0.77
<b>कुल</b>	<b>671.68</b>	<b>715.67</b>

नोट . 18

## परिचालन से राजस्व

(लाख ₹ में)

	2015—16	2014—15
1. परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार द्वारा यूरेनियम कॉन्स्ट्रेंट के अधिग्रहण के लिए मुआवजा		
a) मौजूदा वर्ष के लिए	91,567.98	95,224.13
b) पिछले वर्ष के लिए	25,004.31	-
घटाएं: तुमलापल्ले परियोजना से संबंधित राशि आई. ई. डी. सी में स्थानांतरित	116,572.29 15,987.78	95,224.13 8,756.49
उप योग	100,584.51	86,467.64
2. बाय-प्रोडक्ट्स की बिक्री	841.77	886.04
उप योग	101,426.28	87,353.68
घटाएं: बाय-प्रोडक्ट पर उत्पाद शुल्क	89.69	88.80
<b>टर्नओवर ( नेट )</b>	<b>101,336.59</b>	<b>87,264.88</b>

3. वर्ष 2011—12, 2012—13 और 2013—14 के लिए मुआवजे की दर का निर्धारण परमाणु ऊर्जा विभाग हो गया है । मुआवजा पूर्व वर्ष के ऊपर दर्शाया गया है । वर्ष 2014—15 और 2015—16 के लिए मुआवजे की दर लम्बित है । वर्ष 2013—14 के लिए प्रयोज्य मुआवजे की दर को वर्ष 2015—16 के लिए दौरान सांद्र यूरेनियम के प्रेषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति के रूपमें संचालन से आय के लिए निर्धारित किया गया है । किसी प्रकार के अंतर की गणना, जिस वर्ष दर का निर्धारण फाइनल होगा, उसी वर्ष में की जाएगी ।

नोट . 19

## अन्य आय

(लाख ₹ में)

	2015-16	2014-15
<b>A ब्याज</b>		
1. ब्याज बैंकों के पास जमा करने पर	29.90	729.52
2. अन्य	449.51	263.02
<b>उप योग (A)</b>	<b>479.41</b>	<b>992.54</b>
<b>B अन्य गैर – परिचालन आय</b>		
1. स्क्रेप माल की बिक्री	166.25	214.83
2. उपकरणों तथा वाहनों का भाड़ा शुल्क	1.95	2.36
3. पैकिंग में संशोधन, भाड़ा, दंड आदि के संबंध में आपूर्तिकर्ताओं से वसूली		
4. निविदा प्रपत्र की बिक्री	50.46	70.37
5. देनदारियां तथा प्रावधानों की अब कोई आवश्यकता नहीं है	7.74	10.07
6. टाउनशिप रसीदे	149.12	129.35
7. विविध चीजें	251.50	280.48
	19.8	
<b>उप योग (B)</b>	<b>646.88</b>	<b>726.47</b>
<b>कुल (A+B)</b>	<b>1,126.29</b>	<b>1,719.01</b>

नोट . 20

## खपत माल की लागत

(लाख ₹ में)

	2015-16	2014-15
1. खपत माल की लागत	6,878.68	7,070.52
<b>कुल</b>	<b>6,878.68</b>	<b>7,070.52</b>

## तैयार माल की सूची में परिवर्तन तथा कार्य प्रगति पर

नोट . 21

(लाख ₹ में)

	31 मार्च 2016 तक	31 मार्च 2015 तक
<b>प्रारंभिक जमा</b>		
ओर	2,662.78	1,471.83
बाय—प्रोडक्ट्स	30.94	8.83
कार्य प्रगति पर	1,437.66	1,558.51
स्क्रेप	246.38	131.01
	4,377.76	3,170.18
<b>जमा शेष</b>		
ओर	5,723.20	2,662.78
बाय—प्रोडक्ट्स	77.49	30.94
कार्य प्रगति पर	1,474.54	1,437.66
स्क्रेप	227.75	246.38
	7,502.98	4,377.76
<b>कुल, स्टॉक में वृद्धि/गिरावट</b>	(3,125.22)	(1,207.58)

नोट . 22

## कर्मचारी लाभ व्यय

(लाख ₹ में)

	2015-16	2014-15
1. वेतन, मजदूरी और भत्ता	25,925.42	22,653.72
2. भविष्य निधि में योगदान	2,013.17	1,888.33
3. ग्रेच्युटी फंड में योगदान	97.79	1,721.54
4. वेलफेयर फंड/ कल्याण कोष के लिए योगदान	1.12	1.00
5. सेवानिवृत्ति निधि के लिए योगदान	113.10	80.05
6. छुट्टी यात्रा रियायत पर व्यय	69.23	164.90
7. कर्मचारी कल्याण व्यय	371.93	450.24
8. चिकित्सा व्यय	974.38	908.93
<b>कुल,</b>	<b>29,566.14</b>	<b>27,868.71</b>

9. वेतन तथा मजदूरी सहित अन्य लाभ रुपये 534.381 लाख (गत वर्ष 373.08 लाख रुपये) में जल की लागत से सम्बंधित वेतन एवं मजदूरी तथा अन्य लाभ में सम्मिलित नहीं है

नोट . 23

## अन्य खर्च

(लाख ₹ में)

	2015-16	2014-15
1. स्टोर्स तथा स्पेयर पार्ट्स की खपत	5,814.92	7,067.33
2. बिजली और ईंधन	7,405.50	7,804.88
3. मरम्मत एवं रखरखाव :		
a) भवन	565.43	600.52
b) मशीनरी एवं वाहन	8,978.78	11,078.13
c) अन्य	693.32	709.70
4. अनुबंधीय खदान विकास खर्च	10,237.53	4,753.31
5. बीमा	5,502.91	48.78
6. दर तथा कर, आय पर करों को छोड़कर	36.62	31.94
7. पानी	7.45	794.62
8. रॉयल्टी	995.66	1,808.17
9. परिवहन खर्च	2,758.92	938.62
10. सुरक्षा व्यय	764.63	2,458.25
11. टाउनशिप तथा सामाजिक सुविधाओं पर व्यय	2,852.84	129.81
12. यात्रा खर्च	137.00	144.54
13. टेलीफोन व्यय	139.67	43.88
14. प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी	39.65	38.86
15. डाक और तार	46.37	23.20
16. विधि व्यय	25.71	19.97
17. विज्ञापन व्यय	5.89	318.11
18. बिक्री कर	287.74	148.00
19. अंकेंक्षकों का पारिश्रमिक	206.12	10.73
20. माल ढुलाई और हैंडलिंग शुल्क	10.33	50.64
21. अप्रचलित दुकानों के प्रावधान	51.16	8.92
22. खदान बंद करने की बाध्यता के लिए प्रावधान	33.30	34.26
23. निगमित सामाजिक दायित्व व्यय	36.40	281.49
24. सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	295.60	124.28
25. वाहन किराया शुल्क	59.31	447.79
26. कंसल्टेंसी शुल्क	458.21	89.62
27. विविध व्यय	88.66	302.86
<b>कुल</b>	<b>262.00</b>	<b>40,311.21</b>

28. मरम्मत एवं अनुरक्षण भण्डार के रुपये 2738.46 लाख (गत वर्ष 3052.88 लाख रुपये) सम्मिलित हैं तथा कलपुर्जे रुपये 5195.13 लाख (गत वर्ष 6748.73 लाख रुपये) कुल रुपये 7933.60 लाख (गत वर्ष 9801.61 लाख रुपये) जिसे "भण्डार एवं कलपुर्जे" में सम्मिलित नहीं किया गया है ।

(लाख ₹ में)

29.	लेखा परीक्षकों को भुगतान में शामिल हैं:	2015-16	2014-15
A	वैधानिक लेखा परीक्षक		
	लेखा परीक्षक के रूप में	3.09	3.03
	कर अंकेक्षण के लिए	0.72	0.70
B	आंतरिक अंकेक्षण शुल्क	6.18	6.66
C	वैट अंकेक्षण शुल्क	0.34	0.34
	कुल	10.33	010.73

30. सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली राशि तथा वित्त वर्ष 2015-16 के लिए कंपनी अधिनियम के अनुसार वित्तीय विवरण निम्नलिखित है : (लाख ₹ में)

क्रम सं.	विवरण	
1.	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के अनुसार पिछले तीन वित्त वर्ष का औसत शुद्ध लाभ	17,183.01
2.	शुद्ध लाभ का औसत	5,727.67
3.	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अन्तर्गत सीएसआर गतिविधि के लिए मार्क	2%
4.	वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की जानेवाली राशि	114.55
5.	वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर खर्च हुई वास्तविक राशि	295.60

आईसीआईएल द्वारा जारी सीएसआर पर मार्गदर्शक नोट के खंड 17 के अनुसार, सीएसआर गतिविधियों पर यूसीआईएल द्वारा वहन किए गए खर्च का विवरण इस प्रकार है :

क्रम सं.	विवरण	नकद में	नकद में भुगतान किया जाना है	कुल
(I)	परिसंपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	33.59	29.10	62.69
(ii)	उपरोक्त के अलावा (I)	162.80	70.11	232.91

नोट . 24

### पूर्व अवधि के समायोजन

(लाख ₹ में)

	2015-16	2014-15
<b>खर्च</b>		
मूल्यहास	-	(5.22)
अन्य व्यय	42.12	-
उप-योग - (A)	42.12	(5.22)
<b>आय</b>		
अन्य	-	(10.70)
उप-योग - (B)	-	(10.70)
कुल - (B - A)	(42.12)	(5.48)

नोट- 25

## महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

## 1. वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार :

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परम्परा के अन्तर्गत भारत में साधारणतया स्वीकृत सिद्धांत, कम्पनी 2013 के प्रावधानों, परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 तथा अन्य प्रयोजन कानूनी अधिनियम के अनुसार तैयार किया जाता है।

## 2. अनुमानों का प्रयोग :

वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण में अनुमानों एवं धारणाओं के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है जो कि वित्तीय विवरण के दिन परिसम्पत्ति एवं दायित्वों को सूचित करता है तथा उस अवधि के दौरान राजस्व एवं खर्च को सूचित करता है। उस अवधि के वास्तविक परिणामों एवं अनुमानित परिणामों के अन्तर को जानने के बाद/कार्य पूरा होने के बाद मान्यता दी जाती है।

## 3. स्थायी परिसम्पत्तियाँ :

क) कुल मूल्यहास को घटाकर सभी निश्चित परिसम्पत्तियों को ऐतिहासिक लागत पर दिखलाया गया है। परियोजनाओं के मामले में लागत पर्व परिचालन के खर्च भी शामिल हैं।

ख) नयी खानों के निर्माण में हुए खर्चों को खान निर्माण की अवधि में निकले अयस्क से हुई आय को घटाकर प्राप्त किया जाता है।

ग) बीमाकृत कलपूर्जों जो केवल निश्चित परिसम्पत्तियों के मद के सिलसिले में प्रयोग किये जा सकते हैं तथा जिनका नियमित रूप से इसमें उपयोग नहीं होता है उन्हें सम्बंधित सम्पत्तियों के साथ जोड़ा गया है।

घ) सिस्टम सॉफ्टवेयर को सम्बंधित परिसम्पत्तियों के साथ पूँजी में परिणत किया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जिस वर्ष इसका उपयोग हुआ उस वर्ष उसे राजस्व में दिखलाया गया है।

## 4. पूँजीगत कार्य प्रगति पर :

पूँजीगत कार्य प्रगति पर में सम्पत्ति के अधिग्रहण तथा निर्माण के खर्च शामिल हैं तथा अचल परिसम्पत्तियों की लागत जिसे उसमें अभिप्रेरित उपयोग के लिए अभी भी तैयार नहीं है को निर्माण खर्च में शामिल किया गया है।

## 5. मूल्यहास :

क) कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में निर्धारित दर के आधार पर मूल्यहास सीधी रेखा पद्धति द्वारा लगाया जाता है :

उन सम्पत्तियों, जिनका हास उनके तकनीकी अनुमान के आधार पर किया गया है, निम्नलिखित हैं:

- |                              |   |                                      |
|------------------------------|---|--------------------------------------|
| i) सड़क, पुल एवं कलवर्ट      | - | 30 वर्ष                              |
| ii) शाफ्ट एवं डिक्लाइन       | - | 21 वर्ष                              |
| iii) विद्युत, बिजली संस्थापन | - | 15 वर्ष                              |
| iv) प्लांट एवं मशीनरी (मिल)  | - | 9.5 वर्ष<br>(तीन शिफ्ट आधार पर)      |
| v) रिहायशी मकान (तुरामडीह)   | - | 45 वर्ष<br>(सी आर पी एफ से लिया गया) |

ख) ओपेन कास्ट खान के विकास पर व्यय : ओपेन कास्ट खान के विकास के हुए व्यय को अयोग्य पत्थरी की पर्त को हटाने एवं खान के चालू होने की तिथि तक खनन बेंचों की तैयारी में हुए व्यय को खान की पूर्ण आयु पर परिशोधित किया जाता है।

ग) टेलिंग पौण्ड : तकनीक मूल्यांकन के आधार पर तृतीय टेलिंग्स पौण्ड (स्लाइम डैम) के उपयोग की आयु 10 वर्ष है। टेलिंग पौण्ड (स्लाइम डैम) के दीवार के ऊपर तक उठाने का कार्य वित्तीय वर्ष में पूरा कर इसे पूँजीगत कर दिया गया है एवं तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर इसके उपयोग आयु से हासित किया गया।

घ) प्रभावित वर्ष की पूर्ण अवधि में परिसम्पत्तियों का समायोजन/निपटान मासिक यथानुपात के

आधार पर मूल्य-हास प्रभारित कर दिया जाता है जिसमें अगले महीने की प्रथम तिथि को अधिग्रहण की तिथि तथा महीने की अंतिम तिथि को उसके निपटान की तिथि माना गया है।

- ड) सम्पत्ति का विस्तार या योग जो वर्तमान परिसम्पत्तियों का अभिन्न अंग है उसे उसके उपयोग की शेष अवधि के लिए हासित किया गया।
- च) टेलिंग्स पौण्ड के निर्माण के लिए उपयोग की गई निजी भूमि, सरकारी भूमि, वनभूमि का मूल्यहास उसकी उपयोगी आयु के आधार पर किया गया है।
- छ) सरकारी भूमि जिसे लीज होल्ड के अन्तर्गत दिखलाया गया है तथा जिसे अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया गया है उसे लीज अवधि तक के लिए या सम्पत्ति के उपयोग की अवधि तक के लिए जो भी पहले होता है जिसके लिए भूमि का उपयोग किया गया है उसका मूल्यहास किया गया है।
- ज) अमूर्त सम्पत्ति : वन भूमि जिसे विभिन्न खानों एवं मिलों के लिए अधिग्रहित किया गया था उसका परिशोधन सीधी रेखा पद्धति के आधार पर उसकी सम्भावित आयु के अनुमान पर किया गया है।
- झ) बीमाकृत कलपूजों को संबंधित परिसम्पत्तियों के अवशेष उपयोग की आयु से उस दर पर हासित किया जाता है जो उस सम्पत्ति के लिए प्रयोज्य है तथा मूल्यहास की राशि को सम्पत्ति के अधिग्रहण की तारीख से बीमाकृत कलपूजों की आयु तक के लिए अधिग्रहण की आयु तक के लिए अधिग्रहण के वर्ष में लगाया गया है।
6. **वस्तुओं का मूल्यांकन :**
- क) **वस्तुओं का मान :** वस्तुओं को कम लागत एवं प्राप्ति योग्य मूल्य में जो भी कम हो पर लिया गया है।

#### ख) लागत सूत्र :

i)	अयस्क एवं प्रगतिशील कार्य	लागत पद्धति अपनाने पर
ii)	प्रत्यक्ष सामग्री, भण्डार तथा कलपूजें	भारित औसत लागत मूल्य पर
iii)	मार्गस्थ एवं निरीक्षणार्थीन माल	अधिग्रहित मूल्य पर
iv)	गौण-उत्पाद	परिवर्तित लागत पर
v)	स्क्रेप	अनुमानित मूल्य पर

ग) **खुले औजार :** खुले औजार को जारी करने के वर्ष ही बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

घ) **प्रयोज्य सम्पत्ति :** निश्चित परिसम्पत्तियों के मद जो उपयोग के बाद छोड़ दिये जाते हैं तथा जिनकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी है एवं जिन्हें निपटाने के लिए रखा गया है उन्हें उनके शुद्ध लिखित मूल्य तथा प्राप्तियोग्य मूल्य जो भी कम हो, पर दिखलाया जाता है।

#### ड.) अयोग्य/अप्रचलित भण्डार

पूँजीगत भंडार एवं बीमाकृत कलपूजों के अतिरिक्त ऐसे भण्डार व कलपूजें जिनका पिछले पाँच वर्षों में प्रयोग नहीं किया गया है, के लिये अयोग्य अप्रचलित भण्डार का प्रावधान किया गया है। अनपयुक्त घोषित की गई सामग्री को निपटाने के लिये अलग रखा जाता है और उसके लिखित मूल्य को बट्टे खाते में डाल दिया जाता है। निपटाने में प्राप्त हुए मूल्य को आय में जमा कर दिया जाता है।

#### 7. राजस्व की मान्यता :

भारत सरकार द्वारा यूरेनियम सान्द्र के अधिग्रहण के लिए दी गई क्षतिपूर्ति को राजस्व के रूप में मान्यता दी गयी है।

#### 8. केन्द्र सरकार द्वारा पूँजीगत व्यय में सहायता :

केन्द्र सरकार द्वारा पूँजीगत व्यय के लिये प्राप्त अनुदान जहां अधिग्रहित परिसम्पत्तियों का स्वामित्व सरकार के पास हो, इस प्रकार की परिसम्पत्तियों के रख-रखाव की लागत में समायोजित किया जाता है।

#### 9. अयस्क पिण्ड के विकास पर व्यय :

वर्तमान कार्यरत खान में अयस्क पिण्ड को विकसित करने में हुए व्यय को उसी वर्ष जिसमें यह व्यय हुआ है, के लाभ हानि खाते में दिखाया गया है।

**10. खान बंदी दायित्व :**

खान एवं खनिज (विकास व नियमन) कानून 1957(एम.एम.डी.आर. 1957) के अनुसार खान बन्द करने व पर्यावरण के पुनरुद्धार के दायित्व को पूर्ण करने के लिये देयधन का, अयस्क भण्डार की उपलब्धता के आधार पर तकनीकी आकलन कर खान के वार्षिक खनिज उत्पादन के आधार पर लाभ हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है।

**11. सेवा निवृत्ति के लाभ :**

क) भविष्य निधि में कम्पनी के अंशदान को लाभ हानि खाता में उपार्जित आधार पर दिखालाया गया है।

ख) सेवा निवृत्ति में अंशदान कम्पनी की नीतियों के आधार पर किया जाता है तथा इसे भारत सरकार के जीवन बीमा निगम में जमा कराया जाता है एवं लाभ हानि खाता में उसी वर्ष दिखालाया जाता है जिस वर्ष यह (प्रीमियम) बकाया पड़ता है।

ग) ग्रेच्युटी तथा छुट्टी के नगदीकरण के लाभ को उपार्जित मूल्यांकन के आधार पर उसी वर्ष लाभ हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

घ) स्वौच्छिक सेवा निवृत्ति के खर्चों को उसी वर्ष राजस्व खाते में प्रभारित किया जाता है जिस वर्ष यह कर्मचारियों को अनुमोदित किया जाता है।

**12. छुट्टी यात्रा रियायत लाभ :**

छुट्टी यात्रा रियायत लाभ बीमाकित मूल्यांकन के आधार पर वर्ष के लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

**13. विदेशी मुद्रा का लेन-देन :**

विदेशी मुद्रा का लेन-देन उसी तारीख के प्रभावी दर पर दर्ज किया जाता है जिस तारीख को यह लेन-देन हुआ है। वर्ष के अंत में विदेशी मुद्रा का दायित्व तथा चालू परिसम्पत्तियों को प्रभावी दर से रूपांतरित/बदला जाता है। पूँजीगत सम्पत्ति के मामले में इसके अन्तर को निश्चित परिसम्पत्तियों/पूँजी डब्ल्यू आई पी से तथा चालू परिसम्पत्ति/दायित्व के मामले में लाभ-हानि खाते में रूपांतरित किया जाता है।

**14. चालू एवं आस्थगित कर के लिए प्रावधान :**

आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभ को विचारने के बाद वर्तमान के कर का प्रावधान किया गया है। आस्थगित कर जो लिखित और कर योग्य लाभ के मध्य समय की भिन्नता (टाइमिंग डिफरेंस) के फलस्वरूप कर की दरें तथा नियमों में प्रयोग के लिए किया जाता है जो आर्थिक चिह्न के दिन विधि अथवा पर्याप्त रूप से पर्याप्त रूप से विधिवत् रूप में लिया जाता है। आस्थगित कर सम्पत्ति को मान्यता है तथा इसे उस अवस्था तक लिया जाता है जहाँ तक न्यायसंगत कारण है कि वह भविष्य में सम्पत्ति के रूप में परिणत किया जायेगा।

**15. नकदी प्रवाह विवरण :**

अप्रत्यक्ष पद्धति का उपयोग कर नकदी प्रवाह को सूचित किया गया है जिसमें कर पूर्व लाभ को बिना नकद लेन-देन के प्रभावों की गैर नकदी प्रवाह प्रकृति अथवा भविष्य एवं विगत की किसी आस्थगित एवं उपार्जित प्राप्ति अथवा भुगतान के प्रभावों को समायोजित किया जाता है। कम्पनी की नियमित राजस्व आमदनी, वित्तपोषण और निवेश गतिविधियों द्वारा प्राप्त नकदी प्रवाह को अलग दिखाया जाता है।

**16. अनुसंधान एवं विकास में व्यय :**

पूँजीगत मदों से संबंधित खर्चों कासे निश्चित परिसम्पत्तियों में डेबिट किया जाता है तथा प्रयोज्य दरों पर मूल्यहासित किया जाता है। राजस्व खर्चें जिस वर्ष हुए इन्हें उसी वर्ष के लाभ हानि खाते में दिखाया जाता है।

**17. पूर्व अवधि का समायोजन :**

विगत वर्ष से संबंधित 50,000 रुपये अधिक के आय/व्यय वाले मदों से जुड़े प्रत्येक मामले को पूर्व अवधि समायोजन के रूप में दिखलाया जाता है।

**18. ऋण पर व्याज :**

सम्पत्तियों के लिए ली गए पूँजी पर व्याज को सम्पत्ति के मूल्य के रूप में पूँजीगत की जाती है। अन्य व्याज को खर्च के रूप में लाभ हानि खाते में दिखाया जाता है। ऋण की लागत को उसी वर्ष पूँजीगत की जाती है।

**19. पूर्वदत्त व्यय :**

अवधि समाप्त होने के पूर्व 50,000 रुपये से ज्यादा की पूँजी से जुड़े प्रत्येक मामले को पूर्वदत्त व्यय के रूप में दिखलाया जाता है।

**20. लेखा की उपाजित पद्धति के अपवाद :**

कम्पनी निम्नलिखित मदों को छोड़कर जिनका नकदी आधार पर लेखा में प्रयोग होता है, लेखा में उपाजित व्यवस्था को अपनाती है।

- (क) ऐसे व्यय जिसके मूल्य का न्यायसंगत अंदाज प्रावधान बनाने के लिये नहीं लगाया जा सकता।
- (ख) चिकित्सा भण्डार, खेल सामग्री, मुद्रण एवं स्टेशनरी तथा जलपानगृह और अतिथिगृह के लिए व्यय का प्रावधान इसके क्रय के समय ही कर लिया जाता है।

**21. सम्पत्तियों की क्षीणता :**

- (क) यह जानने के लिए कि क्या सम्पत्तियों में क्षीणता का कोई संकेत है सम्पत्तियों की लागत को प्रत्येक तुलनपत्र में विचारा जाता है। अगर कोई संकेत रहता है तो उस सम्पत्ति से प्राप्त होनेवाली राशि का अनुमान लगाया जाता है। सम्पत्ति की क्षमता को आंका जाता है कि क्या इसकी वसूली योग्य कीमत से इसकी दिखाई लागत अधिक है। संपत्ति की क्षीणता को तब मान्यता दी जाती है जब दिखाई जा रही राशि (Carrying Amount), वसूली योग्य राशि (Recoverable Amount) से अधिक है। प्राप्तियोग्य मूल्य, सम्पत्ति की बिक्री मूल्य तथा उपयोग किये मूल्य से ऊँचा होता है। उपयोग किये मूल्य का निर्धारण भविष्य के कैश फ्लो को नियोजित पूँजी से जिसे भारत सरकार द्वारा यूरैनियम सान्द्र की दर के क्षतिपूर्ति के आधार पर कर दी जाती है, उसमें वर्तमान मूल्य को घटा दिया जाता है।

- (ख) क्षीणता ज्ञात होने के बाद सम्पत्ति की संशोधित राशि पर मूल्यहास का प्रावधान किया जाता है जो इसकी उपयोगी आयु के ऊपर होता है।

- (ग) पूर्व में निर्धारित मूल्यहास हानि की परिस्थितियों में परिवर्तन के आधार पर बढ़ाया या घटाया जाता है। हालांकि, इम्पेयरमेंट हानि को उस राशि से ज्यादा नहीं घटाया जा सकता है जो कि दिखाई गई राशि से ज्यादा हो जिसका निर्धारण (शुद्ध परिशोधित अथवा मूल्यहास) यह मानकर कि पूर्व वर्ष में कोई इम्पेयरमेंट हानि नहीं निर्धारित की गई है के आधार पर किया गया हो।

**22. आकस्मिक दायित्व :**

इसे आर्थिक चिन्ता के टिप्पणी द्वारा उल्लिखित किया गया है। इसे लेखा में उन आकस्मिक खर्चों के लिए प्रावधित किया जाता है जिसे वर्ष के अंत में लेखा की समाप्ति पर दायित्व में परिवर्तित किया जायेगा एवं आर्थिक चिन्ता में जिसका प्रभाव दिखलाया जायेगा।

**23. प्रावधान :**

पूर्व घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्वों के लिये प्रावधान की मान्यता है और ऐसे दायित्व के भुगतान के लिये सम्भवतः संसाधनों के बहिर्वाह की जरूरत होगी बशर्ते इनका विश्वसनीय आकलन सम्भव हो। प्रावधानों को इसके वर्तमान मूल्य में नहीं लिया गया है। इसे प्रबंधन के अनुमान पर निश्चित किया गया है जिससे कि दायित्वों का तुलन पत्र की तिथि पर निस्पत्ति किया जा सके। इसकी प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि में समीक्षा की गई है एवं इसे प्रबंधन के वर्तमान अनुमान में प्रतिबिम्बित किया गया है।

**24. दावा नहीं किया गया दायित्व :**

ई.एम.डी./सुरक्षा जमा/कॉशन जमा ठेका/कार्य खत्म होने के 5 वर्ष तक यदि किसी ने दावा नहीं किया है तो उस राशि को अन्य आय में विचारोपरांत हस्तांतरित कर दिया जाता है। यदि जमा शेष ठेका खाते में काफी समय से पड़ा है तो उस जमा शेष को चिह्नित सम्पत्ति के साथ समायोजित कर दिया जाता है। ऐसे सभी मदों का विवरण रखा जाता है। यदि कोई वापसी बाद में आती है तो उस रिफण्ड के लिए विचारोपरांत विविध खर्च में दिखलाया जाता है।

नोट- 26

## लेखा पर अतिरिक्त टिप्पणी

31 मार्च, 2016 को समाप्त लेखा वर्ष के लिए

- 26.1** कम्पनी को परमाणु ऊर्जा विभाग के आदेश सं. 7/6/69-मीन तिथि 7 अगस्त 1973 और सं. 7/6/69 मीन (पी एस यू) दिनांक 3 जुलाई, 1974 के आदेश द्वारा निषिद्ध किया गया है, जिसे परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33) की धारा 18 के तहत टर्नओवर से संबंधित जानकारी प्रकाशित करने या उपलब्ध कराने, कच्चे माल की खपत, और उत्पादित माल के प्रारंभिक या अंतिम स्टॉक से संबंधित जानकारी, कच्चे माल की खरीद या अधिग्रहण, लाइसेंस क्षमता, स्थापित क्षमता और वास्तविक उत्पादन के संबंध में जारी किया गया था।
- हालांकि वर्ष 2003-04 से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (2) के लिए उच्च स्तर पर नियुक्त किए गए सांविधिक लेखा परीक्षकों को गोपनीयता समझौते के साथ कम्पनी के खातों के सार्थक अंकेक्षण के उद्देश्य से दिनांक 9 जुलाई, 2004 को आदेश संख्या 10/8 (12)/2004-पीएसयू के माध्यम से कम्पनी के सभी परमाणु ऊर्जा विभाग के संचालन से संबंधित जानकारी हासिल करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसमें यह कहा गया है कि यह जानकारी किसी भी अन्य एजेंसी को प्रस्तुत नहीं किया जाएगा और ना ही किसी अंकेक्षण रिपोर्ट में इन आंकड़ों का उल्लेख किया जाएगा।
- 26.2 (अ)** कम्पनी ने तुम्लापल्ले में 813.412 हेक्टेयर (गत वर्ष 813.412 हेक्टेयर) भूमि, तुरामडीह में 557.18 एकड़ (गत वर्ष 557.18 एकड़) भूमि, बंदुहुरांग में 686.86 एकड़ (गत वर्ष 686.86 एकड़) भूमि, बागजाता में 303.14 एकड़ (गत वर्ष 303.14 एकड़) भूमि, जादूगोडा में भाटिन समेत 1312.62 एकड़ (उपयुक्त अधिकारियों के साथ पत्राचार में गत वर्ष 1312.62 एकड़) भूमि, और मोहुलडीह में 288.20 एकड़ (उपयुक्त अधिकारियों के साथ पत्राचार में गत वर्ष 288.20 एकड़) भूमि के लिए खनन लीज प्राप्त किया है। कंपनी नरवापहाड़ में 1128.32 एकड़ (गत वर्ष 1128.32 एकड़) भूमि, तुरामडीह में अतिरिक्त 31.77 एकड़ (गत वर्ष 31.77 एकड़) भूमि, Kylleng Pyndengsohiong Mawthabab में 290.45 हेक्टेयर (गत वर्ष 290.45 हेक्टेयर) भूमि, लंबापुर में 1337.62 एकड़ (गत वर्ष 1337.62 एकड़) भूमि और गोगी में 39.13 हेक्टेयर (गत वर्ष 39.13 हेक्टेयर) भूमि के खनन लीज के नवीकरण के लिए अधिकारियों के साथ बातचीत कर रही है।
- (ब)** कंपनी राज्य सरकार/निजी पार्टियों से अधिग्रहण किए गए 1548.09 एकड़ (गत वर्ष 1548.09 एकड़) भूमि के अनुमति प्राप्त कर अपने अधिकार में लेने की प्रक्रिया में है, इस संबंध में वाहन पंजीकरण का औपचारिक डीड लंबित है, जिसकी लागत 1517.59 लाख रुपये (गत वर्ष 1517.59 लाख रु.) संबंधित मद 'पट्टाधृत भूमि' तथा 'पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि के तहत कंपनी के अचल संपत्ति में शामिल किया गया है।
- (स)** कंपनी 1986 से मुसाबनी में हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (आईसीसी) के 3(तीन) एकड़ भूमि का इस्तेमाल कर रही है, जो बिहार की पूर्व सरकार द्वारा पट्टे पर दी गई थी। किसी भी औपचारिक समझौते के अभाव में इस तरह के उपयोग के लिए किसी भी प्रकार के भुगतान पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 26.3 परियोजना पूर्व/चालू परियोजना पर व्यय :-**  
**परियोजना पूर्व व्यय**  
**लांबापुर परियोजना 758.20 लाख रुपये :**
- (अ)** लांबापुर परियोजना, तेलंगाना पूर्व में आंध्र प्रदेश के लिए डीपीआर 2003 में तैयार किया गया था, और 2003 में इसे परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा मंजूरी दी गई थी। माइंस के लिए 2005 और संयंत्र के लिए 2007 में पर्यावरण मंजूरी प्राप्त हुआ था। हालांकि, परियोजना के निर्माण के लिए सरकारी की मंजूरी अभी नहीं मिली है। खनन पट्टे का अनुदान राज्य सरकार के पास लंबित है। स्थापना के लिए सहमति भी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से लंबित है। खनन पट्टा और सीएफई नहीं मिलने के कारण भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही में प्रगति नहीं हुई है।

#### केपीएम परियोजना 856.50 लाख :

(ब) कंपनी ने ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट आदि की तैयारी शुरू कर दी है और 2001 में मेघालय में **Kylleng Pyndengsohiong**, माउथाबामाइनिंग एंड मिलिंग परियोजना के लिए खनन लीज के लिए आवेदन किया है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट वर्ष 2004 में तैयार किया गया था। मार्च 2007 में कंपनी द्वारा तीस साल के लिए लीज पर भूमि के हस्तांतरण के लिए आवेदन जमा किया गया था। 2007 में पर्यावरण तथा वन मंत्रालय से पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त हुई थी। राज्य सरकार से – स्थापना के लिए सहमति, भूमि तथा खनन पट्टा आदि के लिए मंजूरी लंबित है। कंपनी राज्य में यूरेनियम खनन के प्रति जनता से समर्थन जुटाने के लिए सार्वजनिक आउटरीज कार्यक्रम का संचालन कर रही है। सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हाल ही में हुए बैठकों में काम को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिल रहा है।

#### तुम्मलापल्ले विस्तारीकरण परियोजना 82.76 लाख रुपये

(स) यूसीआईएल ने तुम्मलापल्ले परियोजना की उत्पादन क्षमता को मौजूदा सुविधा 3000 टन प्रति दिन से 4500 टन प्रति दिन बढ़ाने के लिए तुम्मलापल्ले विस्तारीकरण परियोजना, आंध्र प्रदेश की पहल की है। परियोजना के लिए डीपीआर 2010 में तैयार किया गया था। ईआईए/ईएमपी अध्ययन किया गया और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सौंप दिया गया। जन सुनवाई का आयोजन समय पर नहीं किए जाने के कारण वैधता की शर्तें समाप्त हो गई। टीओआर और ईआईए/ईएमपी के लिए नई गतिविधियों की शुरुआत की गई है। चालू तुम्मलापल्ले परियोजना में प्रक्रियाओं में संशोधन के मद्देनजर डीपीआर पर पुनः विचार किया जा रहा है।

#### गोगी परियोजना 122.85 लाख रुपये :

(द) कर्नाटक के यादगीर जिले में गोगी यूरेनियम माइनिंग एवं मिलिंग परियोजना के लिए डीपीआर 2010 में तैयार किया गया था। परमाणु ऊर्जा आयोग ने भी 2010 में परियोजना को मंजूरी दे दी थी। 2010 में आयोजित जन सुनवाई को एमओईएफ द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया। विचारणीय विषय की वैधता समाप्त हो गई। नए ईआईए/ईएमपी अध्ययन के लिए गतिविधियों की शुरुआत कर दी गई।

#### रोहिल अन्वेशी खनन परियोजना 5.70 लाख रुपये

(ड) राजस्थान के सिकर जिले में रोहिल यूरेनियम डिपोजिट अन्वेषण तथा अनुसंधान (एएमडी) के लिए परमाणु खनिज निदेशालय द्वारा अन्वेषण के अंतर्गत है। एएमडी समझौता ज्ञापन के माध्यम से यूसीआईएल को अन्वेशी खनन का काम सौंपने का प्रस्ताव दे रहा है और इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यूसीआईएल ने पहले से ही ड्रिल कोर के भू-तकनीकी अध्ययन के लिए गतिविधियों की शुरुआत कर दी है, जो माइन खोलने के लिए आवश्यक है। साइट गतिविधियों की भी शुरुआत की गई है।

#### सिंहभूम और तुम्मलापल्ले में डिबॉटलनेकिंग परियोजना 21.96 लाख रुपये

(च) यूसीआईएल ने “डिबॉटलनेकिंग ऑफ आपरेशन्स इन सिंहभूम एण्ड तुम्मलापल्ले” मद के तहत सिंहभूम और तुम्मलापल्ले में कुछ परियोजनाओं की शुरुआत की है जिससे रखरखाव और वर्तमान प्रदर्शन के स्तर को स्थायी तरीके से बनाए रखने में मदद मिलेगी। सभी डिबॉटलनेकिंग गतिविधियों की विस्तृत रिपोर्ट (डीपीआर) विशेषज्ञ टीम द्वारा तैयार की गई है। प्रमुख अनुबंधों की निविदा का काम प्रगति पर है।

#### यूरेनियम रिकवरी प्लांट (मोसाबनी) : 51.15 लाख रुपये

(छ) यूसीआईएल ने एचसीएल के राखा माइंस और सुरदा माइंस के कॉपर टेलिंग्स से यूरेनियम की पुनः प्राप्ति के लिए दो यूरेनियम रिकवरी संयंत्र के निर्माण का प्रस्ताव दिया है और तांबे के खानों के समीप यूरेनियम रिकवरी संयंत्र का निर्माण कर रही है। तांबे के अवशेष में यूरेनियम की सामग्री का उन्नयन भौतिक परिष्करण (टेबलिंग) द्वारा किया जाएगा और कंसन्ट्रेट्स को जादुगोडा स्थित संयंत्र में प्रोसेस किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी को इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, धनबाद द्वारा अंतिम रूप दिया गया है। इस क्षेत्र में कॉपर माइनिंग के लिए मेसर्स एचसीएल की योजना के मद्देनजर प्रस्तावित संयंत्र

2021 तक 45,000 टन प्रति माह कॉपर टेलिंग्स (तांबे के अवशेष) को प्रोसेस करेगा। साइट पर सर्वेक्षण और चाहारदीवारी का सीमांकन पूरा हो चुका है। टीओआर के लिए एमओईएफ के पास आवेदन किया जा चुका है। भूमि अधिग्रहण और पानी के लिए जिला आयुक्त, जमशेदपुर के पास आवेदन दिया गया है। परियोजना के लिए स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है।

#### चालू परियोजना :

##### तुरामडीह मैग्नेटाइट रिकवरी प्लांट 308.93 लाख रुपये

- (अ) तुरामडीह और बाहांदुहरांग के यूरेनियम अयस्कों में मैग्नेटाइट खनिज की मात्रा काफी कम होती है। मैग्नेटाइट को प्रस्तावित संयंत्र में बाय-प्रोडक्ट के रूप में रिकवर किया जाएगा। इस प्रकार चुंबकीय पदार्थ और सटीकता के संदर्भ में उच्च गुणवत्ता वाले मैग्नेटाइट का उत्पादन होगा और कोयला वाशरीज में इसका उपयोग किया जाएगा। जादुगोड़ा के यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट में इस अभ्यास का अनुपालन किया जा रहा है। परियोजना के लिए प्रशासनिक स्वीकृति मिल गयी है। प्रमुख सीविल गतिविधियों सहित मिल की नींव और मैग्नेटाइट भंडारण पिट को पूरा किया जा चुका है। मैग्नेटाइट ड्रम की स्थापना के लिए

##### जादुगोड़ा में चतुर्थ चरण टेलिंग पॉण्ड परियोजना रु.2113.81 लाख

- (ख) जादुगोड़ा मिल के अपशिष्ट अब जादुगोड़ा संयंत्र के समीप उद्देश्य हेतु निर्मित चरण III टेलिंग पॉण्ड में जमा किया जाता है। I चरण और II चरण टेलिंग पॉण्ड पूर्ण रूप से भर गये हैं और III चरण 1 वर्ष के अन्दर भर जाने का अनुमान है जिसके लिए अतिरिक्त बाड़ा सुविधा बनाया जाना प्रस्तावित है। यह टेलिंग को जमा करने के लिए पर्याप्त स्थान तैयार करेगा। परियोजना के लिए प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। साइट गतिविधियाँ शुरू कर दी गई हैं। ड्रिलिंग, ग्राउटिंग और प्राकृतिक जलधारा को मोड़ने का कार्य पूर्ण हो गया है। सैडल डैम और रोड के निर्माण के लिए कार्य आदेश दे दिया गया है। डैम के अग्र भाग के चारों ओर रिटैनिंग वाल निर्माण के लिए अनुबंध पूर्ण कर लिया गया है। फिल्टर एरिया में 50 प्रतिशत कार्य प्रगति पर है और 50 प्रतिशत टेन्डरिंग स्टेज में है। नाला डाइवर्जन पूर्ण हो गया है।

##### तुरामडीह पेरॉक्साइड संयंत्र परियोजना रु.655.57 लाख

- (ग) संयंत्र, मैग्नेशियम डाय-यूरेनेट के स्थान पर यूरेनियम पेरॉक्साइड का उत्पादन करेगी। यूरेनियम पेरॉक्साइड का उत्पादन, मैग्नेशियम डाय-यूरेनेट (एम.डी.यू.) में प्रबल पर्यावरणीय कमी पर विजय प्राप्त करने में मदद करेगा। अधिकांश भौतिक काम पूर्ण कर लिये गए हैं। कोई लोड ट्राइल रन प्रगति में नहीं है। परियोजना शीघ्र चालू हो जाएगी। प्रोजेक्ट एईआरबी क्लियरेंस के बाद शुरू की जाएगी।

##### तुम्मलापल्ली परियोजना रु.205095.62 लाख

- (घ) परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (ए.ई.आर.बी.) ने स्थिर सामग्री से तुम्मलापल्ली संयंत्र चलाने की सहमति दे दी थी। यू.सी.आई.एल. को यूरेनियम अयस्क के साथ प्रक्रिया से सम्बंधित प्रदर्शन के आंकड़े जमा करने थे और इसे उपकरण एवं प्रक्रिया के संतोषजनक प्रदर्शन के लिए डिजाइन बेस रिपोर्ट (डी.बी.आर.) के साथ समीक्षा के लिए ए.ई.आर.बी. के पास जमा करना था। संयंत्र परिचालन की सहमति, अयस्क के साथ कमिसनिंग ट्रायल रन के दौरान संतोषजनक प्रदर्शन आंकड़ों के आधार पर प्रदान की जाएगी।

तुम्मलापल्ली मिल में अपनाया गया प्रत्यक्ष अवक्षेपण के साथ अल्कलाइन प्रेसर लिचिंग प्रोसेस नेचर में अद्वितीय है और पायलट अध्ययन के पश्चात् औद्योगिक स्तर पर पहली बार अमल में लाया जा रहा है। प्रक्रिया से सम्बंधित कठिनाइयों का सामना, उत्पाद अवक्षेप चरण में और अभिकर्मकों से निपटने में किया जा रहा है। उपरोक्त मुद्दे अयस्क प्रसंस्करण क्षमता को रोकते हैं और प्रक्रिया वसूली को भी प्रभावित करते हैं।

निम्न स्तर खनीजीकरण और अल्कली लीचिंग प्रक्रिया की आवश्यकता, नई प्रक्रिया विधि, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, प्रवाही उपचार सहित पर्यावरणीय प्रबंधन, अभिकर्मकों की पसंद, परिचालन की सुरक्षा इत्यादि चाहती है, जिसे बार्क, यूसिल और एन.एफ.सी. के विशेषज्ञों की टीम के द्वारा देखा जा रहा है।

प्रयोगशाला अध्ययन और पायलट स्केल भेलीडेशन के पश्चात् संयंत्र में वांछित औद्योगिक आधुनिकीकरण को सलाह देने के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बार्क) और यूसिल के विभिन्न इकाईयों के वैज्ञानिकों वाली समिति बनाई गई है। वर्तमान योजनावधि लाइन के अनुसार, वांछित संशोधन की साइट कार्यान्वयन सितम्बर 2015 तक पूर्ण हो जाने का अनुमान है।

इस बीच ए.ई.आर.बी. ने तुम्मलापल्ली मिल के कमीशनिंग ट्रायल रन की सहमति दे चुका है। उपरोक्त को देखते हुए

तुम्मलापल्ली परियोजना व्यावसायिक तौर पर प्रवर्तन में नहीं लाया जा सकता और पूंजीकृत नहीं किया जा सकता है। तुम्मलापल्ली परियोजना से सम्बंधित व्यय, तुम्मलापल्ली संयंत्र से यूरेनियम सान्द्र के प्रेषण के लिए मुआवाज के विरुद्ध प्राप्त राशि समायोजित करने के पश्चात् प्रगतिधीन पूँजी के अन्तर्गत रखा गया है।

ऐसिड लिचिंग प्रौद्योगिकी की स्थापना के लिए व्यापक अनुसंधान एवं विकास प्रयासों के बाद 1967 में सिंहभूम से शुरू किया गया यूरेनियम उत्पादन आमतौर पर दुनियाँ भर में यूरेनियम उद्योगों में अपनाया जाता है। छारीय प्रौद्योगिकी की जटिल प्रक्रिया को भी इस तरह के प्रयासों से सिद्ध किया जाना चाहिए। अयस्क की तीव्र निष्कर्षण की वजह से सिंहभूम में यूरेनियम जमा शंकुनुमा हो गया है। अतिरिक्त विकास के प्रयासों के साथ तुम्मलापल्ली जमा में खनन और प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी स्थिर और नियमित रूप से उत्पादन के लिए संयंत्र का प्रवर्तन में लाना आने वाले वर्षों में पर्याप्त रूप से सिंहभूम के उत्पादन में संभावित गिरावट की भरपाई करेगा।

#### तुरामडीह में द्वितीय चरण टेलिंग डैम परियोजना रु. 394.81 लाख

- ड) तुरामडीह मिल के अपशिष्ट को तालसा गाँव में उपयोग के लिए निर्मित स्टेज-I टेलिंग पॉण्ड में जमा किया जाता है। इस तालाब के 1-2 वर्षों में भर जाने की उम्मीद है जिसके लिए अतिरिक्त इम्पॉण्डमेंट सुविधा तैयार करने का प्रस्ताव है। परियोजना का प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। परियोजना का ए.ई.आर.बी. स्वीकृति भी प्राप्त कर ली गई है। निविदा से सम्बंधित सभी गतिविधियाँ, निर्माण इत्यादि योजनानुसार हैं। पूर्वी हिस्से में सड़क निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। उत्तरी ओर के पहाड़ी सड़क निर्माण का कार्य प्रक्रियाधीन है। पूर्वी और पश्चिमी तटबंध पर कार्य प्रक्रिया में है। रिटैनिंग वाल और आउटफॉल चैनल प्रक्रिया में हैं।

#### तुरामडीह मिल विस्तारीकरण 4594.48 लाख रुपये

- च) तुरामडीह, झारखण्ड में 3000 टन प्रति दिन यूरेनियम प्रसंस्करण संयंत्र का अनुमोदन भारत सरकार ने किया है, जिसकी लागत 343.26 करोड़ रुपये है। यूरेनियम की बढ़ी हुई मांग को ध्यान में रखते हुए यूसिल ने 3000 टन प्रति दिन क्षमता के मिल प्रस्ताव को बढ़ा कर 4500 टन प्रति दिन करने का काम लिया है। परियोजना पूर्ण हो चुकी है। एईआरबी स्वीकृति मिल चुकी है तथा एमओईएफ स्वीकृति, तुरामडीह मिल विस्तारीकरण परियोजना से सम्बंधित है।

#### भाटिन खान का आधुनिकीकरण 1072.33 लाख रुपये

- छ) यूसिल ने बारहवीं योजना के अंतर्गत एक नया संयंत्र परियोजना “भाटिन खान का आधुनिकीकरण” लिया है। परियोजना का डीपीआर 2013 में बन चुका था। परियोजना एमओईएफ के तहत एक्सपर्ट अग्रेजल कमिटी के द्वारा स्वीकृत हो चुका है। इस परियोजना से भाटिन खान का उत्पादन 140 टन प्रति दिन से बढ़ कर 400 टन प्रति दिन हो जाएगा, जिससे कि जादुगोड़ा का प्रसंस्करण संयंत्र की वर्तमान क्षमता स्तर को पूरा किया जा सकेगा। तब जबकि जादुगोड़ा खान से अयस्क की उपलब्धता नहीं है और सारा अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। महत्वपूर्ण कार्य के लिए अनुबंध को अंतिम रूप दिया जा चुका है।

#### 26.4 आकस्मिक देयताएं तथा वचनबद्धता (जहाँ तक प्रावधान नहीं किया गया)

(लाख ₹ में)

	31 मार्च 2016 तक	31 मार्च 2015 तक
क) दावा जिसे ऋण के रूप में नहीं स्वीकारा गया	0.59	0.59
ख) असमाप्त साख-पत्र.	100.90	100.88
ग) ठेके के शेष अनुमानिक राशि जिसका पूँजीगत लेखे में निष्पादन करना है (शुद्ध अग्रिम)	10886.88	4085.10
घ) कम्पनी के विरुद्ध दावे जिसे ने कर्ज के रूप में नहीं स्वीकारा है		
i. ठेकेदारों, छूट प्रपत्रों, इनपुट टैक्स क्रेडिट के निःशुल्क सामग्री निर्गम के सम्बंध में बिक्री कर दावों पर कम्पनी	11.31	405.55
ii. झारखण्ड बिजली बोर्ड द्वारा ईंधन प्रभार का दावा जो कम्पनी के द्वारा विवादित है	13859.93	13224.96
iii. आयकर दावे जिसके लिए कटौती एंव कर देयता के सम्बंध में कम्पनी का विवाद	731.74	501.98
iv. खरकई नदी से जलापूर्ति के लिए खरकई नहर द्वारा जल प्रभार का दावा	185.29	185.29

कुछ मामले विभिन्न न्यायालयों में लम्बित हैं जिसके लिए लेखे में कोई प्रावधान नहीं किया गया। आकस्मिक देयता का प्रकटीकरण नहीं किया गया है क्योंकि उसका इस स्तर पर पता लगाना संभव नहीं है।

- 26.5 लेनदारों, देनदारों का अग्रिम ठेकेदारों तथा आपूर्तिकर्ताओं की शेष राशि समाधान/पुष्टिकरण के परिणाम स्वरूप लंबित समायोजन बाकी है।
- 26.6 आंतरिक एवं बाहरी तथ्यों के निर्धारण के आधार पर सम्पत्तियों के मिलान के लिए कोई तुलनात्मक प्रावधान का विचार करना आवश्यक नहीं समझा गया क्योंकि परिसम्पत्तियों का वास्तविक मूल्य वर्तमान परिसम्पत्तियों के लागत से अधिक है।
- 26.7 कम्पनी कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान नियम 1952 (ई.पी.एफ.ऐक्ट) के अन्तर्गत आता है, परंतु भविष्य निधि की व्यवस्था 1967 से न्यास के द्वारा की जा रही है जिसका नियम कम्पनी के द्वारा बनाया हुआ है और वह रिजनल प्रोवीडेंट फंड कमिशनर (RPFC), पटना एवं आय कर आयुक्त द्वारा अनुमोदित है। तथापि आरपीएफसी, जमशेदपुर ने अपनी सूचना दिनांक 01.01.1997 द्वारा दावा किया है कि यह ई.पी.एफ.ऐक्ट 1952 के अन्तर्गत आता है एवं 1997 से कम्पनी का पी.एफ. एवं फैमिली पेन्शन अंशदान जमा करने के लिए कहा है। कम्पनी ने दावे पर आपत्ति उठाई है तथा इस पर अपील किया है जो वर्तमान में इम्प्लाईज प्रोविडेंट फंड अपीलेट ट्रिब्यूनल (EPAT), नई दिल्ली के पास लम्बित है। चूंकि कम्पनी के पी.एफ. अंशदान न्यास को भुगतान किया है जो 1952 ई.पी.एफ.ऐक्ट के अनुसार देय है, अतः कोई अतिरिक्त वित्तीय दायित्व ई.पी.टी. के समक्ष अपील लम्बित होने के कारण नहीं बनता है।
- 26.8 अभियंता प्रमाण पत्र के अनुसार तुलन-पत्र तिथि का प्रावधान कार्य देयता के लिए किया जाता है। अंतिम भुगतान बिल में जिसका इस्तेमाल लम्बित परिसम्पत्तियों के पूंजीकरण का प्रावधान अभियंता प्रमाण पत्र के अनुसार उपबंध किया जाता है, जिसका अंतिम भुगतान में समायोजन करना आवश्यक होता है।
- 26.9 कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए अल्पकालीन उधार लिये गए और वर्ष के लिए चुकाए गए ऋण/बकाये को खर्च के रूप में लाभ/हानि लेखे में प्रभावित किया गया।
- 26.10 वर्ष के दौरान कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची-II या आंतरिक तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर मूल्यहास का प्रावधान है।

26.11 अतिरिक्त सूचनाएं (लाख ₹ में)

		2015-16	2014-15
(क)	सी.आई.एफ. के आधार पर आयात की गई सामग्रियों का मूल्य		
	i) संघटक एवं कलपूजों		151.75
	ii) पूंजीगत माल	152.44	198.16
	<b>योग (क)</b>	152.44	349.91
(ख)	विदेशी मुद्रा में व्यय (उपार्जन के आधार पर)		
	i) पुस्तकें तथा पत्रिकाएं	-	-
	ii) विदेश यात्रा	0.80	12.76
	<b>योग (ख)</b>	0.80	12.76

(ग) वर्ष भर में आयातीत/स्वदेशी सामग्रियों, कलपूजों एवं उपभुक्त संघटकों का कुल मूल्य:

	2015-16	%	2014-15	%
आयातीत	98.94	0.65%	79.55	0.34%
स्वदेशी	15032.13	99.35%	23632.46	99.66%
योग	15131.07	100.00%	23712.02	100.00%

26.12 लेखा मानक-15 के अनुसार प्रकटीकरण (संशोधित)

(क) परिभाषित अंशदायी योजना

(लाख ₹ में)

	2015-16	2014 -15
वर्ष के लिए लाभ एवं लेखा विवरण में निम्नलिखित को चिह्नित किया गया :		
कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान	2013.17	1888.33
सेवानिवृत्ति निधि में अंशदान	113.10	80.04

(ख) ग्रेच्युटी के सम्बंध में (कम्पनी निधि द्वारा) ग्रेच्युटी के सम्बंध में तुलन-पत्र में चिह्नित राशि (लाख ₹ में)

	31 मार्च, 2016 स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2015 स्थिति के अनुसार
वर्ष के अंत में वर्तमान मूल्य के परिभाषित निधि लाभ का दायित्व	11801.47	11816.99
योजना सम्पत्ति का वास्तविक मूल्य	12577.13	9883.33
<b>कुल देयताएँ (परिसम्पत्ति)</b>	<b>775.66</b>	<b>(1933.66)</b>

(लाख ₹ में)

	31 मार्च, 2016 स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2015 स्थिति के अनुसार
<b>ग्रेच्युटी के संबंध में लाभ एवं हानि विवरण में कर्मचारी लाभ की राशि को चिह्नित किया गया</b>		
चालू लेखा लागत	426.86	367.67
परिभाषित लाभ दायित्व पर ब्याज	888.29	884.70
योजना सम्पत्ति पर अनुमानित लाभ	(977.53)	(806.47)
चिह्नित अवधि के दौरान शुद्ध लाभ/हानि	(233.54)	1356.49
विगत सेवा लागत	-	-
<b>शुद्ध ग्रेच्युटी लागत</b>	<b>104.08</b>	<b>1802.39</b>
लाभ हानि खाते में प्रभारित राशि	100.82	1751.63
आई.ई.डी.सी.को हस्तांतरित राशि	3.26	50.76
<b>योजना सम्पत्ति पर वास्तविक लाभ :</b>		
योजना सम्पत्ति पर अनुमानित लाभ	977.53	806.47
योजना सम्पत्ति पर वास्तविक लाभ/हानि	(239.94)	73.66

## योजना सम्पत्ति के वास्तविक लागत एवं दायित्व का वर्तमान मूल्य का पुनर्मूल्यांकन : (₹ लाख में)

दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन		
आरम्भिक परिभाषित लाभ दायित्व	11816.99	9994.17
चालू सेवा लागत	426.86	367.67
ब्याज लागत	888.26	884.70
योजना संशोधन लागत	-	-
वास्तविक (लाभ/हानि)	(473.48)	1430.15
लाभ भुगतान	(875.19)	(859.70)
अन्तिम परिभाषित लाभ दायित्व	11801.47	11816.99
योजना परिसम्पत्ति मूल्य में वास्तविक परिवर्तन	9883.33	8918.35
योजना सम्पत्ति पर अनुमानित लाभ	977.53	806.47
वास्तविक लाभ/(हानि)	(239.94)	73.66
कर्मचारियों द्वारा अंशदान	2813.40	944.55
लाभ भुगतान	(857.19)	(859.70)
योजना सम्पत्ति का अंतिम वास्तविक मूल्य	12577.13	9883.33

## योजना सम्पत्ति का निवेश विवरण

i.	भारत सरकार की प्रत्याभूमि	25.10%	28.40%
ii.	कॉरपोरेट (बंध पत्र)	8.20%	12.20%
iii.	विशेष जमा योजना	7.65%	8.65%
iv.	अन्य (LIC)	59.05%	50.75%
	कुल	100%	100%

## ग्रेच्युटी के संबंध में चालू वर्ष एवं विगत चार वर्षों की राशि

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2016	31 मार्च, 2015	31 मार्च, 2014	31 मार्च, 2013	31 मार्च, 2012
परिभाषित लाभ	(11801.47)	(11816.99)	(9934.17)	(8959.86)	(7863.90)
योजना सम्पत्ति	12577.13	9883.33	8918.35	7817.93	7656.52
अतिरिक्त/(ह्रास)	775.66	(1933.66)	(1075.82)	(1141.93)	(207.38)
योजना दायित्व पर समायोजन का अनुभव	368.09	(52.46)	(1954.84)	(900.15)	(516.85)
योजना सम्पत्ति पर समायोजन का अनुभव	(239.94)	73.66	39.52	(195.62)	(5.67)
वास्तविक लाभ/(हानि) अनुमान में परिवर्तन के कारण	105.39	(1377.69)	1031.96	(300.80)	280.43

### तुलन पत्र तिथि के अनुसार मुख्य वास्तविक अनुमान

विवरण	31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार
छूट दर (%)	7.90%	7.80%
सम्पत्ति योजना पर लाभ का अनुमानित दर (%)	9.00%	9.00%

#### ग) छुट्टी लाभ योजना के सम्बंध में परिभाषित लाभ अभिकल्पना :

(लाख ₹ में)

	31 मार्च, 2016 स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2016 स्थिति के अनुसार
<b>छुट्टी लाभ के सम्बंध में तुलन-पत्र में राशि को स्वीकार किया गया</b>		
परिभाषित लाभ निधि का वर्तमान मूल्य वर्ष के अंत में दायित्व	4026.01	4103.37
योजना सम्पत्ति का औचित्य मूल्य	-	0.00
<b>शुद्ध देयता/(परिसम्पत्ति)</b>	<b>4026.01</b>	<b>4103.37</b>
<b>छुट्टी के सम्बंध में लाभ एवं हानि खाते के विवरण में स्वीकार की गई राशि</b>		
चालू सेवा लागत	764.47	627.04
परिभाषित लाभ का दायित्व	298.35	288.54
योजना परिसम्पत्ति पर अनुमानित वापसी	-	0.00
शुद्ध बीमांकिक (लाभ)/अवधि के दौरान स्वीकार की गई हानि	(583.32)	196.36
विगत सेवा लागत	-	0.00
<b>शुद्ध छुट्टी नकदीकरण लागत</b>	<b>(77.36)</b>	<b>1111.94</b>
लाभ एवं हानि लेखों को राशि विवरण में प्रभावित किया गया	(70.44)	1024.88
आई.ई.डी.सी. में हस्तांतरित राशि	(6.91)	87.06

#### दायित्व के वर्तमान मूल्य का पुनर्मिलान एवं योजना सम्पत्ति का उचित मूल्य

(लाख ₹ में)

<b>परिभाषित योजना में परिवर्तन :</b>		
आरम्भिक परिभाषित लाभ दायित्व	4103.37	3247.22
चालू सेवा लागत	764.47	627.04
ब्याज लागत	298.35	288.54
योजना संशोधन लागत	-	-
बीमांकिक (लाभ)/हानि	583.32	196.36
भुगतान किया गया लाभ	(556.86)	(256.79)
<b>अंतिम परिभाषित लाभ दायित्व</b>	<b>4026.01</b>	<b>4103.37</b>
<b>योजना परिसम्पत्ति उचित मूल्य में परिवर्तन :</b>		
योजना परिसम्पत्ति का प्रारम्भिक उचित मूल्य	-	-

योजना परिसम्पत्ति पर अनुमानित वापसी	-	-
बीमांकिक लाभ/(हानि)	-	-
नियोजकों द्वारा किया गया अंशदान	-	-
भुगतान किया गया लाभ	-	-
<b>योजना परिसम्पत्ति का अंतिम उचित मूल्य</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### तुलन-पत्र में छुट्टी नकदीकरण पर मुख्य बीमांकिक अनुमान

	विवरण	31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार
i.	छूट दर (%)	7.9%	7%
ii.	योजना सम्पत्ति पर कम्पनी की अनुमानित दर (%)	N/A	N/A
iii.	वेतन वृद्धि दर (%)	5.00%	5.00%
iv.	आहरण दर (%)	1.00%	1.00%

#### सेवा निवृत्ति के पश्चात् चिकित्सा लाभ के सम्बंध में परिभाषित लाभ योजना

(लाख ₹ में)

	31 मार्च, 2016 स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2016 स्थिति के अनुसार
<b>सेवा निवृत्ति के पश्चात् चिकित्सा लाभ के सम्बंध में तुलन पत्र में चिन्हित की गई राशि</b>		
प्रक्षिप्त लाभ दायित्व	402.16	365.51
योजना परिसम्पत्ति का उचित मूल्य	-	-
<b>शुद्ध देयता/(परिसम्पत्ति)</b>	<b>402.16</b>	<b>365.51</b>
<b>लाभ एवं हानि के विवरण में स्वीकार की गई राशि एवं सेवा निवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ के सम्बंध में</b>		
चालू सेवा लागत (पूर्ण बीमा लाभ के लिए जोखिम प्रीमियम सहित)	17.98	11.29
ब्याज लागत	27.43	21.41
योजना परिसम्पत्ति पर अनुमानित वापसी	-	-
अवधि के दौरान/स्वीकार की गई शुद्ध बीमांकिक लाभ/(हानि)	18.85	114.74
विगत सेवा लागत	-	-
<b>लाभ एवं हानि लेखे में चिन्हित नियोक्ता का शुद्ध व्यय</b>	<b>36.65</b>	<b>147.44</b>
लाभ एवं हानि लेखे के विवरण में प्रभारित राशि	30.01	124.20
आई.ई.डी.सी. को हस्तांतरित राशि	6.64	23.24

### दायित्व के वर्तमान मूल्य का पुनर्मिलान एवं योजना परिसम्पत्ति का उचित मूल्य:

(लाख ₹ में)

<b>परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन :</b>		
प्रारम्भिक परिभाषित लाभ दायित्व	365.51	244.82
चालू सेवा लागत	17.98	11.29
ब्याज लागत	27.43	21.41
योजना संशोधन लागत	-	0.00
बीमांकिक (लाभ)/हानि	18.85	114.74
लाभ का भुगतान	(27.61)	(26.75)
<b>अंतिम परिभाषित दायित्व</b>	<b>402.16</b>	<b>365.51</b>
<b>उचित मूल्य योजना परिसम्पत्ति में परिवर्तन</b>		
योजना परिसम्पत्ति का प्रारम्भिक उचित मूल्य	-	-
योजना परिसम्पत्ति पर अनुमानित वापसी	-	-
बीमांकिक (लाभ)/हानि	-	-
नियोजक द्वारा अंशदान	-	26.75
लाभ का भुगतान	-	(26.75)
<b>योजना परिसम्पत्ति का अंतिम उचित मूल्य</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### तुलन-पत्र में सेवा निवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ पर मुख्य बीमांकिक अनुमान

विवरण	31 मार्च, 2016 स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2015 स्थिति के अनुसार
छूट दर (%)	7.90%	7.80%
योजना सम्पत्ति पर कम्पनी की अनुमानित दर (%)	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
चिकित्सा मुद्रस्फिति दर (%)	6.00%	6.00%
प्रतिव्यक्ति औसत चिकित्सा लागत (INR)	7200	6800
मृत्यु दर	भारतीय सुनिश्चित जीवन मृत्यु दर (2006-08) (संशोधित)	भारतीय सुनिश्चित जीवन मृत्यु दर (2006-08)(संशोधित)
आहरण दर (%)	1.00%	1.00%

### छुट्टी यात्रा रियायत (एल.टी.सी.) लाभ के सम्बंध में परिभाषित लाभ योजना

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2016 स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2015 स्थिति के अनुसार
छूट दर (%)	-	7.80
प्रति व्यक्ति यात्रा दावे का औसत लागत (रु. में)	3000.00	3000.00
<b>लाभ एवं हानि लेखे में नियोजता के कुल चिह्नित खर्च</b>	<b>(1.64)</b>	<b>27.93</b>
लाभ-हानि लेखे के विवरण में प्रभारित राशि	(1.48)	25.82
आई.ई.डी.सी. को हस्तांतरित राशि	(0.16)	2.11

## 26.13 सेगमेंट रिपोर्टिंग :

कम्पनी का व्यवसायिक कार्यकलाप प्रचालन के रूप में एक सेगमेंट में चिह्नित किया गया है और एक भौगोलिक क्षेत्र में भी, अतः लेखा मानक 17 के अनुसार लेखा में अलग से कोई प्रकटीकरण नहीं किया जा रहा है।

## 26.14 संबंधित पक्षों का प्रकटीकरण :

(लाख ₹ में)

विवरण	मुख्य प्रबंधन कार्मिक	कुल पारिश्रमिक	
		2015-16	2014-15
प्राप्त की जा रही सेवायें	1. श्री डी.आचार्य, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	29.80	27.40
	2. श्री एस.के.श्रीवास्तव, निदेशक (तकनीकी) (31.01.2016 तक)	32.90	22.71
	3. श्री डी.घोष, निदेशक (वित्त)	23.57	3.22
	4. श्री बी.एल.साबू, निदेशक (वित्त) (12.05.2014 तक)	-	2.47

## 26.15 प्रति शेयर आय

(लाख ₹ में)

	2015-16	2014-15
कर पश्चात् लाभ (लाख रुपये में)	10,212.49	818.31
इकाई शेयर का भारित औसत संख्या	1,55,32,845	1,48,37,844
जोड़ा: इकाई शेयर की संभाव्य संख्या	66,667	1,11,060
इकाई शेयर का तनुकृत संख्या	1,55,99,512	1,49,48,904
इकाई शेयर का अंकित मूल्य (रुपया में)	1000	1,000
प्रति शेयर प्रारंभिक आय (रुपया में)	65.75	5.51
प्रति शेयर तनुकृत आय (रुपया में)	65.47	5.47

26.16 आंकड़ों को लाख रुपये के सन्निकट में लिया गया है। गत वर्ष के आंकड़ों को जहाँ कहीं भी जरूरी समझा गया उसे चालू तुलनात्मक दृष्टि से पुनः समूह में व्यवस्थित/वर्गीकृत किया गया है।

अनुसूची '1' से '26' के हस्ताक्षरी

कृते बोर्ड की ओर से

हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ताक्षरित और यहां तक कि तिथि भी संलग्न है

अग्रवाल रमेश के एवं कंपनी के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

फर्म रजिस्ट्रेशन संख्या. 004614C

बी. सी. गुप्ता  
कंपनी सचिव

देबाशीष घोष  
निदेशक (फाइनांस)

डी. आचार्य  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

रमेश कुमार अग्रवाल

सदस्यता संख्या. 072918

पार्टनर

सीन: कोलकाता

तिथि : 21 जून 2016

## 31.03.2016 को समाप्त वर्ष का कैश फ्लो विवरण

(लाख ₹ में)

	2015-16	2014-15
<b>A. अपरिचालन की क्रियाओं से कैश फ्लो</b>		
कर पूर्व शुद्ध लाभ	15,805.65	1,133.26
<b>समायोजन के लिए :</b>		
मूल्य हास	8,685.74	8,290.47
ऋण एवं पेशगी पर ब्याज	(449.51)	(96.85)
बैंक जमा पर ब्याज	(29.90)	(729.52)
स्थिर परिसम्पत्तियों पर हानि	-	-
ब्याज पर व्यय	6,154.23	5,616.45
कार्यकारी पूँजी परिवर्तन के पूर्व परिचालन लाभ	30,166.21	14,213.81
<b>समायोजन के लिए :</b>		
क) देनदारों को (वृद्धि)/हास	(16,071.80)	1,873.46
ख) मालसूची में (वृद्धि)/हास	(3,180.67)	(1,021.78)
ग) ऋण एवं पेशगियों में (वृद्धि)/हास	(577.25)	848.39
घ) अन्य चालू परिसम्पत्तियों पर (वृद्धि)/हास	43.99	(138.74)
ड.) दायित्व में (वृद्धि)/हास	7,743.24	5,976.44
परिचालन की क्रियाओं से नकद उपार्जन	18,123.72	21,751.58
प्रत्यक्ष कर	(3,994.09)	(103.40)
<b>परिचालन की क्रियाओं से शुद्ध कैश फ्लो</b>	<b>14,129.63</b>	<b>21,648.18</b>
<b>B. निवेश की क्रियाओं से कैश फ्लो</b>		
क) निश्चित परिसम्पत्तियों की खरीद	(6,708.12)	(4,437.10)
ख) डब्ल्यू.आई.पी. की पूँजी में (वृद्धि)/हास	(19,212.33)	(29,114.58)
ग) पूँजी व्यय के लिए अग्रिम	3.41	2,309.98
घ) बैंक जमा पर ब्याज	29.90	729.52
ड.) ऋण एवं पेशगियों पर ब्याज	449.51	96.85
च) अन्य बैंक जमा में (वृद्धि)/हास	(119.93)	11,710.80
<b>विनियोग की क्रियाओं से शुद्ध कैश फ्लो</b>	<b>(25,557.56)</b>	<b>(18,704.53)</b>
<b>C. वित्तीय क्रियाओं से कैश फ्लो</b>		
इक्विटी शेयर पूँजी से लाया गया (लंबित आवंटन को जोड़कर)	3,200.00	7,900.00
अल्प कालीन उधार में (वृद्धि)/हास	8,610.36	3,745.15
लाभांश चुकाया	(164.00)	(214.00)
ब्याज चुकाया	(6,154.23)	(5,616.45)
वित्तीय क्रियाओं में शुद्ध नकदी का उपयोग	5,492.13	5,814.70
<b>D. नकद तथा नकदी के सामान में शुद्ध वृद्धि (क+ख+ग)</b>	<b>(5,935.80)</b>	<b>8,758.35</b>
वर्ष के प्रारम्भ में नकदी के सामान	9,134.01	375.66
वर्ष के अन्त में नकदी के सामान	3,198.21	9,134.01
<b>E. नकद एवं नकदी के सामान में शुद्ध वृद्धि</b>	<b>(5,935.80)</b>	<b>8,758.35</b>

विगत वर्ष के आकड़े को जहाँ कहीं भी जरूरी समझा गया उसे चालू वर्ष में तुलनात्मक दृष्टि से पुनः समूह में व्यवस्थित वर्गीकृत किया गया है।

यह हमारे सलंगनक के संदर्भ में सम दिनांक के अनुसार हस्ताक्षरित है

**अग्रवाल रमेश के एवं कंपनी के लिए**

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

फर्म रजिस्ट्रेशन संख्या. 004614C

कृते बोर्ड की ओर से

**रमेश कुमार अग्रवाल**  
सदस्यता संख्या. 072918  
पार्टनर

स्थान: कोलकाता

तिथि : 21 जून 2016

**बी. सी. गुप्ता**  
कंपनी सचिव

**देबाशीष घोष**  
निदेशक (फाइनांस)

**डी. आचार्य**  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

## पच्चीस वर्ष का संग्रह

वर्ष	आय	सामग्रीयाँ	वेतन/मजदूरी तथा अन्य सुविधाएँ	मूल्यह्रास	व्याज	उत्पादन एवं अन्य व्यय	कर पूर्व लाभ/हानि
1991-92	3929.3	518.8	1167.1	214.4	-	1455.0	571.8
1992-93	4249.2	659.3	1369.8	217.9	2.1	1624.1	376.5
1993-94	4775.7	788.3	1415.5	291.7	0.7	1970.5	309.0
1994-95	5730.1	1082.3	1530.6	353.4	18.6	2396.1	349.1
1995-96	7149.8	1064.5	2569.6	1286.7	10.2	2187.7	31.1
1996-97	8601.0	1037.0	3141.5	1404.8	0.1	3693.6	(-) 676.0
1997-98	11140.5	1107.0	3429.6	1067.3	-	5019.9	516.7
1998-99	13417.5	1252.7	4255.9	1236.4	-	6495.0	177.5
1999-00	14533.0	1461.9	4522.2	1685.2	-	5361.4	1307.9
2000-01	14797.0	1612.7	4768.8	1842.9	-	6167.4	405.2
2001-02	16597.1	1746.8	5524.9	2054.1	-	6399.3	872.0
2002-03	19357.1	1740.5	5274.5	2069.9	-	7500.0	2772.4
2003-04	21396.9	2248.4	5596.8	2236.3	-	9389.7	1925.7
2004-05	25497.0	2590.01	5945.24	2443.43	-	9896.72	4621.6
2005-06	28156	3121	7309	2468	-	10332	4926
2006-07	29781	4138	8817	2592	-	9856	4378
2007-08	30436	4786	9929	2518	-	11061	2142
2008-09	41462	6143	12728	2755	-	13832	6004
2009-10	54306	7494	14539	6661	-	17827	7785
2010-11	76025	10072	19815	8245	-	21836	16057
2011-12	70728	10469	18572	7184	-	25526	8626
2012-13	85512	12882	21988	7795	-	28447	14417
2013-14	81430	13106	24806	7793	-	33979	1633
2014-15	89024	14138	27869	8186	-	37693	1133
<b>2015-16</b>	<b>102463</b>	<b>12694</b>	<b>29566</b>	<b>8581</b>	<b>-</b>	<b>35816</b>	<b>15806</b>

कर पश्चात लाभ	पूँजी	ऋण	आरक्षित तथा अतिरिक्त	सकल निरुद्ध पूँजी	कुल मूल्य ह्रास	शुद्ध निरुद्ध पूँजी	31 मार्च को कर्मचारियों की संख्या
245.8	12417.2	-	2654.4	4933.5	2590.3	2343.2	3748
146.2	17017.3	-	2802.0	5262.4	2824.3	2438.1	3898
104.4	22517.3	-	2906.5	9085.1	3574.4	5510.7	3904
801.9	30517.3	-	3708.4	11277.1	4396.1	6888.0	4024
78.6	5422.3	-	3787.1	18558.6	5813.8	12744.8	4171
(-)854.0	36922.3	-	1326.6	19008.1	7203.8	11804.2	4249
251.4	37075.3	-	1523.0	25203.8	8644.3	16559.5	4312
367.1	41982.3	-	1808.0	34057.7	10039.8	24018.0	4385
1151.1	41982.3	-	2666.4	36438.7	11894.8	24543.9	4408
303.7	41982.3	-	2902.3	38041.5	13915.3	24126.3	4420
588.2	38339.3	64.4	4971.5	38510.6	16076.3	22434.3	4218
480.84	41839.3	-	4398.8	43443.2	18062.2	25381.0	4147
978.7	49839.3	-	4981.8	48591.2	20109.6	28481.6	4064
2925.1	63389.3	-	7222.8	52746.6	22813.5	29933.1	4034
3161	69094	-	9472	57074	25509	31566	4103
2751	71265	-	11403	61942	28192	33750	4276
1463	84165	-	12433	67254	31012	36242	4439
1801	107765	-	13684	117101	33914	83187	4643
4626	134793	-	16957	123150	40842	82308	4539
10153	143962	-	24146	126383	49131	77251	4696
6484	143962	-	28742	135090	56446	78644	4624
9078	143962	-	35697	145358	64418	80940	4613
1069	146962	-	36516	148617	71878	76739	4642
818	153962	-	36116	153054	81715	71339	4685
<b>10212</b>	<b>156462</b>	<b>-</b>	<b>42641</b>	<b>159762</b>	<b>90401</b>	<b>69362</b>	<b>4757</b>



आरोग्य रक्षा मोबाईल स्वास्थ्य सेवायें



टैंकों के द्वारा पेय जल सुविधा



[www.uraniumcorp.in](http://www.uraniumcorp.in)



FUELING THE NATION WITH  
CLEAN ENERGY





सुश्री लक्ष्मी रानी माझी  
रियो ओलिम्पिक के तीरंदाजी प्रतियोगी

यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड के कर्मचारी श्री दिक्कू माझी की पुत्री, झारखण्ड की गौरव सुश्री लक्ष्मी रानी माझी रियो ओलिम्पिक के तीरंदाजी प्रतियोगिता में अपने देश भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है।

सुश्री लक्ष्मी रानी माझी की इस शानदार उपलब्धि पर यूसिल में हर्ष का माहौल है। यूसिल परिवार को लक्ष्मी रानी माझी के इस उपलब्धि पर गर्व है और उसे अपनी शुभकामनाएँ देता है।



**URANIUM CORPORATION OF INDIA LIMITED**

**यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड**

**ISO 9001:2008, 14001:2004 एवं IS 18001:2007 कम्पनी**  
**An ISO 9001:2008, 14001:2004 & IS 18001:2007 Company**